खण्ड-370, अंक-4
बुधवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1907
(17 जुलाई, 1985 ई0)

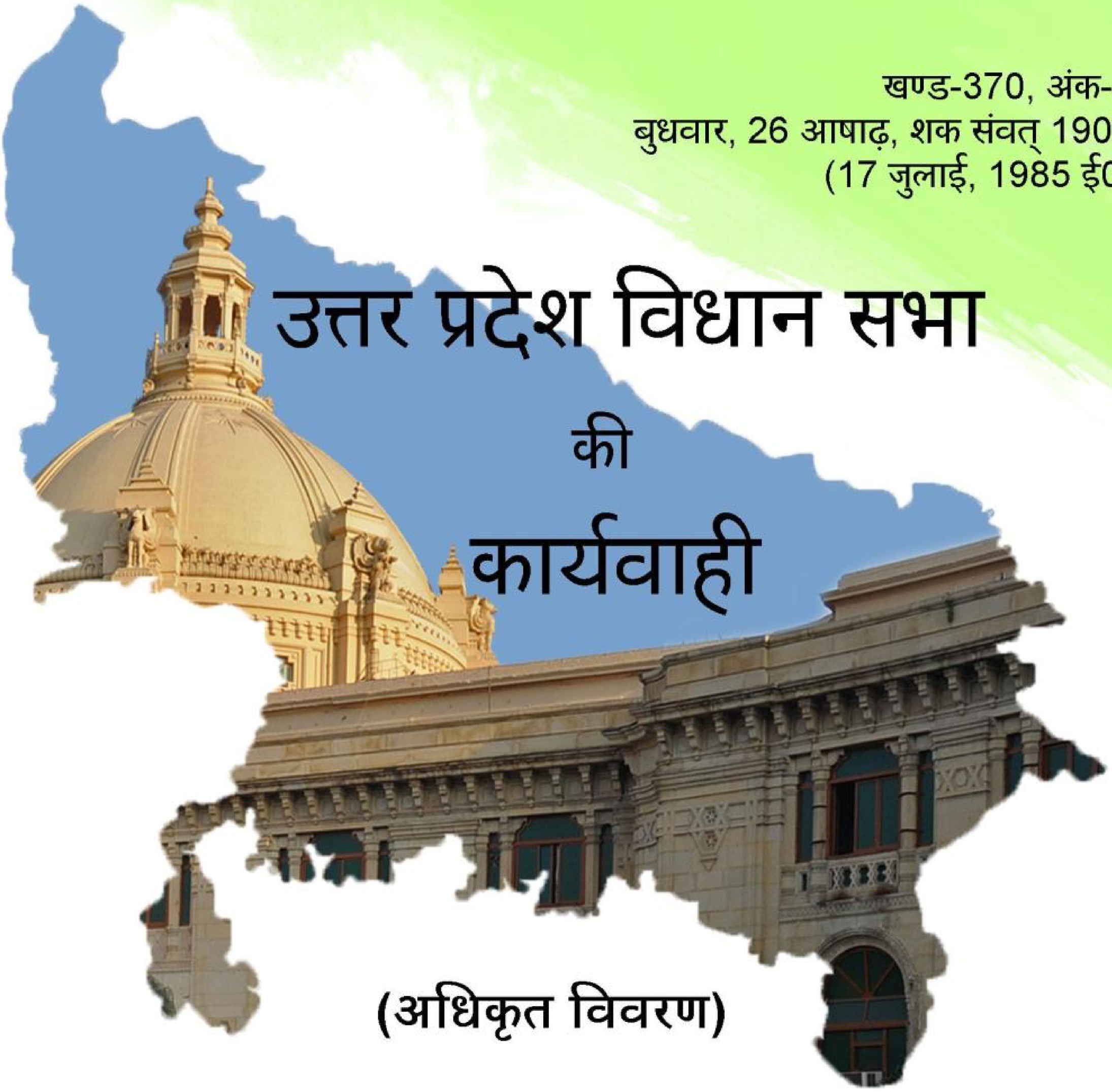

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 370 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–2
प्रश्नोत्तर	..	3–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 106 को बारबार स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	79–80
अस्थायी निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन एवं उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	80–81
वर्मा विस्थापित राजकीय कालोनी बाग–बिजेशी व टेढ़ी बाजार अयोध्या, फैजाबाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	81
"प्रगतिशील सामूहिक कृषि समिति सलारपुर" गाजियाबाद नामक फर्जी सोसाइटी द्वारा कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
हैण्डलूम के कपड़ों पर सरकारी टैक्स तथा यंत्रों के मूल्यों में वृद्धि से बुनकरों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
ग्राम करकौली फिरोजाबाद–आगरा के श्री ध्रुव सिंह को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	82
ग्राम अकोला, जनपद आगरा में पीने के पानी का अभाव एवं राहत कार्यों की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	83
टाउन एरिया गोसाईगंज, फैजाबाद के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.	83–84
दिनांक 16–7–85 को हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वैधानिकता पर औचित्य का प्रश्न	..	84–85
आगरा जनपद की दीवानी अदालतों के बन्द होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	85–86
सीतापुर नगर में वाणिज्य की पढ़ाई के लिए राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	..	86
रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट की सदस्यता के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	86–67

विषय	पृष्ठ संख्या
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	87
राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	87
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	87-95
वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	95-137
नियम--51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	137
नत्थियां ..	139-146

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 17 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे)

इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
कौशिक रमाशंकर, श्री (मुरादाबाद)
खरपत राम, श्री (वाराणसी)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप चन्द्र, श्री (जौनपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
पदमा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
पशुपतिनाथ, श्री (कानपुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (इलाहाबाद)
प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री (फर्रुखाबाद)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री (सीतापुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
सखावत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"प्रश्नोत्तर"

बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पर्यावरण से सम्बन्धित मुकदमों के शीघ्र निर्णय हेतु विशेष न्यायालयों का गठन

**1—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासन पर्यावरण से सम्बन्धित मुकदमों के निर्णयों में शीघ्रता बरतने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री—(श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी हां ।

प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत दायर मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष न्यायालयों के गठन से सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या सरकार को यह मालूम है कि प्रदूषण निवारण अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भी मुकदमे दायर किये जा सकते हैं । क्या इसको जानते हुए सरकार प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दायर मुकदमों के अलावा जो भारतीय दण्ड संहिता में दायर किये जा सकते हैं क्या उनको भी विशेष न्यायालय के गठन के क्षेत्राधिकार में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, जब विशेष न्यायालय के गठन पर विचार कर रहे हैं तो इसे भी दिखवा लिया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत साफ है । प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दायर मुकदमों के निवारण हेतु विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है । लेकिन भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भी ऐसे मुकदमें दायर किए जा सकते हैं । क्या ऐसे मुकदमों को भी इस विशेष अदालत में शामिल किया जायेगा या फिर जो मुकदमे प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दायर हैं, उन्हीं पर विशेष अदालत में कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मैंने कहा कि अभी विशेष अदालतों के गठन का मामला विचाराधीन है । उसमें कई बिन्दुओं पर डिसकशन होगा । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही अच्छा है, इस पर विचार किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो यह कहा जायेगा कि इसे भी क्षेत्राधिकार में ले लिया जाय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विशेष अदालतों के गठन के बारे में कहा बहुत अच्छी बात है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विशेष अदालत के गठन के लिए जो बिन्दु रखे गए हैं, वे क्या क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक प्रस्ताव आया था 30 जुलाई, 1983 को । उसमें उन्होंने कहा था कि जो मुकदमे लम्बित हैं उनकी संख्या 46 है और वे प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे हैं और उनमें काफी डिले हो जाता है । यहां तक कि एक मुकदमे में 3 वर्ष का समय लग जाता है इसलिए इनके जल्दी निस्तारण हेतु विशेष अदा-

लत का गठन किया जाय जहां पर केवल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दायर मुकदमों को ही देखा जाय । तभी इन मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विशेष अदालत के गठन में इतना विलम्ब क्यों हुआ, उसके कारण क्या हैं और उत्तर प्रदेश में कब तक यह अदालत अन्तिम रूप से गठित हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, जब यह प्रस्ताव आया तो उस पर उच्च न्यायालय की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है तभी विशेष अदालत का गठन किया जा सकता है । इसके लिए न्याय विभाग से सहमति मांगी है । इसमें एक बात सामने आयी थी कि क्या विशेष अदालत के गठन हो जाने के बाद मामलों का निस्तारण तुरन्त हो पाना सम्भव हो सकेगा ? मुख्य समस्या यह है कि मुकदमे के निस्तारण में डिले हो जाती है । डिले करने की टैक्टीस सामान्य न्यायालयों में चलती है, कभी वे कहते हैं कि इवीडेन्स का कागज नहीं है, कभी ये कागज नहीं है और तारीख बढ़ा दी जाती है । इसी प्रकार की टैक्टीस विशेष न्यायालय में भी पार्टियों द्वारा किया जायेगा । मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा फिर संख्या देखी गई, वह 46 थी । यह उचित समझा गया कि अभी इसको उच्च न्यायालय से निवेदन किया जाय कि अधीनस्थ न्यायालयों से कहें कि इन मुकदमों का जल्द निस्तारण करें, इसीलिए विलम्ब हो गया ।

श्री बदन सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया है कि विशेष न्यायालयों का गठन विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए होने जा रहा है, लेकिन कुछ मुकदमे पूर्व न्यायालयों के द्वारा निर्णीत हो गये होंगे । आगे विशेष अदालतों का गठन होने जा रहा है । जो मुकदमे निर्णीत हो गये हैं, उनकी अपीलीय अदालत विशेष न्यायालय होंगे या पूर्व न्यायालय होंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अभी जो मुकदमे हैं उनके लिए सेशन कोर्ट है, फिर विशेष न्यायालय बन जायगा । विशेष न्यायालय से अपील का अधिकार हाईकोर्ट को होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

इसका आखिरी प्रारूप कब तक बन कर तैयार हो जायगा ताकि राहत मिल सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अति शीघ्र हो जायगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है अपने उत्तर में, उसके सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि प्रदूषण बोर्ड में जो मेम्बर-सचिव हैं श्री सुरेन्द्र सिंह क्या वे इस योग्य हैं कि कैसे-कैसे प्रदूषण नियंत्रण हो सकता है, इसको समझ सकें ? मेरा कहने का अर्थ यह है कि क्या उनके पास ऐसी कोई शैक्षिक योग्यता है ? यदि नहीं, तो उनको क्यों रखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, वह हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

यह विशेष न्यायालय का जो गठन किया जा रहा है, तो क्या जो सरकारी कार्यालय हैं वही मुकदमा दायर करने के लिए हकदार होंगे या आम जनता भी मुकदमा दायर कर सकती है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अभी इसका प्रारूप बना नहीं है अभी प्रथम स्टेज में है, विचार किया जा रहा है । माननीय सदस्य ने जो बात

कही है, उस पर भी गौर कर लिया जायगा ।

गैर सरकारी मान्यताप्राप्त एवं सहायताप्राप्त मा0 विद्यालयों में तदर्थ नियुक्त अध्यापकों के नियमितीकरण के बारे में शासन की नीति

**2—श्री राजेन्द्र गुप्त तथा श्री मित्र सेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों) में तदर्थ नियुक्त अध्यापकों की सेवाओं के नियमितीकरण के बारे में शासन की क्या नीति है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)—

शासन द्वारा मामले में निर्णय लिया जा चुका है और आवश्यक व्यवस्थायें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 12 सन् 1985) की धारा 5 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, सवाल करने से पहले मा0 शिक्षा मन्त्री का ध्यान उनके पूर्ववर्ती शिक्षा मन्त्री द्वारा दिये गये एक आश्वासन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । ये तदर्थ अध्यापक लगभग 20–22 हजार हैं, जो कि आज सड़कों पर आ गये हैं, जिनकी समस्या से सदन चिन्तित है । पिछले 23 सितम्बर को जब वह अनशन कर रहे थे, तो उस समय के शिक्षा मन्त्री वीरसेन और मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह स्वयं उनके पास गये थे और उनको आश्वासन दिया था, जो कि सभी समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ था । हिन्दुस्तान के सब समाचार–पत्रों की कतरनें मेरे पास हैं । उसमें लिखा हुआ है कि सभी तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद जो विधेयक यहां मिल रहा है और जो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है उसके अनुसार जो कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत जो नियुक्तियां की गई हैं, लगभग 4000 लोगों को नियमित किया जायगा जो मौलिक रिक्ति में हैं । उस कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत प्रबन्ध तन्त्रों ने जो नियुक्तियां की जिला विद्यालय निरीक्षक की सहमति से जो शिक्षा अधिनियम 1921 है उसमें जो 40 प्रतिशत प्रोमोशन का कोटा का प्राविधान है उस कोटे में जिन अध्यापकों की प्रोन्नतियां हो गयी हैं, वह और जो कठिनाई निवारण अध्यादेश में आदेश दिया था कि सभी नियुक्तियों का मानक बनाया जायगा ।

तो मान्यवर इन सब लोगों को विनियमित न करने का क्या कारण है जबकि सरकार ने वादा भी किया था उनको विनियमित करने का सदन के बाहर भी और सदन के अन्दर भी ?

श्री सिब्ते रजी—

जितनी भी मौलिक और स्पष्ट नियुक्तियां थीं इस अध्यादेश के जरिये से उनका विनियमितीकरण हो गया है । प्रोन्नति का जहां तक सवाल है तो उसमें जो काम चलाऊ व्यवस्था में नियुक्तियां दी जाती हैं या किसी के अवकाश पर जाने से जो जगह खाली होती है तो किसी को उस जगह पर नियुक्ति दे दी जाती है, तो उसके वापस आ जाने पर वह काम चलाऊ व्यक्ति चला जाता है लेकिन आगे यह जो 40 से 60 प्रतिशत प्रोन्नति सीधी भर्ती से है इसमें शामिल होने का उन्हें पूरा अधिकार मिलेगा ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जिला विद्यालय के माध्यम से नियुक्तियां की हैं, उसे तो नियमित कर दिया गया है, लेकिन जो डी0 आई0

ओ0 एस0 की पुष्टि पर नियुक्तियां हुई हैं उसे अनियमित माना गया है । तो इस दोहरे मापदण्ड को अपनाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

इसमें कोई भी दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाया गया है । डी0 आई0 ओ0 एस0 के जरिये जो नियुक्तियां की गयी हैं उनमें गुणात्मकता के आधार पर चयन हेतु गुणांक का प्रबन्ध किया गया था और चयन की पूरी प्रक्रिया इसमें अपनायी गयी है । डी0 आई0 ओ0 एस0 द्वारा की गयी नियुक्तियों को विनियमित कर दिया गया है और जो मैनेजर और व्यवस्थापकों की तरफ से नियुक्तियां हुई हैं वह अल्पकालिक थीं, उनका फारमल अनुमोदन था केवल वेतन के दिए जाने के सम्बन्ध इत्यादि में । अल्पकालिक नियुक्तियों का कभी भी विनियमितीकरण नहीं होगा, यह प्रक्रिया तो बराबर चलती रहेगी । तदर्थ नियुक्ति जो अल्पकालिक होती है इनके विनियमितीकरण का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले हड़ताल के दौरान जिन लोगों ने केवल एक दिन काम किया तो ऐसे 22 लोगों को आप इस अध्यादेश द्वारा विनियमित करने जा रहे हैं और जिन लोगों ने निरन्तर काम किया है उन्हें आप निकालने जा रहे हैं । यह कठिनाई निवारण अध्यादेश के जरिये आपके यहां दो तरह की नियुक्तियां हुई हैं, एक इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने डाइरेक्ट भर्ती कर दी और दूसरी जिसमें मैनेजमेन्ट के लोगों ने नियुक्ति की हैं और उसे इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने एप्रूव किया। तो इस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति के दो भाग हो गये । जो नियुक्तियां इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने कीं उनकी संख्या 300 से 400 तक है और जो भर्ती मैनेजमेन्ट के द्वारा हुई हैं उनकी संख्या 22 हजार है । जब एक ही प्रक्रिया के अनुसार जब नियुक्तियों का एप्रूवल इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स ने दिया तो फिर आप भेदभाव का मापदन्ड क्यों अपना रहे हैं ?

माननीय तिवारी जी बैठे हैं, पिछले साल जब हड़ताल चल रही थी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तिवारी जी ने और उस समय के शिक्षा मन्त्री श्री वीर सेन जी ने एक कमेटी बनाई थी कि इस मामले को देखकर एक सप्ताह में फैसला ले लिया जायेगा और लोक सभा चुनाव के पूर्व इन अध्यापकों को हटाया नहीं जायेगा और काम पर वापस ले लिया जायेगा, परन्तु अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वायदा खिलाफी का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, प्रबन्ध तन्त्र द्वारा चयन की प्रकिया भी अपनायी गई है और डी0 आई0 ओ0 एस0 द्वारा भी चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है । किन्तु दोनों भिन्न हैं । डी0 आई0 ओ0 एस0 द्वारा दो-दो अखबारों में विज्ञापन निकाला गया । अल्पकालिक रिक्तियों के बारे में क्या स्थिति होगी, उसका बयान कर दिया गया है । जो मौलिक रिक्तियां हैं उनको अल्पकालिक रिक्तियों से जोड़ना ठीक नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अध्यादेश आ रहा है, इसमें जैसा कि माननीय गौरी भैया ने कहा, उसके द्वारा 400 अध्यापकों को नियमित किया जायेगा । जब डी0 आई0 ओ0 एस0 ने एप्रूवल दे दिया तो क्या उसके बाद भी शेष को हटा दिया जायेगा । दूसरी चीज यह है कि जो हमारा शिक्षा बोर्ड है उसने भी कुछ अध्यापकों की नियुक्तियां करके भेज दी हैं विभिन्न विद्यालयों में और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स भी कर रहे हैं, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना

चाहता हूं कि कौन सी नियुक्तियों को नहीं माना जायेगा ।

श्री सिब्ते रजी--

हमारी अधिसूचना जो 11 सितम्बर, 1981 की है उसमें स्पष्ट है कि मौलिक नियुक्तियां क्या होंगी और अल्पकालिक नियुक्तियां क्या होंगी । उस अधिसूचना के पृष्ठ दो पर है कि ऐसी नियुक्तियां जो सीमित अवधि के लिए हैं, वह मौलिक नहीं हैं ।

श्री मित्र सेन--

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उससे सम्बन्धित एक प्रश्न करना चाहता हूं । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डी0 आई0 ओ0 एस0 की संस्तुति पर जितनी नियुक्तियां की गयी हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्री सिब्ते रजी--

यह अल्पकालिक नियुक्तियां धारा 18 के अन्तर्गत जो हमारी अधिसूचना है, उसके अन्तर्गत होती हैं । यदि कोई रिक्ति 2 महीने की है या किसी रिक्ति को भरने के लिए आयोग को रिक्वी-जिशन भेजा गया है और एक साल तक आयोग नियुक्ति नहीं कर सका है, तो अल्पकालिक नियुक्तियां की जा सकती हैं । जो मैनेजमेन्ट है उसको ऐसा अधि-कार दिया गया है और यह आज भी हो रहा है । अल्पकालिक नियुक्तियों के विनियमितीकरण का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय मन्त्री जी ने मौलिक पदों की जो बात कही है, उसका आशय क्या है ? जो नियुक्तियां किसी व्यक्ति के अवकाश पर जाने या मर जाने पर की जायेंगी क्या उनको मौलिक माना जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, स्पष्ट है कि अगर कोई मर जाता है या उसको अन्य पद पर पदोन्नति हो जाती है तो उसके स्थान पर जो नियुक्ति होगी वह मौलिक होगी और किसी के अवकाश पर चले जाने पर की गयी नियुक्ति मौलिक नहीं हो सकती है, उसे अल्पकालिक नियुक्ति माना जायेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि जवाब सही नहीं आ रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी के ऊपर अभी आरोप नहीं लगाता कि वे सदन को गुमराह कर रहे हैं लेकिन यह आरोप जरूर लगाना चाहता हूं कि उन्होंने पत्रावली पढ़ी नहीं है । उन्होंने कहा कि कोई चयन प्रक्रिया नहीं थी । मैं बताना चाहता हूं कि चयन प्रक्रिया थी जिसके लिए शब्दावली 'गुणांक' का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि इसके आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से नियुक्ति हो गई । मान्यवर, इसे आप देख लें । क्या यह सही है कि वे नियुक्तियां गुणांक के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

दूसरा सवाल यह है कि यह जो अध्यादेश है इसकी धारा 5 की उपधारा (2) है, उसे आप देख लें । इसमें लिखा है कि उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्या-पक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परि-वीक्षा पर समझा जायेगा । आप कहते हैं कि मौलिक नियुक्ति से होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग 3/4 साल पहले से काम कर चुके हैं उनकी परिवीक्षा न मानने का क्या कारण है ?

मान्यवर, तीसरा सवाल यह है कि शिक्षा अधिनियम, 1921 का बहाना लिया गया है । इस अधिनियम में ऐसा

कहीं पर नहीं लिखा है । माननीय पी0 के0 शर्मा बैठे हुए हैं वे जानते होंगे कि मैनेजमेन्ट का तात्पर्य है प्रबन्धाधिकरण । जिसका अर्थ यह लगाया गया कि प्रबन्ध समिति का कोई रिश्तेदार उसमें नहीं होगा । धारा 3 (ख) में यह दिया है कि यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या उसके प्राचार्य या प्रधान अध्यापक का सम्बन्ध है तो उसे नहीं लिया जायेगा । तो मान्यवर, मेरे इन चार प्रश्नों का आप उत्तर दिला दें ।

श्री सिब्ते रजी--

प्राचार्य जो रखे गये हैं, इसीलिए रखे गये हैं । आप जानते हैं कि भाई भतीजावाद काफी बढ़ गया है लेकिन शिक्षा के मामले में जहां बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, अपने रिश्तेदारों की तदर्थ नियुक्ति न करें । इसीलिए प्राचार्य रखे गये हैं । जहां तक गुणांक का प्रश्न है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन्होंने चयन की पूरी प्रक्रिया अपनाई है । अखबारों में खबरें निकाली गई, अध्यापकों से दरख्वास्तें ली गई और चयन किया गया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

(श्री सुखपाल पाण्डे का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला । मैंने पहला सवाल किया था कि गुणांक के आधार पर जो नियुक्ति हुई... ।

श्री अध्यक्ष --

कृपया बैठें । मैंने उन्हें बुला लिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो तदर्थ अध्यापक नियुक्त किए गए हैं वे शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रबन्धकों ने चयन करके जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमोदित कराकर नियुक्त किए हैं और अब आप अपनी इच्छानुसार उनकी नियुक्ति कराने जा रहे हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

ऐसी कोई बात नहीं है ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे--

मेरे सवाल के पहले अंश का जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष --

आपका प्रश्न खत्म हो गया और उत्तर आ गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मैंने तो वह पूछा था कि....

श्री अध्यक्ष--

आपके हिसाब से नहीं आया है तो क्षमा कीजिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने तीन सवाल किए थे एक गुणांक के आधार पर विचार करने के सम्बन्ध में जानना चाहा था जिसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया । मैं माननीय मन्त्री जी से साफ-साफ जानना चाहता हूं कि क्या वह यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जैसा गत वर्ष माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री वीर सेन जी ने आश्वासन दिया था कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा उनकी उस घोषणा का आदर करते हुए उन समस्त 22 हजार अध्यापकों को नियमित करने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, जिसने भी जो आश्वासन दिया उसका पूरा आदर करने और आपके जजबात का भी आदर करने का प्रयास किया गया है और शिक्षा का जिसमें हित हो उसका भी ध्यान रखा गया है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर में कोई आश्वासन न देने के विरोध में अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ वाक आउट करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित कुछ देर के लिए सदन त्याग कर चले गये)

तारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के कतिपय ग्रामों में खनिज अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त लीज तथा इससे होने वाली राजस्व हानि

*1--श्री रमाकान्त मिश्र --

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के बारा तहसील में कौन-कौन से गांव खनिज अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार, वन विभाग, राज्य खनिज विकास निगम एवं राजेन्द्र कुमारी जमींदार को लीज में हैं ? क्या जमींदार को दी गई लीज की अवधि समाप्त हो गई है ? क्या यह सही है कि उक्त लीज गिट्टी बालू की थी ? यदि हां, तो सिलिका सैन्ड जो खनिज में आती है उसे किस आधार पर उक्त जमींदार द्वारा निकाला जा रहा है इससे सरकार को कितना राजस्व मिल रहा है और कितने राजस्व की हानि हो रही है ? क्या सरकार इन लीज के गांवों को अधिग्रहीत करने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग राज्य मन्त्री (श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी)--

जनपद इलाहाबाद के बारा तहसील में खनिज अधिनियम के अन्तर्गत किसी ग्राम में राज्य सरकार एवं वन विभाग की कोई लीज नहीं है । राज्य खनिज विकास निगम को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत मिधार-बसाही ग्राम में 33.58 हे0 भूमि पर बीस वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है । श्रीमती रानी राजेन्द्र कुमारी बा की जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 108 के अन्तर्गत 46 गावों पर निरन्तर (परिपिचुअल) पट्टा दिनांक 27 अप्रैल, 1959 को प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं ।

उक्त लीज स्टोन, गिट्टी, कंकड़ मोरम एवं बालू के लिए है ।

प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1966 में उक्त पट्टे के क्षेत्रों से सिलिका सैंड निकाले जाने पर रोक लगाई गई थी, जिसके विरुद्ध श्रीमती रानी राजेन्द्र कुमारी बा ने वर्ष 1959 में "जज स्माल काजेज" इलाहाबाद के न्यायालय में वाद दायर करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिया । राज्य सरकार के विरोध के बावजूद भी न्यायालय के दिनांक 2 जुलाई, 1979 के निर्णय के अनुसार बालू के अन्तर्गत सिलिका सैंड भी सम्मिलित माना गया । न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उनके खनन कार्य में हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दिया गया । इस प्रकार पट्टेदार सिलिका सैन्ड भी निकाल रही है । सिविल न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो अभी विचाराधीन है ।

"जज स्माल काजेज" के निर्णय के अनुसार 46 गांवों के सम्पूर्ण पट्टे के क्षेत्र से निकाले गये खनिजों पर रुपए 4,000 प्रति वर्ष की दर से राजस्व मिल रहा

है। इस प्रकार वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार कोई हानि नहीं हो रही है।

राज्य सरकार की लीज के 46 गांवों को अधिग्रहीत किए जाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि अधिग्रहण का औचित्य नहीं है।

श्री रमाकांत मिश्र—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया कि राज्य खनिज विकास निगम को खनन का 20 साल का पट्टा दिया गया है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति को स्थाई पट्टा दिया है इसका क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, यह स्थायी (परपीचुअल) पट्टा जो दिया गया वह भारत सरकार ने जो खनिज के सम्बन्ध में नियम बनाया है उससे पहले से दिया है। भारत सरकार के नियम बनने से पहले उनके पास है जो राज्य सरकार ने दिया था।

श्री रमाकान्त मिश्र—

मान्यवर, क्या भारत सरकार के मिनरल एक्ट के अन्तर्गत सिलका सैंड मेजर मिनरल्स में आता है ?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

मान्यवर, सिलका सैंड मेजर मिनरल्स में आता है लेकिन जब जज स्माल काजेज कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया तो उसने निर्णय दिया कि इसको भी बालू में शामिल किया जाय। हालांकि हमने इसका विरोध किया और आज भी हमारा प्रयास है। हमने भारत सरकार के माइंस से सम्बन्धित ब्यूरो को इसे रिफर किया है कि वह इस मामले में हमारी मदद करें।

श्री रमाकांत मिश्र—

सिलिकासैन्ड जो मेजर मिनरल है, क्या इसका पट्टा देने का अधिकार प्रदेश सरकार को है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, विस्तृत जवाब इसीलिए दिया गया था कि माननीय सदस्य उससे संतुष्ट हो जायं। यह मसला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इससे अधिक चर्चा करना संभवतः उपयुक्त नहीं होगा।

श्री रमाकान्त मिश्र—

मान्यवर, 46 गांवों में सिलिका सैन्ड निकल रहा है, उसी के आधार पर हिन्दुस्तान की जो सिलिका सैंड फैक्टरी चल रही हैं उनमें यह सप्लाई हो रहा है। एशिया में इसका तीसरा स्थान है इलाहाबाद और बांदा में 200 करोड़ रुपये की इसमें फैक्टरी लग रही है। क्या मेरे सुझाव को मानकर राज्य सरकार उसका अधिग्रहण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

यह प्रश्न पुनः माननीय सदस्य स्पष्ट कर दें।

श्री रमाकांत मिश्र—

यह हिन्दुस्तान का महत्वपूर्ण खनिज है। जो सिलिका सैंड सप्लाई करते हैं वह मात्र चार हजार रुपये वार्षिक देते हैं जबकि 200 करोड़ रुपये लागत से इलाहाबाद और बांदा सड़क पर सिलिका सैंड उत्पादन के लिए खनिज निगम ने प्रस्ताव किया था और उद्योग मंत्री ने लेटर इश्यू किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि 4 हजार रुपये वार्षिक में एक आदमी पट्टा ले और करोड़ों रुपये सरकार का उस पर व्यय होगा, इसलिये इस खनिज को सरकार क्या अधिग्रहण करेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मान्यवर, इससे पहले यह निवेदन किया गया है कि 4 हजार रुपये वार्षिक पर जो पट्टे का उपयोग हो रहा है, इसके विरुद्ध कोर्ट में केस दायर किया गया, लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, वह

शासन के विरुद्ध था, उसकी अपील की गयी और ब्यूरो आफ माइन्स में भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। शासन इस बात के लिये प्रयत्न कर रहा है कि 4 हजार रुपये वार्षिक पर पट्टे का उपयोग जो किया जा रहा है वह न हो और उससे अधिक लाभ जो हो सकता है वह हो जाय।

श्री जेन्द्र शर्मा--

क्या मंत्री जी को सूचना है कि प्रदेश में ऐसे कितने मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं और कितने समय से हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी---

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिलिका सैंड फैक्ट्री मुनि-की-रेती में कब तक लग जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, बांदा के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि उसके लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द फैक्टरी लग जाये।

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[5वें मंगल में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शारदा केनाल कार्यालय सिंचाई विभाग हरदोई में कार्यरत श्री विशेश्वर दयाल मिश्र कैशियर द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*3--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा कैनाल कार्यालय सिंचाई विभाग हरदोई में कार्यरत श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रामलाल वर्मा एवं अन्य दो तत्कालीन विधायकों का पत्र श्रीमती प्रेमवती तिवारी, भूतपूर्व राज्य मंत्री खाद्य के पत्र के साथ सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 28-9-84 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन तथ्य हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त व्यक्ति को जनपद के बाहर स्थानान्तरित कराने के बाद जांच कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों)

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भोला शंकर मौर्य)--

जी हां। कथित शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों का ब्यौरा संलग्न है। इन शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खंड शारदा नहर, हरदोई द्वारा कराई जा चुकी है।

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर को हरदोई खंड, शारदा नहर हरदोई से उन्नाव खंड, शारदा नहर उन्नाव स्थानान्तरित करने के आदेश दिनांक 22-6-85 को निर्गत किये जा चुके हैं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 139 पर।)

श्री सरदार सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच अधिशासी अभियन्ता ने की है, उसकी जांच-रिपोर्ट क्या है और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जो जांच की है, शिकायत में 10 प्वाइन्ट थे और उनके बारे में उन्होंने जो कहा है--पहले के बारे में कहा है कि इसमें कोई शिकायत सही नहीं पायी गई दूसरे और तीसरे के बारे में भी यही कहा गया है.... (व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

आय संस्तुति बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

संस्तुति में इन्होंने कहा है--इन्होंने कोई जमीन खरीदी थी 16 हजार रुपये की वह बिना स्वीकृति के खरीदी है। तो हमने कहा है, उसकी जांच करायी जाएगी, स्वीकृति नहीं लिया है तो देखा जाए कि सही पोजीशन क्या है। तो उस पर न्यायालय में केस चल रहा है। जैसा न्यायालय से फैसला होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामआसरे वर्मा--

आज की ही कार्यसूची में मेरी ओर से एक अतारांकित प्रश्न इसके सम्बन्ध में किया गया था, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो अपराधिक मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आज तक उसको निलम्बित न किये जाने का क्या करण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो सूचना है उसमें केवल यह कहा गया है कि इन्होंने बिना स्वीकृति के कोई 16 हजार रुपये की जमीन खरीदी है अपनी पत्नी के नाम से। उसके बारे में मालूम है कि कोई मुकदमा चल रहा है। माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, वह कहेंगे तो उसको देख लिया जाएगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

उसके खिलाफ धारा 325, 323 व 305 में मुकदमें दर्ज हैं, तो क्या मंत्री जी उसकी जानकारी करके उसको निलम्बित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करनें की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जानकारी करायेंगे और जानकारी होने पर अवश्य उस पर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री सरदार सिंह--

इस मामले में क्या जांचकर्ता अधिकारी ने शिकायतकर्ता माननीय सदस्यों और भूतपूर्व राज्य मंत्री श्रीमती प्रेमवती तिवारी से भी जांच करते समय कोई सम्पर्क किया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेन बात है उसमें यह कहा गया था कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, वह वहां का रहने वाला है राजनीति करता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो उसके आधार पर उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है और उसके बाद कोई ऐसी वैसी बात दिखाई नहीं दी।

श्री सरदार सिंह--

जैसी सूचना है, उसका ट्रांसफर तो कर दिया गया, लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है, उसे अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है। तो मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि वह हरदोई से कार्यमुक्त हुआ या नहीं ? यदि हुआ तो उसने उन्नाव में ज्वायन किया है या नहीं ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

कार्य मुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है, किन्तु अभी यह सूचना नहीं है कि उन्होंने वहां पर ज्वायन किया है या नहीं। वह कल ही हरदोई से कार्य मुक्त हो गये हैं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मंत्री जी का पूरा विभाग घोर भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है, जिसके चलते हमारा जिला बलिया चौपट हो गया है, वह क्या उसे रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वह नये नये सदस्य हैं, अभी इनको प्रश्न पूछना नहीं आता है। वह समझ कर पूछें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह कहना मुनासिब नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

हरदोई में काम कर रहा था और उन्नाव ट्रांसफर हुआ है, तो उस डिवीजन में हरदोई का कितना हिस्सा लगता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह क्लरिकल स्टाफ का ट्रांसफर सर्किल में होता है और उन्नाव दूसरा जिला है । अब कौन सा जिला किसमें पड़ता है, यह दूसरा प्रश्न है ।

मान्यवर, उनका स्थानान्तरण उन्नाव को, दूसरे जिले को कर दिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, उन्नाव को ट्रांसफर किया गया है लेकिन मेरा पूरा क्षेत्र उन्नाव डिवीजन से ही कवर होता है । ऐसे भ्रष्ट आदमी को वहां न भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अब काफी प्रश्न हो चुके हैं । आप कृपया बैठ जायं ।

बाराबंकी स्थित उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिल के स्वीपरों के विवाद पर हुआ समझौता

*4श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी स्थित उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिल में 28 जनवरी, 1984 को उक्त प्रतिष्ठान के स्वीपरों के विवाद पर कोई समझौता प्रादेशिक संराधन अधिकारी, फैजाबाद के समक्ष हुआ था ? यदि हां, तो उक्त समझौते की मूल प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या उक्त समझौते का अनुपालन प्रबन्धकों द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि इस मामले की जांच उ0 प्र0 के मुख्य मन्त्री के आदेश पर उप श्रम आयुक्त द्वारा की गई है ? सम्बन्धित जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री सैयद सईदुल हसन)—

दिनांक 28 जनवरी, 1984 को संराधन अधिकारी, फैजाबाद के समक्ष कोई समझौता नहीं हुआ था ।

प्रतिष्ठान के सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के विवाद के सम्बन्ध में तत्कालीन श्रम राज्य मन्त्री के आदेशानुसार उप श्रमायुक्त, लखनऊ से जांच करायी गयी थी । उप श्रमायुक्त, लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट में श्रमिकों की सेवा समाप्ति को अनुचित बताया । सम्बन्धित श्रमिकों की सेवा समाप्ति का विवाद स्वतः संदर्भ के माध्यम से अभिनिर्णय हेतु श्रम न्यायालय, लखनऊ को संदर्भित कर दिया गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित प्रतिष्ठान की तरफ से किस अधिकारी को समझौता के लिये नियुक्त किया गया । इस मामले में उप श्रमायुक्त ने जांच की और सभी श्रमिकों को निर्दोष पाया । क्या उनको तत्काल नौकरी पर वापस कराने का आदेश आप पारित करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, यह न्यायालय के विचाराधीन है । प्रतिष्ठान के जो मालिक थे उन्होंने कोई फैसला नहीं किया । उसके बाद इन्क्वायरी हुयी और इन्क्वायरी के बाद यह मामला न्यायालय को भेज दिया गया ।

श्री सुखपाल पांण्डे--

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कौन से अधिकारी ने प्रतिष्ठान की तरफ से समझौते में भाग लिया था ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

प्रतिष्ठान की तरफ से जो उनके चीफ इक्जीक्यूटिव थे उन्होंने दस्तखत नहीं किया, कोई फैसला हुआ ही नहीं था ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कई निर्दोष श्रमिकों को अधिकारियों ने नौकरी से निकाल दिया और जब जांच करायी गई तो श्रमिक निर्दोष पाये गये । तो मैं जनना चाहता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मान्यवर, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । डिप्टी लेबर कमिश्नर और हमारे अफसरों ने सेवा समाप्ति को अनुचित पाया और रेफरेंस करके इसको कोर्ट में भेज दिया । इसका फैसला कोर्ट से होगा ।

श्री सुखपाल पांण्डे--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष--

यह न्यायलय के सामने विचाराधीन है, सुखपाल पाण्डे जी ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

पूछिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि इस प्रतिष्ठान के अधिकारी गलत ढंग से मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही करके उनको प्रताड़ित करते हैं । क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध अपने स्तर से कोई कार्यवाही करने के लिये सोच रहे हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

आपके जो सुझाव आयेंगे, कम्पलेंट आयेगी तो उसको देखकर ठीक कराया जायगा ।

वेतन बढ़ोत्तरी एरियर आदि के सम्बन्ध में बाराबंकी के सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र

*5--श्री राम सागर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ोत्तरी, एरियर, जी0 पी0 एफ0 फंड एकाउन्ट ठीक कराने आदि 14 मांगों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1985 को मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक, लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता, एकादश मंडल, फैजाबाद की सेवा में भेजा है और मांगों की सुनवाई न होने पर कर्मचारी दिनांक 21 मार्च, 1985 से बाराबंकी सिंचाई मुख्यालय पर अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो शासन ने इन कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अब तक कोई विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां, परन्तु उस प्रार्थना-पत्र में केवल आठ मांगें थीं । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 21 मार्च, 1985 से कोई

अनशन नहीं किया गया बल्कि दिनांक 12 मार्च, 1985 से प्रारम्भ किया गया आन्दोलन दिनांक 29 मार्च, 1985 को समाप्त कर दिया गया। मांग संख्या 1 से 6 व 8 का पूर्ण निस्तारण किया जा चुका है। मांग संख्या 7 की पूर्ति की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सागर—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया कि कर्मचारियों की 8 मांगों में से मांग संख्या 1 से 6 व 8 की पूर्ति कर दी गयी है और 7वीं मांग के बारे में उन्होंने बताया कि उसकी पूर्ति की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सातवीं मांग है, वह क्या है और उसकी पूर्ति की दिशा में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और वह मांग कब तक माननीय मन्त्री जी पूरा करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो सातवीं मांग है, वह यह है कि तीन वर्ष तक सेवारत कर्मचारियों को स्थायीकरण किया जाय। मान्यवर, इसमें दो डिवीजन थे, एक में 86 आदमी थे, जिनके बारे में स्थायीकरण की बात कही जाती है, इसमें से 83 स्थायी किये जा चुके हैं और दूसरे डिवीजन में 40 थे, इसमें से 23 को स्थायीकरण किया जा चुका था। शेष पदों के बारे में जब स्थायी पद हो जायेंगे, तब उन पर विचार किये जायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जो पद रिक्त थे, उन पर जो स्थायीकरण कर दिया, लेकिन जो अतिरिक्त नियुक्तियां थीं, वह कैसे सम्भव हुईं, उसे किस अधिकारी ने किया ? जो वेतन अतिरिक्त नियुक्तियों में दिया गया, क्या उस वेतन को उस अधिकारी के वेतन से कटौती कराने की कृपा करेंगे, जिन अधिकारी ने अतिरिक्त नियुक्तियां की थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, नियुक्तियां तो सभी करीब-करीब अस्थायी होती हैं, उसके बाद जब स्थायी पद आ जाते हैं, तो उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। तो मान्यवर, ये टेम्पोरेरी नियुक्तियां थीं, उसके बाद स्थायी कर दिया गया। मान्यवर, जितने स्थायी पद थे, उन पर स्थायीकरण कर दिया गया और जितने स्थायी पद नहीं थे, वे नहीं हो पाये। मान्यवर, जब स्थायी पद हो जायेंगे, तो उन्हें भी स्थायी कर दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 8 महीने तक कार्य करने के बाद और उनकी सर्विस ब्रेक नहीं हुई है और वह अगले वर्ष में भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी नहीं मान सकते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों को जिनकी सर्विस तीन साल में ब्रेक नहीं हुई है, उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि स्थायी पदों के अगेंस्ट ही स्थायीकरण किये जाते हैं। जब स्थायी पद रिक्त होंगे तो उन्हें भी स्थायी कर दिया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि स्थायी पद नहीं हैं, इसलिए शेष कर्मचारी स्थायी नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री जी उन अस्थायी पदों को स्थायी करने की कृपा करेंगे, ताकि वे स्थायी हो सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जितने स्थायी पद थे, उतने कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया। मैंने पहले ही कहा कि जब स्थायी पद हो जायेंगे, तो उन्हें भी स्थायी कर दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जो लोग अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं और उनकी आवश्यकता है, तभी उनकी नियुक्ति की गयी है. तो क्या माननीय मंत्री जी स्थायी पद सृजित करके, उन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बिना स्थायी पद के स्थायी नहीं हो सकते ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर कि बाराबंकी और फैजाबाद में स्थान रिक्त हैं, जो कर्मचारी शेष बचे हैं, स्थायी नहीं हो पाये हैं, उनकी स्थायी नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने तो कहा कि जब स्थायी पद होंगे, तब उन्हें स्थायी कर दिया जायगा ।

फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी कारखानों में नाबालिग बच्चों के कठिन श्रम पर प्रतिबन्ध

*6—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच चूड़ी के गर्म कारखानों में ऊंचे तापमान की भट्टियों पर 9 साल से 12 साल की आयु के बच्चे कठिन श्रम करते हैं जो कि फिरोजाबाद के कुल श्रमिकों का 60 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या भारतीय संविधान में प्रतिबन्ध बाल श्रम कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

सर्वेक्षण के अनुसार कांच एवं चूड़ी के कारखानों में नियोजित बाल श्रमिकों की उमर लगभग 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की है । उनकी संख्या कुल श्रमिकों का 15 प्रतिशत है । यह बच्चे अधिकतर कारखानों में हल्का काम करते हैं । शासन ने इस समस्या को गम्भीर मानते हुए राज्य बाल श्रमिक परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया है जो कारखानों में इस विषय पर अध्ययन कर रही है तथा शीघ्र अपनी आख्या उपलब्ध करायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को देखें मैंने प्रश्न पूछा है ऊंचे तापमान की भट्टियों पर 9 से 12 साल की आयु के बच्चे कठिन श्रम करते हैं । मान्यवर, यह उत्तर पूरा नहीं है माननीय मंत्री जी इसका उत्तर हां या ना में दें । इन्होंने कह दिया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे काम करते हैं और यह बच्चे कारखानों में हल्का काम करते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चूड़ी के गर्म कारखानों में जो गुल्ली उठाने का काम है, वह कठिन श्रम है या हल्का श्रम है ? और उनकी उम्र क्या है ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जो उत्तर मिला वह सही नहीं है । अधिकारियों ने इन्हें भ्रमित किया है । श्रीमन् क्या मंत्री जी ऐसी कोई कमेटी बनाने का कष्ट करेंगे जो मौके पर जांच करने का कष्ट करे ? क्योंकि मंत्री जी को अधिकारियों ने भ्रमित किया है इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो मौके पर जाकर जांच करे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

बाल श्रमिकों को देखने के लिए तीन कमेटियां बनाई हैं जो बच्चों के कामों को देख रही हैं । उनकी रिपोर्ट आएगी, तो उसको देखा जाएगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने कहा है कि 9 से 12 साल तक के बच्चे गर्म भट्टियों पर कठोर श्रम करते हैं आप कहते हैं कि हल्का श्रम करते हैं ? आपने कमेटियां बनाई होंगी लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की कमेटी बनाई जाए ? मंत्री जी आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं।

श्री सैयद सईदुल हसन—

माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो इन्हें मौके पर निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ भेज दिया जाएगा, फिर यह आकर अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इतने गम्भीर मामले को इन्होंने टाल दिया माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की पीड़ा वाजिब है। बच्चे काम करते हैं यह बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। मान्यवर, बाल श्रम अधिनियम में कहा गया है कि जो छोटे मजदूर पाए जायेंगे। उनको सरकार बाल संरक्षण गृह में रखेगी वहां उनके भोजन कपड़े की व्यवस्था की जाएगी तथा पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब फिरोजाबाद में सर्वेक्षण किया गया और मंत्री जी को जानकारी मिल गई कि 15 फीसदी बच्चे ऐसे हैं जो कानून के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो उनको संरक्षण गृह में न लाकर रखने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

14 से 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे उनको मिले हैं अगर आपको शक है तो मैं कानूनी कार्यवाही कराऊंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि बाल श्रम कानून के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना अपराध है, तो जो इनसे कार्य लेते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? मान्यवर, औद्योगिक क्रान्ति यूरोप में हुई थी वहां के बच्चे अपने परिवार में आमदनी बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक डालर की बढ़ोत्तरी के लिए काम करते थे। वही बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं पूर्व में बच्चे वहां गये हैं जो छोटे-छोटे बच्चे घर से नाराज होकर निकल जाते हैं उन्हें इन लोगों के एजेन्ट फंसा लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन बच्चों से जबरिया काम लिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे बच्चों के संरक्षण की जिम्मेवारी लेंगे और जो सेवायोजन इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

कानून के खिलाफ काम करा रहे हैं तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, संरक्षण दीजिये। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है 14 साल के बच्चों से काम लिया जा रहा है तो अगर मगर की क्या बात है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे सेवायोजकों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर मैंने खुद देखा है जो जवाब आया है बिल्कुल सही नहीं है। वहां पर 8,10,11 साल के बच्चे शीशे बटोरते हैं और भट्ठी पर काम करते हैं। मेरी सूचना यह है और मंत्री के अधिकारियों की सूचना यह है। फर्क

यह बताना है कि हमारी सूचना सही मानते हैं मंत्री जी या अपने अधिकारियों की सूचना सही मानते हैं। अगर दोनों सूचनायें सही नहीं हैं तो क्या सदन के चलते माननीय मंत्री फिरोजाबाद तसरीफ ले जायेंगे स्थिति को देखने के लिये कि आया ऐसा है या नहीं। नम्बर ऐसे छोटे बच्चों के नाम कैनसिलेशन आफिस में दर्ज हैं क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग द्वारा कार्यवाही कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

बच्चों की कमेटी बनी है। वह भी इसको देखती है। इसमें क्या संशोधन किया जाय।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इसमें माननीय सदस्य नहीं हैं। अधिकारी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

सदस्यों की कमेटी बनायी जाय या आप जायें।

श्री सैयद सईदुल हसन--

आप चाहेंगे तो आपके साथ देखूंगा और जांच करवाऊंगा।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में तसलीम किया है कि वहां पर 14 से 18 वर्ष के 15 प्रतिशत बच्चे मजबूरी में काम करते हैं। मंत्री जी यह भी जानते हैं कि यह कानून का उल्लंघन है, अपराध है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कानून के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अब तक आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की है। अगर नहीं की है, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

इस प्रकार जो पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। आप चाहते हैं तो मैं खुद जाकर देख लूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष--

इतने आश्वासन के बाद ?

भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय में सहायक भू-वैज्ञानिक के क्षेत्रीय कार्य का मूल्यांकन

*7--श्री दीप नारायण (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय में प्रत्येक सहायक भू-वैज्ञानिक द्वारा किये गये क्षेत्रीय कार्य का मूल्यांकन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विशम्भर सिंह, अधिशाशी अभियन्ता मध्य गंगा नहर, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायतें एवं जांच

*8--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशम्भर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 10, बुलन्दशहर के विरुद्ध 42 मिट्रिक टन लोहे के बेचने एवं दक्षतारोक पार करने की झूठी रिपोर्ट पेश करने जैसी गम्भीर शिकायतें सन् 1984 में शासन को प्राप्त हुई थी जिसमें संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग (श्री देवेन्द्र सिंह) ने मुख्य अभियन्ता, मध्य गंगा, उ0 प्र0 सिंचाई विभाग, मेरठ को विस्तृत जांच के लिए 6 जुलाई, 1984 को लिखा था, ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यह शिकायती-पत्र शासन को सन् 1984 में प्राप्त हुआ था परन्तु इसे जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1934 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा) को नहीं भेजा गया बल्कि शासन के पत्र दिनांक 29-9-84 द्वारा भेजा गया था। यह जांच प्रगति पर है।

श्री मैनेजर सिंह--

मुझे उत्तर नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ दीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

अगले बुधवार के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

स्थगित कर दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला आदि बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय एवं शासनादेश की अवहेलना के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

*9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) द्वारा वाद संख्या 3097/79 सुरेन्द्र कुमार शुक्ला आदि बनाम राज्य सरकार में दिये गये निर्णय का अनुपालन किए जाने हेतु शासनादेश संख्या 27/2/1974 कार्मिक-2 दि0 6-10-81 जारी किया गया ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के क्या कारण हैं ? न्यायालय के निर्णय एवं शासनादेश की अवहेलना के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा उसका पूर्ण रूप से पालन किया गया है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 1979-80 की अनुसचिवीय अधिष्ठान की रिक्तियों को जिला चयन समिति लखनऊ द्वारा वर्ष 1979-80 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा गया है। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु शासन द्वारा कब और किस अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया तथा क्या माननीय मंत्री जी स्वयं सुनिश्चित हैं कि उसका अनुपालन किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने देखा कि यह जो कोर्ट का आदेश था उसको अनुपालन करने में विलम्ब हुआ है। मैंने आज ही पूछा कि क्यों विलम्ब हुआ। यद्यपि अनुपालन कर दिया गया लेकिन विलम्ब से हुआ ।

*10--श्री जयदीप सिंह बरार--

[9वें शुक्रवार में तां0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शारदा सहायक खंड 36 के लिए ग्राम शेरपुर, जिला जौनपुर के कतिपय किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान

*11--श्री जंग बहादुर--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम शेरपुर, प0 अगूली, तह0 शाहगंज

जनपद जौनपुर के किसान त्रिवेनी, रामदेव झगड़ू, रामसकल, कपिलदेव की भूमि शारदा सहायक खंड, 36 को चौड़ी बनाने में 10 वर्ष पूर्व ली गई थी, जिसका प्रतिकर अब तक भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो प्रतिकर अब तक न दिये जाने के कारण क्या है ? क्या शासन शीघ्र प्रतिकर के भुगतान की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि शारदा सहायक खंड-32 (न कि खंड 36) आजमगढ़ द्वारा ली गई थी ।

नियमानुसार भूमि अध्याप्ति न होने के कारण कृषकों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका। अध्याप्ति प्रकरण सम्बन्धित विशेष भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्रतिकर का भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा ।

श्री जंग बहादुर--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने उत्तर दिया कि भूमि ली गयी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि नियमानुकूल भूमि अधिग्रहण न करने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, उसे मैंने देखा । उसमें भूमि अधिग्रहण कार्यवाही कर देनी चाहिये थी जिसने विलम्ब किया है उसकी जांच करा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, नीतिगत मामला है आप प्रश्न देखने की कृपा करें । सामान्यतया नियम यह है कि किसी भी काश्तकार की जमीन बिना प्रतिकर दिये नहीं ली जायेगी। मान्यवर, इसमें 10 वर्ष के बाद भी उसको प्रतिकर नहीं मिला । मन्त्री जी उत्तर में जांच की बात कहते हैं, साफ-साफ यह नहीं बतायेंगे कि क्या कारण है ? इतना विलम्ब होने के बाद यदि उसको प्रतिकर नहीं मिला तो जिसने अब तक विलम्ब किया है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, कभी-कभी ऐसा होता है कि वहां के किसान कहते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर दीजिए। हमें बाद में दे दिया जाय यह बात सही है । मैं गुप्ता जी की बातों से सहमत हूं कि जब जमीन ली जाय तो उसके प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाय ।

श्री जंग बहादुर--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की भूमि 10 वर्ष पहले ली गयी और 10 वर्ष तक उनसे लगान भी लिया गया और अपने भूमि की उपज भी उनको नहीं मिल सकी । क्या माननीय मंत्री जी 10 वर्ष का लगान वापस कराने तथा 10 वर्षों के नुकसान का मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इस तरह का प्राविधान नहीं है जिस समय यह ली गयी शायद जमीन की कीमत 2-3 हजार रुपया रही होगी और आज 30-35 हजार होगी तो उस काश्तकार को आज की कीमत पर भुगतान मिलेगा ।

(शोर)

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे बहुत काश्तकार हैं जिनके भुगतान 10 वर्ष से नहीं हुए हैं और लगभग 10-12 वर्ष पहले जमीन एक्वायर की गयी है और भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। तो क्या ऐसे मामलों में जल्द निस्तारण होगा और भुगतान होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रयास है कि इस तरह की जो जमीनें ली गयी हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका भुगतान जल्द हो जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह केवल एक जगह का प्रश्न नहीं है। पूरे प्रदेश का है। मेरे जिले में चकबन्दी के माध्यम से कटौती करके रख दी गयी और इनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि यह जो 10 साल तक जमीन लेने के बाद कार्यवाही नहीं करते हैं तो क्या प्रतिकर का भुगतान मंत्री जी उस जमीन का आज के रेट से देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जिस समय से अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होती है, उस समय के रेट दिये जाते हैं। उस जगह की अधिग्रहण की कार्यवाही जिस तिथि से शुरू होगी उस तिथि के रेट दिये जाएंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आप स्वयं देखें कि यह समस्या कितनी गम्भीर है कि गरीब किसानों की भूमि 10 वर्ष पहले ले ली गयी और आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। स्वयं अभी मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रतिकर उस रेट से दिया जायगा, जिस तिथि से अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। तो अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी 4-5 साल तक चलती है, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा में संशोधन करने की कृपा करके जिस दिन अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो जाय, उस तिथि के रेट से भुगतान की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी से नहीं सिंचाई मन्त्री जी से सम्बन्धित है।

रामपुर रजा टेक्सटाइल मिल से निकाले गये कर्मचारियों की नौकरी में वापसी

*12—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर रजा टक्सटाइल मिल में सन् 1981-82 में लगभग 7 माह लम्बी चली हड़ताल में मिल मालिक द्वारा निकाले गये कर्मचारियों को सरकार नौकरी में वापस लेने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

मेसर्स रजा टेक्सटाइल्स लि0, रामपुर में वर्ष 1981-82 में कोई हड़ताल नहीं हुई। माननीय विधायक का आशय सम्भवतः वर्ष 1980-81 में दिनांक 24 नवम्बर, 1980 से 20 मई, 1981 तक प्रतिष्ठान में हुई हड़ताल से है। इस हड़ताल के फलस्वरूप 19 श्रमिक सेवा से वंचित किये गये थे। इनमें से 15 श्रमिकों को प्रबन्धकों तथा श्रमिकों की आपसी वार्ता तथा संराधन समझौते के फलस्वरूप कार्य पर लिये जाने का निर्णय लिया गया। 12 श्रमिक कार्य पर वापस आ गये परन्तु 3 श्रमिक न तो कार्य पर वापस आये और न कोई वाद ही प्रस्तुत किया।

3 श्रमिकों का विवाद श्रम न्यायालय, बरेली के समक्ष विचाराधीन है तथा एक श्रमिक के विवाद में श्रम न्यायालय

का निर्णय हो गया है जो श्रमिक के विरुद्ध है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जिस तरह से पहले जवाब आए हैं, उसी तरह का यह भी जवाब है । यह सूचना सही नहीं है कि 12 श्रमिक निकाले गये थे । तकरीबन 50 श्रमिक निकाले गये थे, जो उसी समय हड़ताल खत्म होते ही निकाल दिये गये थे । मिल मालिकान ने एक नया तरीका अख्तियार किया कि जो मजदूर काम पर रखे गये तकरीबन एक हजार, मजदूरों को मुस्तकिल की जगह आरजी में शामिल कर लिया । उन्हें हफ्ते में एक दो दिन काम पर लेना बन्द कर दिया, नतीजा यह हुआ कि वे मुस्तकिल से टेम्परेरी हो गये । क्या मंत्री जी के पास ऐसी कोई सूचना है कि हड़ताल के बाद शोषण हुआ और मजदूर काम से निकाले गये । वहां श्रम विभाग में जो मुकदमे लगे हुए हैं, इन तीन मुकदमों में से एक मजदूर मर चुका है, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि मजदूरों के मरने से पहले इन मुकदमों का फसला हो जाय, तीसरी बात यह कि वहां चार साल पहले यह हड़ताल हुई थी, उस समय 47 रुपये की वेतन बढ़ोत्तरी हुई थी । तब से अब तक चार साल में महंगाई बढ़ गयी, बढ़कर ढाई गुना हो गयी है । मिल मालिक की पूंजी में वृद्धि हो गयी है, कपड़े की कीमत बढ़ गयी है, लेकिन मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी है । 4 साल पहले जो मामूली तनख्वाहों में वृद्धि हुई थी, उसके मुकाबले में आज महंगाई ढाई गुने बढ़ गयी है । तो, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसा रुख अख्तियार करेंगे जिससे कि नयी हड़ताल का कोई वाकिया पेश न आये और मजदूरों की तनख्वाह बढ़े ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

जिन मजदूरों को निकाले जाने की बात माननीय सदस्य ने कही है, उसकी इन्क्वायरी करा लेंगे । दूसरे माननीय सदस्य ने यह जो फैसले जल्दी होने की बात कही है, फैसले जल्दी हो जायं इसके भी आदेश कर देंगे और जो बातें उन्होंने कही हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि वे इस बारे में कोई सुझाव देंगे, तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहूंगा कि यहां की हालत नाजुक है ।

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने कह दिया कि आप मिल कर कोई सुझाव दें, तो उस पर विचार करेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

4 साल पहले जो हड़ताल हुई थी, उसमें 47 रु० बढ़े थे । आज महंगाई ढाई गुना बढ़ गयी है, मजदूर उस उजरत में कैसे काम करें । अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फिर वे मजबूर हो जायेंगे हड़ताल के लिये और फिर यह मिल 7 महीने के लिये बन्द हो जायेगी ।

श्री सैयद सईदुल हसन—

47 रु० जो पहले बढ़े थे, उसमें नवाब दादा साहिब आरबीट्रटर थे, और दोनों पक्षों के विचार-विमर्श से यह हुआ था । मैंने आपसे कहा कि अगर आप मिल-बैठकर कोई सुझाव देंगे तो उस पर बात की जा सकती है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

इसमें निर्णय में देरी हुई तो फिर यह मिल बन्द होगी । इससे कितना नेशनल लास होगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस तरह के विवाद बहुधा देखने को मिलते हैं। क्या मंत्री जी श्रम कानून और श्रम न्यायालय की कार्य पद्धति के सरलीकरण का आश्वासन देंगे। ताकि उनके मुकदमें का निस्तारण कम से कम समय में हो जाय। या कोई टाइम बाउन्ड पद्धति लागू करने का कष्ट करेंगे कि इन मुकदमों का निपटारा 6 माह में अथवा एक साल के अन्दर अवश्य होना चाहिये ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

आप जो सुझाव देंगे, उस पर विचार करेंगे।

राप्ती नदी के उथली होने से बाढ़ में वृद्धि

*13--श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि राप्ती नदी बस्ती जिले से हो कर गोरखपुर जिले के बीच अत्यधिक उथली हो गई है जिसके कारण बाढ़ की भयंकरता और बढ़ गयी है ? क्या सरकार इस नदी की खुदाई करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य--

जी नहीं। नदी के उत्थले होने का कोई संकेत नहीं है और जहां तक बाढ़ की भयंकरता का प्रश्न है, यह प्रतिवर्ष के अधिक या कम होने पर निर्भर करता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राप्ती नदी में वर्ष 1983-84 में कितना क्यूसेक पानी बहा है और राप्ती नदी से निकलने वाली जितनी नहरे हैं, इस अवधि में कितना क्यूसेक पानी उसमें निकला है तथा एक वर्ष में इन नहरों की डिसिल्टिंग कराने में सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय हरीश जी की जो चिन्ता है, वह सही है। नेपाल के केचमेंट एरिया का पानी राप्ती और बढ़ी राप्ती में कभी-कभी इतना ज्यादा आ जाता है कि कन्ट्रोल के बाहर हो जाता है। बांध भी बेकार हो जाता है। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या है और यह चिंता का विषय है। लेकिन, इसके लिए हम नेपाल सरकार से बात कर रहे हैं। बात भी चल रही है बांध बनाने के लिए। लेकिन जब तक वह बांध बन नहीं जाता, तब तक यह समस्या है। इसके समाधान के लिए हम लोग चिन्तित हैं। माननीय, सदस्य ने जो कहा कि सिल्टिंग होती है, यह बात सही है। जब पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, सिल्ट बह भी जाता है। जो छोटी-छोटी सहायक नदियां हैं, उसमें जो सिल्टिंग हो जाती है, यह एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय श्री जय सुखलाल हाथी, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था और जिसके मन्त्री श्री गनीखान चौधरी जी थे। उस बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 43 पर लिखा है "इन मेनी आफ केसेस फ्लडिंग इज काज्ड बाई रीवर ओवर-सिल्टिंग इट्स बेंक। दिस कैन बी ड्यू टु एक्सिसिव परसिपिटेशन।" इसका अर्थ यह है कि अधिकतर मामलों में बाढ़ का कारण नदी के तटबन्धों से जल का फैलाव है। इसका कारण नदी के जल में घुले हुए पदार्थों का निरन्तर उस जल में बैठना है। मान्यवर, इस रिपोर्ट के तहत माननीय मन्त्री जी

से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह राप्ती नदी के जल में जो सिल्ट बैठ रही है, उसके सम्बन्ध में जांच बैठाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने खुद कहा और आप भी जानते हैं कि हमारे बहुत से जंगल कट गये। जो घास चराई के लिए होती थी, वह घास भी साफ हो गई है, वहां पर खेती होने लगी है। सिल्टिंग ज्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिल्टिंग को नदी से दूर करना बहुत कठिन चीज है और जिस पर अपार रुपया खर्च होगा। हमारे पास बंधा बनाने व नहर बनाने के लिए तो पैसा नहीं है। माना हमने सिल्टिंग दूर करने का प्रयास किया, मालूम पड़ा कि उसमें फिर सिल्ट आ गई। इसे हम नहीं कर पायेंगे और न ही यह सम्भव है।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर अत्याधिक शोर।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि नेपाल का पानी चला आता है, सही है। हम सीमा पर रहते हैं, इसलिए जानते हैं कि हमारे देश और नेपाल के सम्बन्ध बहुत मधुर नहीं हैं। जिस प्रकार राय साहब ने गण्डक को गोदावरी से सीधा जोड़ने के प्राविधान के बारे में बताया था उसी प्रकार राप्ती को घाघरा के साथ जोड़कर बहराइच या गोंडा के पास एक फाटक लगा दिया जाय, जिससे हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जो हर साल बह कर चली जाती है, वह बच सके। इस पर खर्च भी एक अरब रुपया आयेगा। क्या माननीय मन्त्री जी राप्ती को घाघरा के साथ जोड़ने के मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य, बस्ती ने खुद कहा। उन्होंने इसका इस्टीमेट किस हिसाब से लगा लिया कि इस पर एक अरब रुपया लगेगा। 1 अरब रुपया उन्होंने बताया, लेकिन हमारे पास हर साल बाढ़ के काम के लिए 15–20 करोड़ रुपया मिलता है, एक अरब रुपया खर्च कर देंगे, यह सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

शारदा सहायक फीडर चैनल से कतिपय जिलों में उत्पन्न सीपेज समस्या का समाधान

*14—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक फीडर चैनल (इन्दिरा नहर) से उत्पन्न तथा सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर के हजारों किसानों की भूमि को प्रभावित करने वाली सीपेज समस्या के समाधान के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत सीपेज से प्रभावित क्षेत्र के सुधार हेतु विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं, जैसे छिछले नालों को गहरे नालों से मिलाया जाना, नालों से प्राकृतिक या अप्राकृतिक रुकावटों को दूर करना, प्रत्येक नहर की टेल को नाले से मिलाना तथा जहां नालों में कंकड़ या कड़ी मिट्टी के कारण खुदाई न होना उसको पूरा खोदना। इसके अतिरिक्त पक्की

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

गूलों की मरम्मत का कार्य समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। सड़कों और रेलों के पुलों के फर्श को नीचा किया जा रहा है, नहरों में चिकनी मिट्टी डाली जा रही है तथा नहरों को रोस्टर से चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स प्लाईवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर के श्रमिकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र एव उस पर कृत कार्यवाही

*15--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स प्लाइवुड प्रोडक्ट सीतापुर के नियोजित श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 27 जून, 1984 जिसकी प्राप्ति की सूचना श्रम विभाग के संयुक्त सचिव (श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी) द्वारा अपने पत्र संख्या अर्द्धशासकीय 79 (1) (एम) (एच0 आई0)/36-2-69 एम0 एस0 एम0/84, दिनांक 23 जुलाई, 1984 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गयी है, के सम्बन्ध में क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

जी हां।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पत्र में मेसर्स प्लाइवुड प्रोडक्ट्स, सीतापुर के श्रमिकों की छः मांगों का उल्लेख किया गया है। प्रथम मांग प्लाईवुड उद्योग में नियोजित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है। इस सन्दर्भ में सूचनीय है कि शासनादेश संख्या 1699/36-3-23 (एम डब्लू)-83, दिनांक 6-8-1984 द्वारा प्लाइवुड उद्योग में नियोजित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गयी है। दूसरी मांग प्रतिष्ठान में सभी श्रमिक कानून को लागू कराने के सम्बन्ध में है। स्थिति यह है कि प्रतिष्ठान में प्लाईवुड उद्योग से सम्बन्धित सभी श्रमिक कानून लागू होते हैं तथा प्रतिष्ठान का समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण भी किया जाता है। तीसरी मांग अवकाश के दिनों में मजदूरी की कटौती बन्द कराने के विषय में है। इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि प्रतिष्ठान में सभी कर्मचारी मासिक वेतन भोगी एवं दैनिक दर पर हैं। अतः नियमानुसार साप्ताहिक छुट्टी के दिन का अलग से भुगतान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। चौथी और पांचवीं मांग आकस्मिक श्रमिकों को सेवा से न हटाने व 60 दिन कार्य कर लेने पर इन्हें स्थायी करने के सम्बन्ध में है। इस सन्दर्भ में सूचनीय है कि प्रतिष्ठान में स्थायी कार्य के लिए स्थायी श्रमिक तथा आकस्मिक कार्य के लिए आकस्मिक श्रमिक नियोजित किये जाते हैं। आकस्मिक श्रमिकों को कार्य के उपरान्त हटा दिया जाता है। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि 60 दिन तक कार्य कर लेने के उपरान्त इन्हें स्थायी कर दिया जाय। जहां तक सेवा से निकाले गये 35 मजदूरों को कार्य पर वापस लेने सम्बन्धी छठी और अन्तिम मांग का प्रश्न है, इनका मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

हथकरघा निगम द्वारा निजी इकाइयों से माल क्रय करने के कारण निगम की बन्द इकाइयां

*16--श्री फजलुल बारी--

क्या उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि एक अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक हथकरघा निगम ने लगभग 5 प्रतिशत माल निगम द्वारा स्थापित काम्पलेक्स से खरीदा और लगभग 95 प्रतिशत माल निजी इकाइयों से क्रय किया जिसकी वजह से निगम द्वारा

स्थापित 99 प्रतिशत इकाइयां बन्द हो गयीं ? यदि हां, तो उन इकाइयां को दुबारा चालू करने के लिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

हथकरघा निगम ने लगभग 15 प्रतिशत माल निगम द्वारा स्थापित कम्पलेक्स से खरीदा और शेष 85 प्रतिशत माल सघन हथकरघा विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिकृत बुनकरों से क्रय किया गया।

कुल 203 स्थापित इकाइयों में से केवल 34 इकाइयां कार्यरत हैं शेष इकाइयां कार्यशील पूंजी के अभाव में उत्पादन नहीं कर पायी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्यशील पूंजी की सहायता उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर सम्पर्क कर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरयू नहर निर्माण खंड प्रथम में टिब्यूलर ट्रेसेस की अनियमित खरीद के सम्बन्ध में श्री राम कुमार अवस्थी का टेलीग्राम

*17--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरजू नहर निर्माण खंड प्रथम फैजाबाद, गोंडा (बलरामपुर) एवं बस्ती उ0 प्र0 में वर्ष 1983 में कितनी मात्रा में टिब्यूलर ट्रेसेज की खरीद की गई है और इस खरीद में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम कुमार अवस्थी, भा0 कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद ने कोई टेलीग्राम दिनांक 27-10-83 को माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं सिंचाई सचिव को भेजा था ? क्या इसी सन्दर्भ में जिला अधिकारी, फैजाबाद एवं मुख्य अभियन्ता, सरजू नहर, फैजाबाद को दिनांक 24 जुलाई, 3 अगस्त एवं 17 सितम्बर, 1983 को कोई पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो इन शिकायती पत्रों के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं और शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सरयू नहर खंड प्रथम, फैजाबाद, गोंडा (बलरामपुर) एवं बस्ती, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1983 में 10 टिब्यूलर ट्रेसेस की खरीद की गई । इस खरीद में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम कुमार अवस्थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं सिंचाई सचिव को भेजा गया टेलीग्राम दिनांक 27 अक्तूबर, 1983 एवं उनके पत्र दिनांक 24 जुलाई, 3 अगस्त एवं 17 सितम्बर, 1983 के पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री अवस्थी के दिनांक 21-7-83 एवं 16-9-83 के पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें ट्रेसेस आपूर्ति के सम्बन्ध में अनियमितता के आरोप थे । जो जांच के पश्चात् असत्य पाये गये ।

मौजा मेवापुर मुताल, जिला फैजाबाद में राजकीय नलकूप की व्यवस्था

*18--श्री रमेश यादव--

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा मेवापुर मुताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में कोई राजकीय नलकूप नहीं है तथा उक्त मौजे की सैकड़ों एकड़ जमीन असिंचित पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मौजे में एक राजकीय नलकूप की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

यहां का वाटरवियरिंग स्ट्रेटा अनिश्चित् है । अतः केन्द्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, लखनऊ को इस क्षेत्र का अन्वेषणात्मक छिद्रण करने हेतु लिखा गया है । इस छिद्रण के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही इस क्षेत्र में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा ।

अभ्युदय पेपर मिल, फैजाबाद में प्रदूषण निरोधक मशीन लगाने के निर्देश

*19—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभ्युदय पेपर मिल, जनपद फजाबाद में शासन द्वारा चालू करने के लिए जब लाइसेन्स दिया गया तो जल प्रदूषण के लिए आवश्यक मशीन लगाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मशीन लगायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उपरोक्त मिल के मालिक को तुरन्त निर्देश देंगे, जिससे कि जल प्रदूषण रोका जा सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया की औद्योगिक इकाइयों को कतिपय कारणों से हो रही आर्थिक हानि

*20—श्री प्रदीप माथुर—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया साइट 'ए' की औद्योगिक इकाइयों को ड्रेनेज व्यवस्था, बैंक से वर्किंग कैपिटल एवं विद्युत् न मिलने के कारण तथा अन्य सम्बन्धित कठिनाइयों के कारण 31 मार्च, 1985 तक कुल कितनी आर्थिक हानियां हो चुकी है ? इन समस्याओं के निपटारे के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मथुरा इंडस्ट्रियल एरिया साइट 'ए' की औद्योगिक इकाइयों की कतिपय कठिनाइयों के कारण कुछ हानियां अवश्य हो चुकी हैं, परन्तु उनका आंकलन करना कठिन है । इन समस्याओं के निपटाने के लिए जिला मंडल तथा शासन स्तर पर बैठकें कर आवश्यक निर्णय लिये गये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी-गढ़वाल में मरोड़ा बांध कार्यालय के भवनों की उपयोगिता

1—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत मरोड़ा बांध कार्यालय के भवनों की मरम्मत करवाकर उन्हें उपयोग में लाने का निर्णय जिला सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में कब लिया गया था और अब तक विभाग द्वारा इन भवनों की उपयोगिता के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सत्य है कि इन भवनों में से एक भवन पर किसी ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो इस भवन को खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत मरोड़ा बांध स्थल पर दो आवासीय भवनों में से एक को निरीक्षण भवन के रूप में परिवर्तन करने के लिये दिनांक 26-4-82 की बैठक में सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा निर्णय लिया गया था ।

ये भवन इतने क्षतिग्रस्त हो गये हैं कि वे केवल मरम्मत कराकर निरीक्षण भवन में बदलने के लिये अनुपयुक्त हैं । इसके अतिरिक्त इन भवनों के पास विभाग के कोई कार्य नहीं हैं, जिनके निरीक्षण हेतु निरीक्षण भवन का निर्माण

कराया जाय । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

एक भवन पहले बेसिक प्राइमरी स्कूल हेतु शिक्षा विभाग के कब्जे में था परन्तु वह अब खाली है । इस समय कोई भवन अनधिकृत कब्जे में नहीं है ।

उद्योग नगर, फिरोजाबाद में कार्यरत चूड़ी कांच की फैक्ट्रियों को आवंटित कोयला

2--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में वर्ष 1984 में चूड़ी कांच की कितनी फैक्ट्रियां कार्यरत थी और कितनी फैक्ट्रियों को कोयला वर्ष 1984 में आवंटित हुआ ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

वर्ष 1984 में फिरोजाबाद में चूड़ी कांच की 141 इकाइयां कार्यरत थीं और इन्हीं 141 इकाइयों को कोयला आवंटित किया गया ।

जैन इण्टर प्राइज औद्योगिक आस्थान, फिरोजाबाद द्वारा प्राप्त कोयले की ब्लैक में बिक्री

3--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जैन इण्टरप्राइज औद्योगिक आस्थान, फिरोजाबाद को 23 मार्च, 1985 को 450 मी0 टन, 8 बाक्स कोयला प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त फैक्ट्री ने इस कोयला को ब्लैक में अधिकारियों की देखरेख में बेचा और फैक्ट्री बन्द है ? यदि हां, तो जांच कराकर कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सर्वश्री जैन इण्टरप्राइजेज को 22 मार्च, 1985 को 8 बाक्स 18 वैगन कोयला प्राप्त हुआ । उद्योग विभाग ने इकाई को प्राप्त कोयला की सदुपयोगिता की जांच करने पर पाया कि इकाई ने कोयले का दुरुपयोग कर लिया है । अतः 6 अप्रैल, 1985 को इकाई को कोयला की आपूर्ति निरस्त कर दी गई ।

इकाई के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की गयी है ।

मथुरा जनपद में पवित्र कुण्ड क्षीर सागर एवं मानसी गंगा का जीर्णोद्धार एवं अन्य योजनाएं

4--श्री सरदार सिंह तथा श्री कुशलपाल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में बल्देव स्थित पवित्र कुण्ड क्षीर सागर व गोवर्धन स्थित मानसी गंगा का जीर्णोद्धार कर उसमें शुद्ध ताजा पानी डालने व निकालने की योजना पर शासन सर्वेक्षण करा चुका है ? यदि हां, तो इन योजनाओं पर शासन कब से कार्य शुरू करने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मथुरा जनपद के अन्तर्गत बलदेव स्थित पवित्र कुण्ड क्षीर सागर के जीर्णोद्धार एवं उसमें शुद्ध जल भरने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत 1.00 कि0 मी0 लम्बी पाइप लाइन बनाने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव के पारित होने व जिला प्रशासन द्वारा धन आबंटन होने पर कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

मानसी गंगा गोवर्धन कस्बे में स्थित है इसकी जीर्णोद्धार की योजना का संबंध नगरपालिका, गोवर्धन से है ।

मानसी गंगा में गोवर्धन स्केप द्वारा पानी भरा जाता रहा है। मानसी गंगा में जल प्लावन उत्पन्न होने पर वर्ष 1983 में उसकी निकासी हेतु मानसी गंगा ड्रेनेज कट की स्वीकृति ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत की गयी थी। इसका निर्माण वर्ष 1984 में करा दिया गया है। स्केप का जीर्णोद्धार भी करा दिया गया है।

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक, शारदा कैनाल, हरदोई द्वारा अनियमित भूखन्ड खरीद की जांच

5--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक, शारदा कैनाल कार्यालय, हरदोई ने नवम्बर, 1983 में अपनी पत्नी के नाम से कोई भूखंड रु0 16,000 में खरीदा है ? क्या उन्होंने इसकी सूचना नियमतः अपने विभाग में दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर राज्य कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध किये गये कृत्य के लिए इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। श्री विशेश्वर दयाल मिश्रा, लिपिक, शारदा नहर खंड, हरदोई ने अपनी पत्नी के नाम नवम्बर, 1983 में एक भूखंड खरीदा है जिसकी सूचना विभाग को नहीं दी थी। प्रकरण प्रकाश में आने पर पूर्ण तथ्यों एवं धन की उपलब्धता हेतु श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। मामले की जांच करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, हरदोई खंड, शारदा नहर, हरदोई को निर्देशित कर दिया गया है। जांच पूर्ण होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

हरदोई जनपद के सिंचाई विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत लिपिकों तथा कैशियरों का स्थानान्तरण

6--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के सिंचाई विभाग (शारदा कैनाल) के कार्यालय में कितने लिपिक/कैशियर ऐसे हैं जो इसी जनपद में 10 वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं ? उनके नाम क्या हैं ? क्या सरकार उन्हें किसी दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हरदोई खंड, शारदा नहर, हरदोई में निम्नलिखित 10 लिपिक/कैशियर हैं जो उसी जनपद में 10 वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं :--

क्रम-सं0	लिपिक का नाम एवं पद	खंड में कार्यरत रहने की तिथि
1	सर्वश्री जिबराखन लाल, वरिष्ठ लिपिक	28-7-72
2	,, विशेश्वर दयाल मिश्र, वरिष्ठ लिपिक	1-10-64
3	,, गया लाल यादव, वरिष्ठ लिपिक	5-8-72

क्रम-सं0	लिपिक का नाम एवं पद	खंड में कार्यरत रहने की तिथि
4	सर्वश्री बृज किशोर द्विवेदी, कनिष्ठ लिपिक	16-5-73
5	,, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	24-8-69
6	,, हरि किशोर, कनिष्ठ लिपिक	1-12-72
7	,, विफायत उल्ला अंसारी, कनिष्ठ लिपिक	10-1-73
8	,, राम प्रकाश मिश्र, कनिष्ठ लिपिक	22-2-73
9	,, ओम प्रकाश बाजपेई, कनिष्ठ लिपिक	7-8-74
10	,, सुल्तान, कनिष्ठ लिपिक	26-7-72

लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण अपने गृह जनपद से बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किये जाते हैं। अतः यदि उक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण आवश्यक समझा जायेगा तो, यथा समय विचार कर लिया जयेगज

जनपद हरदोई में लिपिकों का कैशियर पद पर प्रोन्नति एवं आरक्षण कोटा

7--श्री सरदार सिंह--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि हरदोई जनपद में जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक कितने लिपिक कर्मचारियों को कैशियर पद पर प्रोन्नति की गयी ? इसमें क्या मापदंड अपनाया गया ? क्या कैशियर पद पर आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इस समय कौन-कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 तक हरदोई खंड, शारदा नहर, हरदोई में निम्नलिखित दो लिपिकों से कैशियर का कार्य लिया गया था :--

1--श्री बाबू राम शर्मा.. वरिष्ठ लिपिक 1/82 से 7/83 तक

2--श्री सुरेश पाल .. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक 8/83 से 12/83 तक

सिंचाई विभाग में खंड स्तर पर कैशियर का पद लिपिकीय पदों में से ही एक पद है और जो किसी भी वरिष्ठ लिपिक को सौंपा जा सकता है। कैशियर पद पर किसी लिपिक की प्रोन्नति नहीं होती है। केवल जो लिपिक अपने कार्य के साथ कशियर का कार्य करता है, उसे कशियर का एलाउन्स मिलता है। इसमें प्रोन्नति तथा कोटे का कोई प्राविधान नहीं है और न ही कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है।

1/84 से श्री विशेश्वर दयाल मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक अपने कार्य के साथ-साथ कैशियर का कार्य कर रहे हैं। इन्हें अब हरदोई से उन्नाव स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिनांक 22-6-85 को निर्गत किये जा चुके हैं।

बाराबंकी जिलान्तर्गत डूडो ड्रेन की खुदाई

8--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिलान्तर्गत सीवेज नियन्त्रण हेतु डूडो ड्रेन की खुदाई की स्वीकृति कब

प्रदान की गयी तथा अभी तक इस ड्रेन की खुदाई पूरी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

डूडो ड्रेन का लम्ब छिन्नक नवम्बर, 1979 में स्वीकृत किया गया था ।

प्रश्नगत ड्रेन के निर्माण का कार्य कृषकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जाने एवं सीमित वित्तीय साधनों के कारण पूर्ण नहीं कराया जा सका ।

राज्य सरकार का बकाया आबकारी शुल्क एवं बकायेदारों की सूची

9--श्री सरदार सिंह--

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 31 मार्च, 1984 तक राज्य सरकार की आबकारी शुल्क की करोड़ों रुपये की धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो क्या शासन 10 हजार से ऊपर के बकायेदारों की जिलेवार सूची बनाने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन ने इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

दिनांक 31 मार्च, 1984 को राज्य आबकारी अनुज्ञापन शुल्क का 8.53 करोड़ रुपया बकाया था जिसमें से 3.36 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों तथा अन्य प्रशासनिक आदेशों से स्थगित है ।

दस हजार रुपये से ऊपर के बकायेदारों की जिलेवार सूची 37 पृष्ठों में काफी बड़ी है । इसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन ने इसकी वसूली के लिए समस्त जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं । इसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं । परिणाम स्वरूप वर्ष 1984-85 में 87 लाख रुपये के पुराने बकायों की वसूली हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10--श्री सरदार सिंह--

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के थनगड़ चोपड़ा नहर के विस्तार पर हुआ व्यय

11--डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद पौड़ी-गढ़वाल के थनगड़-चोपड़ा नहर का खाण्डासैंण तक विस्तार कब किया था और इस कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ? क्या यह सत्य है कि इस नहर के विस्तार से ग्राम खाण्डा के हरिजनों की अभी तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्च, 1984 में चोपड़ा नहर का विस्तार खण्डासैंण तक पूर्ण कर लिया गया है ।

मई 1985 तक 1.13 लाख रुपया व्यय किये जा चुके हैं ।

उक्त नहर, शीर्ष से 0.80 किलोमीटर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के मरोड़ा ब्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण खाण्डासैंण ग्राम के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है । इसके लिये कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

डाइरेक्ट्रेट आफ माइनिंग द्वारा 1984 में नियुक्त लिपिक एकाउन्टेन्टस की सूची

12--राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्ट्रेट आफ माइनिंग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1984 में लिपिक एकाउन्टेंट के पद पर कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयीं ? इन नियुक्तियों में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों क्या मंत्री जी नियुक्त व्यक्तियों की सूची नाम व पते सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में वर्ष 1984 में कनिष्ठ लिपिक/टंकक के 6 पदों पर नियुक्तियां की गईं। एकाउंटेंट के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई।

नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की गई, अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा ली गई तथा निर्धारित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया गया। चुने गये पांच अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। शेष एक पद पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा योजन करने की नियमावली के अधीन नियुक्ति की गई।

जी हां। आरक्षित कोटा पूरा किया गया।

नियुक्त व्यक्तियों की सूची, नाम, पता निम्नवत् है :--

1--श्री एस0 पी0 सिंह, इन्दिरा नगर कालोनी, लखनऊ।

2--श्री रविराज (अनुसूचित जाति) 59-बड़ी लालकुर्ती बाजार छावनी, लखनऊ।

3--श्री बाल चन्द्र पुत्र स्व0 श्री किशन प्रसाद (मृतक चपरासी) बाबूगंज, लक्ष्मण प्रसाद बिल्डिंग, लखनऊ।

4--श्रीमती चन्द्रावती सिंह, पत्नी श्री मोहन सिंह, पम्पिंग स्टेशन, नगर महापालिका मुसाहब गंज, लखनऊ।

5--श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, द्वारा श्री एस0 सी0 एल0 श्रीवास्तव, सर्वोदय नगर, लखनऊ।

6--श्री रतिपाल सिंह राठौर, सी-1029/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

अकबरपुर कताई मिल के सम्बन्ध में भू0 पू0 विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र

13--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 विधायक प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 26-2-84 जो अकबरपुर कताई मिल के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वह मूल पत्र क्या है उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 26-2-84 प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य कताई मिल बाराबंकी के कतिपय सेवा मुक्त मजदूरों के मामले की जांच

14--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी स्थित राज्य कताई मिल में 26 दिसम्बर, 1983 व 26 जनवरी, 1984 में कुछ श्रमिक व सफाई मजदूर प्रबंधकों द्वारा सेवामुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध

में माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश पर उप श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा माह अप्रैल, 1984 में कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो वह सम्पूर्ण जांच सदन के पटल पर रखते हुये क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबंधकों द्वारा उक्त सेवा मुक्त श्रमिकों व स्वच्छकारों पर क्या-क्या अनियमितता बरतने का आरोप पाया गया है और अब तक वे सेवा में क्यों नहीं लिए गए ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 व 26 जनवरी 1984 को बाराबंकी इकाई के किसी भी श्रमिक की सेवायें समाप्त नहीं की गई थी । बाराबंकी इकाई के यद्यपि 9 सफाई श्रमिकों की सेवायें दिनांक 27 जनवरी, 1984 को तथा 7 अन्य श्रमिकों की सेवायें दिनांक 8 फरवरी, 1984 को समाप्त की गई थी।

जी हां, इस विषय में उप श्रमायुक्त लखनऊ द्वारा जांच की गई थी ।

इन श्रमिकों के विरुद्ध अवैधानिक हड़ताल करने, उच्च अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं मारपीट करने के आरोप थे ।

इन श्रमिकों की सेवायें समाप्ति का विवाद शासन द्वारा श्रम न्यायालय को अभिनिर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया है जहां अभी कार्यवाही लम्बित है ।

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल बाराबंकी के प्रबन्धकों द्वारा मांगा गया अधिवास प्रमाण-पत्र

15--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-4-84 को यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल बाराबंकी के प्रबन्धकों द्वारा समस्त कर्मचारियों से जो बाराबंकी जनपद का निवासी होने का दावा करते हैं के प्रमाण को मांगे जाने की नोटिस नोटिसबोर्ड पर लगाई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के प्रमाण की मांग मुख्य मन्त्री द्वारा अपनी अध्यक्षता में एक बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर की गई थी ? यदि हां, तो अब तक संबंधित मिल व अकबरपुर कताई मिल के कितने लोग स्थानीय होने का प्रमाण दे चुके हैं ? क्या वह प्रमाण पत्र कुटुम्ब रजिस्टर व नगरपालिका द्वारा स्थायी निवासी होने के प्रमाण-पत्र पर आधारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां ।

जी नहीं । उक्त प्रकार के प्रमाण की मांग मिल के प्रबन्धकों द्वारा अपनी जानकारी हेतु की गई थी ।

बाराबंकी मिल के संबंध में सूचना शून्य है । अकबरपुर कताई मिल में इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र कर्मचारियों से नहीं मांगा गया था । बाराबंकी इकाई में यह प्रमाण-पत्र कुटुम्ब रजिस्टर, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी, नगर पालिका अथवा पंचायताधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर मांगा गया था ।

राज्य कताई मिल कं0 नं0 1 लि0 अकबरपुर में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या

16--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कताई मिल कं0 नं0 1 लि0 अकबरपुर, जिला फैजाबाद प्रतिष्ठान में कुल कितने श्रमिक, कर्मचारी व अन्य अधिकारियों की संख्या है और उसमें अलग-अलग कितने आरक्षित व्यक्तियों की संख्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी (नं0 1) लि0 अकबरपुर, जिला फैजाबाद

में 2538 श्रमिक (ट्रेनी सहित), 98 कर्मचारी तथा 49 अधिकारी हैं। उनमें आरक्षित व्यक्तियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की संख्या निम्न प्रकार है :--

श्रमिक (ट्रेनी सहित)	448
कर्मचारी	7
अधिकारी	..

कताई मिलों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में गठित कमेटी के निर्णय

17--श्री सुखपाल पान्डेय तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मन्त्री, उ0 प्र0 ने 25 मार्च, 1984 को उनके आवास पर किन्हीं विधायकों द्वारा कताई मिलों में अनियमित भ्रष्ट पक्षपात पूर्ण कार्यों व बाहरी व्यक्तियों को लेकर आमरण अनशन करने पर कोई उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा उनकी मांगों पर विचार करने के लिए घोषित की थी ? यदि हां, तो उक्त कमेटी में कौन-कौन लोग थे व किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया और क्या-क्या निर्णय हुये थे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं, विधायकों द्वारा अनशन करने पर किसी उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा उनकी मांगों पर विचार करने के लिए नहीं की गई थी। किन्तु अनशन के समय उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में 20-4-84 को मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में टिप्पणी संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 140 पर।)

18--श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पांडे--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

19--श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पांडे--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

अकबरपुर कताई मिल द्वारा छपाई आदि कार्यों हेतु किया गया भुगतान

20--श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पांडे--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 व उससे पूर्व उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित सूती कताई मिल, अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने कृष्णा डाइनेस्टी प्रिन्टिंग प्रेस को कितना और कौन-कौन सा काम तथा कितना धन छपाई के लिए दिया गया था ? क्या उक्त कामों के लिए प्रबंधकों ने अन्य छपाई खाने से भी कोटेशन/टेंडर मांगे थे ? यदि हां, तो किन-किन से और कब-कब ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--?

कृष्णा डाइनेस्टी प्रिन्टिंग प्रेस को अकबरपुर कताई मिल द्वारा वर्ष 1983-84 तथा उसके पूर्व (वर्ष 1982-83) में निम्न विवरण के अनुसार छपाई का कार्य दिया गया था :--

क्रम-संख्या	छपाये गये सामान का विवरण	छपाये गये सामान की संख्या
	1982-83	
1	एम0 आई0 एस0 बुक	20
2	बलेन्स शीट 17"×27"	4
3	प्रोफिट लास एकाउन्ट रजिस्टर	3
4	डेली रीलर प्रोडेक्शन रजिस्टर	10
5	वेज रजिस्टर	10
6	डेलीरिंग फ्रेम स्पेशल वर्क प्रोडक्शन रजिस्टर	5
7	डेली प्रोडक्शन आफ पैकिंग सेक्शन रजिस्टर	18
8	बैग एण्ड बेल पैकिंग रजिस्टर	30
9	डेली शिफ्ट वाइज रीलिंग/वाइंडिंग प्रोडक्शन रजिस्टर	3
10	कैश रिसीप्ट बुक वर्ष 1982-83 में उपरोक्त छपाई के कार्य के लिये रु0 1718.00 का भुगतान किया गया था	6
	वर्ष 1983-84	
1	वर्क पेमेन्ट पैड	50
2	चालान फार सेल	100
3	इन्टरम्पुनीकेशन पैड	10
4	इन्क्वायरी पैड (आन जे0 के0 वार्ड पेपर)	19
5	अलग-अलग काउन्टर्स के कौन लेविल	14 लाख
6	कैश बाउचर 100 पेज	30 पैड
7	कैश वाउचर पैड (जे0 के0 बाण्ड)	30
8	परिचय-पत्र	2000
9	इन्क्वायरी पैड	19
10	इन्डेन्ट बुक	25
11	आफिस पैड बड़ा साइज	200
12	आफिस पैड स्माल साइज	200
13	जे0 आर0 आर0 पैड	10

वर्ष 1983-84 में उपरोक्त छपाई के कार्य के लिये कुल रु0 15,723 की धनराशि का भुगतान किया गया था

उक्त में से कुछ कार्य सीधे छपाई के लिये दे दिये गये थे और कुछ कार्यों के लिये अन्य छपाईखानों से निम्न विवरण के अनुसार (वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में) कोटेशन/टेन्डर भी मांगे गये थे।

छपाईखानों का नाम	कोटेशन/टेंडर मांगे जाने की दिनांक
1--रामा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	15-3-83 15-10-83, 10-12-83 एवं 21-3-84
2--रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	15-3-85, 18-8-83, 15-10-83, 10-12-83 व 21-2-83
3--मूल चन्द्र ब्रदर्स, फैजाबाद	18-8-83, 15-10-83, 10-11-83 व 21-3-84
4--रीतू प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर	15-10-83 एवं 10-12-83
5--गर्ग प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर	10-12-83 व 15-10-83
6--सतीश प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर	15-10-83
7--प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	15-10-83
8--कानपुर स्टेशनरी मार्ट, कानपुर	15-10-83
9--सेवा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	15-10-83 एवं 10-12-83
10--साधना प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर	10-12-83
11--नटराज प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	10-12-83
12--विद्यार्थी प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद	10-12-83
13--लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर	10-12-83

अकबरपुर कताई मिल की समस्याओं के सम्बन्ध में श्री प्रियदर्शी जेतली, भू0 पू0 विधायक का पत्र

21--श्री सुखपाल पांडे--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली, भू0 पू0 विधायक, अकबरपुर द्वारा माह फरवरी, 1984 को कोई पत्र श्री बरदराजन, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम, कानपुर को जो दिनांक 2 फरवरी, 1984 को सरकिट हाउस, फैजाबाद में अकबरपुर राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिल की समस्याओं के सम्बन्ध में हुई बातों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मूलपत्र क्या है उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां । पत्र में अकबरपुर कताई मिल से सम्बन्धित समस्यायें, विशेषतया स्थानीय लोगों की नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने, श्रमिकों के नियमितीकरण तथा कुछ श्रमिकों को निलम्बन भत्ते का भुगतान न किये जाने आदि विषय उठाये गये थे । पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करने के उपरान्त उनमें बल नहीं पाया गया ।

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर, शारदा कैनाल, हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

22--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर, शारदा कैनाल के हरदोई के आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध विधायक श्री शारदा प्रताप शुक्ल का कोई पत्र अप्रैल, 1985 में सिंचाई सचिव, सिंचाई राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सिंचाई विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, कैशियर के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22-6-85 को शारदा कैनाल, हरदोई से उन्नाव खंड शारदा नहर उन्नाव के लिए निर्गत किये जा चुके हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

23--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बड़े उद्योग लगाने पर विचार

24--श्री पूरन सिंह--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीमान्त जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी शासन इस वर्ष 1985-86 में कोई बड़ा उद्योग लगाने पर विचार कर रहा है ताकि वहां के जरूरतमन्द बेरोजगार नवयुवकों को भी रोजगार प्राप्त हो सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

अल्मोड़ा जनपद में मेसर्स विजलेक इन्डिया लि0 द्वारा आधुनिक तकनीक पर आधारित एक इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की बड़ी इकाई स्थापित की जा रही है । जनपद पिथौरागढ़ में साबुन बनाने की इकाई स्थापित करने का मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लि0 का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है, जिसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थान भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि0 का डैडबर्न मैग्नीसाइट की एक परियोजना भी प्रस्तावित है । इन परियोजनाओं के अतिरिक्त जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में कुछ मिनी सीमेन्ट प्लान्ट भी प्रस्तावित हैं । इन सभी इकाइयों के लगने से जरूरतमन्द बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा ।

जनपद नैनीताल के उद्योगों में अन्य जिलों के नवयुवकों को रोजगार न देने के आदेश

25—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश पारित किए हैं कि जनपद नैनीताल में लगे तमाम उद्योगों में नैनीताल जनपद के अतिरिक्त किसी जनपद के नवयुवकों को रोजगार प्राप्ति हेतु साक्षात्कार में न बुलाया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उद्योग विभाग से ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, सिंचाई विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष से अधिक चलाने से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

26—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1981 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण कनिष्ठ लिपिकों की प्रतीक्षा सूची में से कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्तियां वर्ष 1983 तक की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष से अधिक चलाने के क्या कारण हैं ? शासनादेश सं0 4/2/1977 (14)—कार्मिक—1, दि0 30—1—79 का उल्लंघन हुआ है तथा भारतीय संविधान की धारा 16 का भी उल्लंघन हुआ है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु अवसरों की समानता का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रमुख अभियंता, कार्यालय, सिंचाई विभाग में अनियमित नियुक्ति की जांच

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता, कार्यालय, सि0 वि0 द्वारा वर्ष 1980 से वर्ष 1985 के मध्य की गयी समस्त लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों के उपरान्त नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति के पूर्ववृत्त की जांच के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 8—1975—कार्मिक—2, दि0 7—5—76 का अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कतिपय अनुभागों में पदस्थापित व्यक्तियों के पूर्ववृत्त की जांच

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता कार्यालय के जांच अनुभाग एवं अन्य गोपनीय तथा संवेदनशील अनुभागों में वर्ष 1973 से वर्ष 1984 के मध्य पदस्थापित किए गये व्यक्तियों के पूर्ववृत्त की जांच करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 5400/बी—212—1958, दि0 23—3—65 का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासनादेश संख्या 5400/2बी—212—195, दिनांक 23—3—1965 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में कोई भी अनुभाग अति गोपनीय की संज्ञा में नहीं आता है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ?

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में कतिपय स्थानान्तरण से शासनादेश का उल्लंघन

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 के विभिन्न अधिष्ठान अनुभागों द्वारा 1-1-85 से 1-4-85 के मध्य जो स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये उन स्थानान्तरण आदेशों के कारण शासनादेश संख्या 14/1/1985, कार्मिक-2, दिनांक 7-4-84 के पैरा-12 का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियंता कार्यालय के श्री आर0 पी0 बंसल द्वारा क्रय की गई अचल संपत्ति की जांच

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान-4 अनुभाग में उसी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री आर0 पी0 बंसल से सम्बन्धित प्रकरण विचाराधीन है जिसमें कि उनके द्वारा रु0 6,000 की अचल सम्पत्ति के क्रय-करने की सूचना विभाग को दी गयी थी, किन्तु जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त सम्पत्ति रु0 45,000 की पाई गई ? यदि हां, तो इस धोखाधड़ी के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही अब तक न करने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि श्री बंसल इससे पूर्व भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित रह चुके हैं ? यदि हां, तो अभियन्ता अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापना का महत्वपूर्ण कार्य इन्हें कब और किसकी संस्तुति पर सुपुर्द किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री आर0 पी0 बंसल द्वारा अचल सम्पत्ति क्रय करने की जो सूचना विभाग को दी गई है उसके अनुसार उनके द्वारा दिनांक 17-2-76 को 2143 वर्ग फुट भूमि खरीदी गई जिसकी लागत लगभग रु0 6,000 है जिसमें रु0 4,500 रजिस्ट्री तथा रु 1,400 का बिल्डिंग मटीरियल सम्मिलित है । श्री बंसल की अचल सम्पत्ति के विषय में जिलाधिकारी से कोई जानकारी नहीं की गई है और न ही उनसे कोई सूचना प्राप्त हुई है । श्री बंसल के विरुद्ध इसी प्रकार की एक शिकायत की जांच प्रगति पर है । श्री बंसल भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं वरन् माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों से सम्बन्धित अभिलेख गुम हो जाने के कारण निलम्बित किये गये थे । श्री बंसल को दिनांक 16-2-83 को नहर पश्चिम अनुभाग में स्थानान्तरित किया गया था, जहां वे 17-3-83 से अन्य कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नहर पश्चिम के संगठन के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं के अधिष्ठान का कार्य कर रहे हैं । इन्हें उक्त कार्य वैयक्तिक सहायक नहर पश्चिम द्वारा सौंपा गया है ।

चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित शासनादेश का सिंचाई विभाग द्वारा उल्लंघन

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन देश संख्या 20-3-82-कार्मिक-2, दिनांक 31-10-84 द्वारा शासन ने आदेश प्रसारित किए हैं कि तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के राजपत्रित समस्त पदों पर दिनांक 1-11-84 से भर्ती केवल चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ? यदि हां, तो क्या प्रमुख अभियंता कार्यालय का ज्ञापांक: 2436/ई-4-बी-587-सी0, दिनांक 15-4-85 के द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन

किया गया है ? क्या उक्त ज्ञापांक द्वारा भरी गयी रिक्तियों का अधिसूचना सेवा-योजन कार्यालय को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में स्वीकृत वरिष्ठ लिपिकों के पदों के विरुद्ध आहरित वेतन

32—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में लखनऊ मुख्यालय पर दि0 1-4-82 से 1-5-83 तक वरिष्ठ लिपिकों के कितने स्वीकृत पद उपलब्ध थे तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने वरिष्ठ लिपिकों का वेतन आहरित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अश्विनी कुमार, मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी कतिपय स्थानान्तरण आदेशों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही

33—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0 में कार्यरत श्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (जन संसाधन) द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के मिनिस्टोरियल इस्टेब्लिशमेन्ट से सम्बन्धित जो स्थानान्तरण आदेश संख्या 7014/ई-4 बी-46 सी/83 दिनांक 14-6-84 जारी किया गया था, उसका अनुपालन न होने की दशा में श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने अर्ध शासकीय पत्रांक 1013-ई/4, दिनांक 11-7-84 तथा अर्ध शासकीय पत्रांक 1121/ई-4, दिनांक 28-7-84 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को यह आदेश दिये गये थे कि यदि स्थानान्तरित व्यक्तियों को दिनांक 31-7-84 तक कार्यमुक्त न किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों ने अब तक उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

स्थानान्तरित कर्मचारियों को या तो कार्यमुक्त कर दिया गया या स्थानास्तरण आदेश संशोधित कर दिये गये जिनका कार्यान्वयन हो गया । इस प्रकार कथित स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो गया, अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ खंड शारदा नहर के विभागीय वाहन एवं उनकी मरम्मत पर व्यय

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम मन्डल सिंचाई कार्य के अधीन लखनऊ खंड शारदा नहर, लखनऊ द्वारा इस समय कुल कितने विभागीय वाहनों का रख रखाव किया जाता है ? उक्त खंड के पूर्व अधिशासी अभियन्ताओं श्री राम शरण, श्री बी0 वाई0 पी0 सिंह एवं वर्तमान अधिकारी अभियन्ता श्री रवि कुमार माथुर के कार्यकाल में 1-4-85 तक किन-किन नम्बरों के वाहनों को वार्षिक मरम्मत में प्रति वाहन रु0 2000 से अधिक व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ में वर्तमान समय में कुल 23 विभागीय वाहनों का रख रखाव किया जा रहा है।

श्री राम शरण, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में संलग्न सूची में अंकित 11 वाहन इस खंड में थे जिन पर प्रति वाहन रु0 2,000 से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

श्री वाई0 पी0 सिंह, पूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में संलग्न सूची में अंकित 22 वाहन इस खंड में थे जिन पर प्रति वाहन रु0 2,000 से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

श्री रवि कुमार माथुर, वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में 1-4-85 तक संलग्न सूची में अंकित 23 वाहनों का रख-रखाव किया जा रहा है जिन पर प्रति वाहन रु0 2,000 से अधिक का व्यय वार्षिक मरम्मत पर हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 141 पर।)

अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मन्डल सिंचाई द्वारा कंडम घोषित वाहन प्रकरण की जांच

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मन्डल सिंचाई कार्य लखनऊ द्वारा राजकीय वाहन सं0 यू0टी0 डी0 9741 को वर्ष 1982 में कन्डम घोषित करके नयी गाड़ी प्राप्त की गयी यदि हां, तो क्या यह सही है कि कन्डम घोषित वाहन को कुछ माह पूर्व ही रु0 15,000 से भी अधिक व्यय करके मरम्मत करायी गयी थी ? क्या वाहन को कन्डम घोषित करने से पूर्व वांछित औपचारिकतायें पूर्ण की गयी ? यदि नहीं, तो सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उक्त वाहन को तुरन्त कब्जे में लेकर उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करवाने की कृपा करेंगे कि उक्त वाहन को जानबूझ कर कितना डेमेज किया गया है तथा उसके कितने कीमत के पुर्जे गायब हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मन्डल सिंचाई कार्य लखनऊ द्वारा राजकीय वाहन सं0 यू0टी0डी0 9741 को वर्ष 1982 में कन्डम घोषित करके नयी गाड़ी प्राप्त की गयी किन्तु इससे कुछ माह पूर्व उसकी कोई मरम्मत नहीं करायी गयी। उसे कन्डम घोषित करने से पूर्व वांछित औपचारिकताएं पूर्ण की गयी थी। वर्णित परिस्थिति में सतर्कता जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

36—श्री राम आसरे वर्मा—

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

सिंचाई विभाग में अवर अभिन्ताओं के पदों के परिवर्तन का औचित्य

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय द्वारा दिनांक 21-2-84 को उ0 प्र0 शासन को कोई इस आशय का प्रस्ताव भेजा गया है कि विभाग में रिक्त 691 अवर अभियन्ता के पदों को एक महा अभियन्ता 5 प्रमुख अभियन्ता 29 मुख्य अभियन्ता (ग्रेड—1) + 76 मुख्य अभियन्ता (ग्रेड—2) + 155 अधीक्षण अभियन्ता + 271 अधिशासी अभियन्ता + 154 सहायक अभियन्ता (=691) के पदों में परिवर्तित कर दिया जाय ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से उनके पत्र दिनांक 21

फरवरी, 1984 के द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सिंचाई विभाग के पुर्नगठन की रूपरेखा अंकित की गयी है। इस पुर्नगठन में यह प्रस्ताव है कि प्रश्न में उल्लिखित पद स्वीकृत किये जांय और साथ ही अवर अभियन्ताओं के 691 पद समाप्त कर दिये जायं ।

प्रस्तावित पुर्नगठन का आधार विभाग में विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति के स्थायित्व को समाप्त करना तथा विभाग की दक्षता को बढ़ाया जाना है ।

इस प्रस्ताव पर निर्णय सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लिया जाएगा । शासन द्वारा विकास कार्यों की गति बढ़ाने व उसमें तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों की योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से शासन के कतिपय विभागों/निगमों में कार्यरत चिकित्सकों एवं अभियन्ताओं की कार्य-क्षमता तथा उसकी प्रोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने हेतु, मंत्रिगणों की गठित एक संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । प्रमुख अभियन्ता के प्रस्ताव पर कुछ सूचना और मंगाई गई है जिसकी प्राप्ति पर, सिंचाई विभाग के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा, और तत्पश्चात्, उसे उक्त समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा ।

सप्तम मंडल सिंचाई कार्य के अधीन लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र

38–श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम मंडल सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन खंडीय कार्यालयों में रिक्त 8 कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर वर्ष 1983 में जो नियमित भर्ती विभागीय चयन समिति द्वारा की गई है, उसके विरुद्ध कुल कितने शिकायती पत्र मंडलीय कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उनपर अन्तिम कार्यवाही क्या हुई ? उपरोक्त पदों पर भर्ती से पूर्व विभागीय चयन समिति द्वारा क्या रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 की धारा-4(1) 7 के अनुरूप सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को सूचना दी गई ? किसी भी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित कराया गया अथवा अपने विभागान्तर्गत मंडलीय/खंडीय कार्यालयों को कोई परिपत्र तदविषयक जारी किया गया ? यदि नहीं, तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता के संगठन में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति में शासनादेश की अवहेलना

39–श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (नलकूप विश्व बैंक) के संगठन में 83 और 84 में कनिष्ठ लिपिकों के पद पर कितने व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्ति की गई है ? क्या इन पदों पर भर्ती से पूर्व सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 की धारा-4 (1) तथा धारा-7 के अनुरूप सूचना दी गई ? इन पदों को भरने से पूर्व शासनादेश 19/5/81-कार्मिक-1 दि0 24-4-82 तथा शासनादेश संख्या 19/5/81-कार्मिक-1, दि0 28-8-81 का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर शासनादेश संख्या 19-5-81-कार्मिक-1 दि0 22-3-84 के पैरा-4 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में लिपिकों के स्थानान्तरण में अनियमितता

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 द्वारा 1—1—85 से 28—2—85 तक कितने अशुलिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर अन्यत्र जनपदों को शासन की बिना पूर्वानुमति के किया गया है ? क्या यह सही है कि ऐसा करने से शासन द्वारा सत्र 84—85 के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक निर्गत शासनादेश का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में लिपिक पद पर अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

41—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, जिला चयन समिति अभ्यर्थी संघ, लखनऊ (श्री धीरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव) द्वारा सचिव, जिला चयन समिति, सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 में लिपिक पद पर अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में वर्ष 1983 और 1985 के बीच कितने शिकायती पत्र प्रस्तुत किए गए ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

श्री धीरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला चयन समिति अभ्यर्थी संघ, लखनऊ के प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा 30—6—80 के पूर्व के पदों को जिला चयन समिति के अभ्यर्थियों से न भरकर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में सात शिकायती पत्र 8—6—83 से 23—2—85 के बीच सचिव, जिला चयन समिति/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी को प्राप्त हुए । इन शिकायतों के सम्बन्ध में 14—6—83 से 1—7—85 तक प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ को 30—6—80 के पूर्व सृजित पद क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करने हेतु 15 पत्र लिखे गए जिससे वर्ष 1979 में गठित जिला चयन समिति के अभ्यर्थियों का नामांकन इन रिक्तियों के विरुद्ध किया जा सके, किन्तु उनके कार्यालय से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । वैयक्तिक सहायक (ई—4) कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या—383/(ई—4) मण्डलीय जिला चयन समिति, दिनांक 28 मार्च, 1985 के द्वारा 30—6—1980 तक के सृजित 8 पद क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए गए जिनके लिए 9—4—85 तथा 17—4—85 को जिला चयन समिति द्वारा चयनित 8 अभ्यर्थी नामित कर दिए गए ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 द्वारा आयोजित वरिष्ठ लिपिक परीक्षा में सम्मिलित विकलांग अभ्यर्थियों की टंकण गति

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर 1982 में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सि0 वि0, उ0 प्र0 में रिक्त वरिष्ठ लिपिकों के पदों को भरने हेतु जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मंडल, सिंचाई कार्य, लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, उसमें कुल कितने विकलांग

अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे तथा प्रत्येक विकलांग अभ्यर्थी का नाम व टंकण गति कितनी–कितनी है ? कितने अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आधार पर अनुत्तीर्ण किया किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

दिसम्बर, 1982 को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में कुल 14 विकलांग अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिनका नाम व टंकण गति निम्न प्रकार है :––

नाम	टंकण गति प्रति मिनट
	शब्द
सर्व श्री––	
1––शिव प्रकाश श्रीवास्तव	14
2––नरेन्द्र सिंह	22
3––कु0 संगीता देवी	29.4
4––श्री रामू	31.4
5––अनूप कुमार श्रीवास्तव	23.8
6––उमा शंकर	5.4
7––अखिलेश कुमार सक्सेना	30.8
8––आलोक कुमार सिन्हा	13.8
9––बृज किशोर शुक्ला	3.6
10––तिलकधारी सिंह	4.4
11––प्रेम आसरे मिश्र	30.0
12––मोहन भाटिया	30.0
13––कृष्ण कुमार दीक्षित	23.6
14––सुनील कुमार सक्सेना	28.0

केवल 1 अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आधार पर अनुत्तीर्ण किया गया है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0 में वरिष्ठ लिपिकों के उपलब्ध पदों का आहरित वेतन

43––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सि0 वि0, उ0 प्र0 के लखनऊ मुख्यालय पर दि0 1–10–83 से 1–2–84 तक वरिष्ठ लिपिकों के कितने पद (शासन से स्वीकृत) उपलब्ध थे तथा उक्त पदों पर कुल कितने वरिष्ठ लिपिकों का वेतन आहरित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में 106 वरिष्ठ लिपिकों के पद स्वीकृत थे जिनके विरुद्ध उतने ही वरिष्ठ लिपिकों का वेतन आहरित किया गया है ।

अकबरपुर राज्य कताई मिल की कैन्टीन की ठेकावधि

44––श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पान्डे––

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर (फैजाबाद) स्थित राज्य कताई मिल में चल रही कैन्टीन को चलाने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त कैन्टीन का ठेका कब हुआ था ? क्या ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ठेके पर नीलाम नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जी हां ।

कैन्टीन का ठेका वर्तमान ठेकेदार को जनवरी, 1980 में दिया गया था। समय-समय पर ठेके का नवीनीकरण किया जाता रहा है। ठेके का नीलाम नहीं किया जाता है क्योंकि ठेके का आधार उचित मूल्य पर सामान मिल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध कराना है।

शारदा सहायक कार्य खंड 28 के कतिपय कर्मचारियों का स्थानान्तरण

45—श्री हफीज भारती—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा सहायक कार्य खंड 28, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से उसी कार्यालय में कार्यरत हैं? अब तक ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण अन्यत्र न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार अब ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी के बाहर करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तराखंड बेरोजगार संघर्ष समिति के मांग पत्र पर कृत कार्यवाही

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड बेरोजगार संघर्ष समिति सम्बद्ध तरुड़ हिमालय हरिद्वार कैम्प ग्राम नौगांव, पत्रालय हीराखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 130 वे० सं० स०/त० हि०/84-85, दिनांक 19 अगस्त, 1984 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उनके 15 सूत्रीय मांगों में क्रमशः कौन-कौन सी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं? इनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? शेष मांगों को स्वीकार न करने का क्या कारण है?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

उत्तराखंड बेरोजगार संघर्ष समिति सम्बद्ध तरुड़ हिमालय हरिद्वार कैम्प, ग्राम नौगांव, पत्रालय हीराखाल जनपद, पौड़ी गढ़वाल का पत्रांक 130 वे० सं० स०/स० हि०/84-85, दिनांक 19 अगस्त, 1984 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अल्मोड़ा में विनोद नदी के कटाव को रोकने की शासन की नीति

47—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विनोद नदी के बहाव से वि० खं० स्याल्दे, तह० रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की भूमि का कटाव रोकने के लिए शासन ने कोई ठोस नीति बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विनोद नदी के कटाव से विकास खंड स्याल्दे, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा की भूमि के कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है। वैसे अब तक इस नदी के कटाव को रोकने के लिए भूमि संरक्षण विभाग कार्य करा रहा है।

आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में टेक्निकल जनरल मैनेजर के साक्षात्कार में अनियमितता

48—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आटो ट्रैक्टर्स लि० प्रतापगढ़ में टेक्निकल जनरल मैनेजर के सितम्बर,

1982 के साक्षात्कार में आटो-मोबाइल के इंजीनियर को वरीयता नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां। पद के सम्बन्ध में आटो मोबाइल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों को वरीयता देने की शर्तें नहीं निर्धारित की गयी थीं। पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव, अर्थात् मेकेनिकल/ आटोमोबाइल/ लेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के साथ कम से कम 15 वर्ष का आटोमोबाइल/इंजीनियरिंग/ एलाइड इंडस्ट्री में मुख्यतः प्लानिंग डिजाइन, प्रोडक्शन, क्वालिटी कन्ट्रोल के क्षेत्र का अनुभव तथा वरिष्ठ पद पर कार्य का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव, पद के कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त था।

सीमांत जिलों में उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी पदों का स्थायीकरण

49--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1974 से सीमांत जिलों में उद्योग विभाग के अन्तर्गत लगभग सभी पद शासनादेश संख्या 409 (आर)/ 18-1/20 (आर)-74, दिनांक 29-8-74 से स्थायी घोषित किये गये थे, जिन पदों पर उद्योग निदेशक द्वारा स्थायीकरण किया जाना था उन पदों पर अभी तक स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया है जब कि शासन ने लोक सेवा आयोग से 3 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश भी प्रसारित कर दिये हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा में पंजीकृत चालू एवं बन्द उद्योग

50--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विगत 4 वित्तीय वर्षों में कुल कितने उद्योग पंजीकृत हुये ? इसमें से किन-किन उद्योगों ने कार्य करना बन्द कर दिया है ? सरकार ने उन उद्योगों को पुनः प्रारम्भ करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

विगत 4 वित्तीय वर्षों में जनपद अल्मोड़ा में कुल 320 उद्योग पंजीकृत हुए। उक्त उद्योगों में से किसी के कार्य बन्द होने की सूचना नहीं है। चूंकि उक्त उद्योगों में से किसी के बन्द होने की सूचना नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

छिनघाट जनपद पौड़ी से पिटलीकोट, अल्मोड़ा तक प्रस्तावित नहर का निर्माण

51--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छिनघाट, जनपद पौड़ी पिटलीकोट (पत्रालय डेघाट), वि० खं० स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा तक के लिए सिंचाई नहर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस नहर का निर्माण कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

तकनीकी दृष्टि से नहर का बनाया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया चौना नहर पर हुआ निर्माण व्यय एवं अनियमित कर वसूली

52--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया

चौरा नहर कब कितनी धनराशि से निर्मित हुयी थी ? क्या यह सही है कि इस नहर द्वारा सिंचाई न होने पर भी नहर सिंचाई कर की वसूली हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने रिखधूला में पश्चिम रामगंगा से इस नहर तक पानी पहुंचाने हेतु लिफ्ट योजना बनायी है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद अल्मोड़ा में पश्चिम रामगंगा नदी से वर्ष 1976-77 में रामगंगा बनायीं नहर का निर्माण 24.14 लाख रुपय की लागत से किया गया। इस नहर से जितना क्षेत्र सिंचित होता है उसी क्षेत्र के सिंचाई कर की वसूली की जा रही है। कथित रिखयुला में पश्चिम रामगंगा से इस नहर तक पानी पहुंचाने हेतु कोई लिफ्ट योजना नहीं बनाई गई है और न ही एसी कोई योजना प्रस्तावित है।

जनपद अल्मोड़ा में डोठा नहर द्वारा की जा रही सिंचाई तथा कर वसूली

53--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत लमगड़ा वि0 खं0 में डोठा नहर व कितनी भूमि को सिंचित करने हेतु बनायी गयी ? विगत वर्षों से किन-किन ग्रामों की कितनी भूमि की सिंचाई हो रही है ? सरकार ने इस नहर से सम्बन्धित किन-किन ग्रामों से किस दर से सिंचाई कर लगान के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूल की है ? सरकार ने इस नहर में सिंचाई हेतु लगातार जल उपलब्ध करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्याल्दे नहर का निर्माण वर्ष 1959-60 में रु0 1.31 लाख रुपये की लागत से खरीफ में 96 एकड़ भूमि तथा रबी में 60 एकड़ भूमि को सिंचन सुविधा प्रदान किये जाने हेतु किया गया।

विगत तीन वर्षों (वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक) में स्याल्दे नहर से बल्मरा, बोली, उदेपुर, भाकुड़ा, सिमलगना, कंहड़गांव, जतपुर, पैलाड़, पिपोड़ा, तिमली, झगड़ूवाबगढ़, कारचुलोबगढ़, खटलगांव तथा छियाणी ग्रामों में औसतन सिंचाई खरीफ में 30 एकड़ व रबी में 299 एकड़ की गई।

उपरोक्त ग्रामों से वर्ष 1981-82 में रुपये 7.00 प्रति एकड़ की दर से तथा वर्ष 1982-83 से रु0 8.00 प्रति एकड़ की दर से कुल रु0 13,960 सिंचाई कर के रूप में लगाये गये।

स्याल्दे नहर में जल आपूर्ति हेतु निम्न कार्यवाहियां की हैं :-

स्याल्दे नहर में लगातार जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नदी में हेड बन्ध बनाकर पानी सुचारु रूप से चलाया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर नहर में हुई क्षति की आवश्यकतानुसार मरम्मत करके, बारबन्दी लागू करके तथा टेल पर गूल बनाकर जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। नहर द्वारा जितनी सींच प्रस्तावित थी उससे बहुत अधिक सींच हुई है।

जनपद अल्मोड़ा में अवरुद्ध डोठा व उन्यूड़ा नहर व उस पर व्यय

54--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत लमगड़ा वि0 खं0 में डोठा नहर व उन्यूड़ा नहर का निर्माण कब और कितनी रुपये की लागत से हुआ ? इसमें सिंचाई हेतु पानी आना कब से तथा किन कारणों से बन्द है ? इन कारणों को तुरन्त दूर न करने के लिए उत्तर-

दायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विकास खंड में 5.00 कि0मी0 डोठा नहर का निर्माण वर्ष 1982-83 में 3.56 लाख रुपये की लागत से पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के पश्चात् नहर शुरू से 50 मी0 में अति वृष्टि के कारण बह गयी व अन्य भागों में स्लिट के कारण क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ मलवे से भर गयी। यद्यपि स्लिट को हटाने व क्षतिग्रस्त भागों को मरम्मत करने का प्रयास किया गया परन्तु कई बार स्लिट आने व धन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण नहर चालू नहीं की जा सकी। नहर प्राकृतिक कारणों से अवरुद्ध है अतः इसके लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

2--उन्यूड़ा नहर--

उन्यूड़ा नहर अल्मोड़ा जिले के विकास खंड लमगढ़ा के अन्तर्गत आती है। इसकी कुल लम्बाई 10.87 कि0 मी0 है। नहर का निर्माण वर्ष 62-63 में पूर्ण हुआ। इस पर 1.74 लाख रुपये व्यय किया गया। यह नहर प्रति वर्ष भू-स्खलन आदि से क्षतिग्रस्त हो जाती है। यद्यपि इसके मरम्मत का प्रयास किया जाता है परन्तु प्राकृतिक कारणों से इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके कारण नहर वर्ष 70-71 से 71-72 व 77-78 से 82-83 तक नहीं चल पाई। वर्तमान में 1.95 कि0 मी0 से 3.5 कि0 मी0 के बीच अन्य गधेरे से पानी लेकर सिंचाई हेतु नहर को चलाया जा रहा है जिससे कुछ सिंचाई हो पा रही है। नहर प्राकृतिक कारणों से अवरुद्ध है अतः इसके लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है।

थल, जनपद पिथौरागढ़ में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किराये पर लिये गये कमरे

55--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में थल नामक स्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र श्री गोपाल दास पाठक (निवासी थल) के मकान में क्रमशः कितने क्षेत्रफल के कितने कमरों में किस तिथि से कितने किराये पर लिया गया था ? क्या सरकार नियमानुसार मूल किराये में वृद्धि करने अथवा मकान को खाली करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्री गोपाल दास पाठक, निवासी थल, जनपद पिथौरागढ़ के मकान के सात कमरे कुल क्षेत्रफल 840 वर्ग फिट तथा 2 बरामदे कुल क्षेत्रफल 463 वर्ग फिट वर्ष 1958 से खादी बोर्ड द्वारा 50 रु0 प्रति माह के किराये पर लिया गया था जिसे बोर्ड द्वारा वर्ष 82 में बढ़ाकर 95 रु0 प्रति माह कर दिया गया है।

किराया बढ़ाने अथवा मकान को खाली करने का अधिकार खादी बोर्ड में निहित है। अतः शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा में बीमार उद्योगों को चालू करने की योजना

56--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में विगत 3 वर्षों में कौन-कौन से उद्योग बीमार पड़े हैं ? इसमें कुल कितनी पूंजी निवेश थी ? इससे कितने मजदूर प्रभावित

हुए ? इनको पुनः चालू करने हेतु क्रमशः क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

गत तीन वर्षों में बीमार औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । तत्पश्चात् पुनर्वासन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद पिथौरागढ़ में बीमार उद्योग एवं प्रभावित मजदूर

57--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से उद्योग बीमार पड़े हैं ? इनमें कुल कितना पूंजी निवेश था ? इससे कितने मजदूर प्रभावित हुए ? इनको पुनः चालू करने हेतु क्रमशः क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

पिथौरागढ़ जनपद में तीन वर्षों में कुल 20 औद्योगिक इकाइयां बीमार हुई । इनमें 15.47 लाख रु0 पूंजी निवेश है और 107 व्यक्ति सेवायोजित थे । इन इकाइयों के पुनर्वासन हेतु समुचित कार्यवाही प्रगति पर है । बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन हेतु शासन राज्य स्तरीय एवं मण्डलीय स्तरीय समितियां बनाई गई हैं ।

58--श्री काशी सिंह ऐरी--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद ललितपुर में क्षतिग्रस्त बांध एवं अनियमित कर वसूली

59--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री जी को जानकारी है कि ललितपुर जनपद के जामिनी बांध के वर्ष 983 की वर्षा में ध्वस्त हो जाने के कारण तथा झांसी जनपद के पहुंच बांध में पानी की कमी के कारण अक्तूबर, नवम्बर-दिसम्बर, 83 तथा जनवरी, 84 में सिंचाई हेतु पानी प्राप्त नहीं हुआ ? यदि हां, तो किसानों से सिंचाई कर वसूल करने का औचित्य क्या है ? क्या शासन इसकी वसूली समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद ललितपुर के जामिनी बांध का एक फाटक वर्ष 1983 की बाढ़ में दिनांक 23-9-83 को क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरान्त अस्थायी फाटक लगाकर जो पानी एकत्रित किया जा सका, उससे प्रायः एक पानी कृषकों को दिया गया था । साथ ही पानी की कमी का भली प्रकार प्रचार करके यह कहा गया था कि कृषकगण ऐसी फसल बोयें जो एक ही पानी में पक जावे । खड़ी फसल में एक पानी देने के कारण सिंचाई कर में छूट देने का सिंचाई नियमों में प्राविधान नहीं है । कृषकों पर सिंचाई कर नियमों के अनुसार ही लगाया गया है । छूट देने का प्रश्न नहीं रहता है । यह सही नहीं है कि वर्ष 1983 की वर्षा में झांसी जनपद के पहुंच बांध में पानी की कमी रही है । पहुंच बांध की नहरें माह अक्तूबर, 1983 से मार्च, 1984 तक कृषकों की आवश्यकतानुसार चलायी गयी । चूंकि पहुंच बांध से कृषकों को समुचित पानी मिला है । अतः नियमानुसार लगाये गये सिंचाई कर की वसूली समाप्त करने का औचित्य नहीं है ।

जनपद ललितपुर में कतिपय ग्रामों में सूखा एवं सिंचाई योजना

60--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर की जामिनी बांध से लगी हुयी लगभग 18 ग्राम

सभायें बांध निर्माण के कारण सूखे की भयंकर चपेट में घिरी हुयी हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये क्या शासन द्वारा मुख्य नहर के दोनों ओर लिफ्ट कैनाल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था पर विचार करने के लिए कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो लिफ्ट कैनाल का निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जामिनी बांध से लगे हुए लगभग 18 ग्राम बांध निर्माण के कारण सूखे से ग्रस्त हैं ।

जामिनी बांध की नहर प्रणाली अपने प्रस्तावित सींच से अधिक सींच पहले से ही कर रही है । इस नहर प्रणाली में इतना पानी नहीं है जिससे इसकी मुख्य नहरों पर कोई लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित की जा सके ।

मैथेडिस्ट मिशन, सीतापुर के मजदूरों को दी जा रही असंगत मजदूरी

61--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैथेडिस्ट मिशन, सीतापुर में कार्यरत मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी जाती है ? क्या यह मजदूरी उनके लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों से संगत है ? यदि नहीं, तो मिशन के मजदूरों को नियमानुकूल मजदूरी दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

मेसर्स मैथेडिस्ट मिशन, सीतापुर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के 6 कर्मचारियों को 200रु0, 2 मालियों को 250रु0 अन्य तीन कर्मचारियों को 336 रु0 से 360 रु0 वेतन एवं महंगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है ।

भुगतान की जा रही मजदूरी अधिकतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामलों में असंगत है ।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उप-श्रमायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि वे राजाज्ञा के अनुसार अनुमन्य विभिन्न वर्करों के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करायें ।

वि0 खं0 बेहजम, जिला लखीमपुर के राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण

62--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले के वि0 खं0 बेहजम में कौन-कौन राजकीय नलकूप ऐसे हैं जो कि ड्रिल हो चुके हैं, उनके पम्प हाउस भी बन चुके हैं परन्तु विद्युतीकरण न होने से चालू नहीं हैं ? इनका विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखीमपुर जिले के विकास खंड बेहजम के निम्नलिखित 4 नलकूप ऐसे हैं जो कि ड्रिल हो चुके हैं, पम्प हाउस बन चुके हैं परन्तु विद्युतीकरण नहीं हो पाया है :--

नलकूप संख्या 109, 112 एवं 120 बेहजम ग्रुप, नलकूप संख्या 106 बी0 जी0 । इन चारों नलकूपों का विद्युतीकरण अगामी रबी से पहले-पहले कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, सीतापुर के श्रमिकों को मजदूरी

63--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परतदार लकड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी लागू किए जाने की अधिसूचना किस तिथि से

लागू हुई ? इसके अनुसार प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, सीतापुर के श्रमिकों को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम मजदूरी कब से मिलनी चाहिए थी तथा किस तिथि से दी जा रही है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

परतदार लकड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 6-8-84 को लागू हुई है ।

इसके अनुसार प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, सीतापुर के श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी, दिनांक 6-8-84 से ही मिलनी चाहिए थी लेकिन मेसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग लि0 के कर्मचारियों की वेतन दरों का पुनरीक्षण का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के विचाराधीन होने के कारण अधिनियम में निर्धारित वेतन दरें उक्त तिथि से लागू नहीं की जा सकीं । फिर भी उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र ने दिनांक 1-10-84 से सेवायोजकों एवं कर्मचारियों के बीच मूल वेतन रु0 11.60 दिये जाने का समझौता, दिनांक 19-10-84 को करा दिया है ।

64--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उ0 प्र0 नलकूप निगम का विघटन एवं कर्मचारियों का समायोजन

65--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार उ0 प्र0 नलकूप निगम को विघटित करने अथवा उसके सिंचाई विभाग में संविलयन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसकी प्रक्रिया कब प्रारम्भ होगी तथा निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डालीगंज उत्पादन केन्द्र, लखनऊ में सुपरवाइजर पद पर की गयी अवैध नियुक्ति

66--श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री झिलमिट राम--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन डालीगंज उत्पादन केन्द्र, लखनऊ की एक महिला सुपरवाइजर जब वर्ष 1978 में मातृ शिशु अवकाश पर गयी तब उक्त केन्द्र के इंचार्ज सुपरवाइजर (श्री आर0 के0 सिंह) ने अपने पुत्र सुरेन्द्र सिंह की नियुक्ति बिना किसी आवेदन-पत्र के करवा दी जो उस समय शैक्षिक, प्राविधिक एवं अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु रखता था ? इस कृत्य के लिए उच्च न्यायालय, लखनऊ में मुकदमा सं0 1065/1981 तथा कन्टेम्प मुकदमा सं0 1923/1982 दायर किया गया, जिसका निर्णय उक्त महिला सुपरवाइजर के पक्ष में गया, क्या सरकार उक्त निर्णय के अधीन सुरेन्द्र सिंह को उसके गैर सरकारी मूल लिपिक के पद पर वापस करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

जी नहीं । इस विभाग के नियंत्रण के अधीन डालीगंज उत्पादन केन्द्र, लखनऊ की महिला सुपरवाइजर श्रीमती सत्यरूपा के मातृ-शिशु अवकाश पर जाने पर उक्त पद पर श्री आर0 के0 सिंह, तत्कालीन इंचार्ज सुपरवाइजर के पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को अवकाश काल तक

के लिए उनके आवेदन-पत्र जिसे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, डालीगंज उत्पादन केन्द्र द्वारा अग्रसारित किया गया था, के आधार पर नियुक्त किया गया था। उक्त केन्द्र पुनर्वास विभाग द्वारा इस विभाग को हस्तान्तरित किया गया था। हस्तान्तरण के समय पुनर्वास विभाग द्वारा उक्त केन्द्र के पदों की अर्हता व आयु सीमा के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसलिए नियुक्त अधिकारी ने केन्द्र के कार्य को दृष्टि में रखते हुए अभ्यर्थियों की दक्षता एवं उपयुक्तता के आधार पर नियुक्तियां की हैं। पूर्व में उक्त महिला की सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति भी उक्त आधार पर ही की गई थी। उक्त महिला को सहायक भंडारी के पद पर नियुक्त किए जाने पर महिला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया जिसमें निर्णय महिला के पक्ष में हुआ और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उक्त महिला को सुपरवाइजर के पद पर पुनर्स्थापित कर दिया गया है। उक्त महिला सुपरवाइजर को पुनर्स्थापित करने पर महिला द्वारा दिनांक 4-10-82 को कार्यभार ग्रहण किया गया तथा दिनांक 4-10-82 से नियुक्ति अधिकारी द्वारा सुपरवाइजर का एक नया पद सृजित कर श्री सुरेन्द्र सिंह की उस पर तैनाती कर दी गई। इस कारण श्री सुरेन्द्र सिंह अपने गैर सरकारी मूल लिपिक के पद पर वापस नहीं हुए। यद्यपि उक्त महिला को सुपरवाइजर पद पर पुनर्स्थापित करने के आदेशों के साथ ही श्री सुरेन्द्र सिंह को उनके मूल लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी किए गए थे।

रानीबाग (नैनीताल) स्थित घड़ी कारखाने में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को रोजगार का समान अवसर

67—श्री पूरन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से यह सिफारिश करेगी कि रानीबाग (नैनीताल) स्थित घड़ियों के कारखाने में नौकरी के लिए पर्वतीय क्षेत्र के सभी जिलों के उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाय, केवल नैनीताल के ही उम्मीदवारों को नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

रानीबाग (नैनीताल) में घड़ियों का कारखाना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जो भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, द्वारा लगाया जा रहा है। इस प्रतिष्ठान में नौकरी उनके द्वारा निर्धारित नियमानुसार दी जाती है। जहां तक विदित है, इसमें प्रदेश के सभी अंचलों के पात्र अभ्यर्थी समान रूप से आंके जाते हैं।

अकबरपुर स्थित कताई मिल द्वारा ली गयी भूमि से संबंधित व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र

68—श्री नारायन हरि शर्मा तथा श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अक्तूबर, 1984 से अब तक मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को ग्राम मरैला (अकबरपुर, फैजाबाद) व लोरपुर अकबरपुर, फैजाबाद में स्थित राज्य कताई मिल में उनकी योग्यतानुसार सम्बन्धित मिल व उसकी कालोनी के लिए जो भूमि ली गई है, उसमें सम्बन्धित प्रार्थियों की भी भूमि ली गई है, के आधार पर शासनादेश के तहत प्रतिष्ठान में सेवा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों का ? क्या उनको उक्त प्रतिष्ठान में समायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, केवल श्री उदयभान मिश्र पुत्र श्री धनेश्वर मिश्र, ग्राम मुबारकपुर, मुरला, पोस्ट-लोरपुर (अकबरपुर)

फैजाबाद का एक प्रार्थना-पत्र तद्नुसार प्राप्त हुआ था। उनको वरीयता पर इस कारण समायोजित नहीं किया जा सका कि जिन व्यक्तियों की भूमि मिल लगाने के लिए अध्याप्त की गयी थी उनके परिवार के केवल एक व्यक्ति को नियुक्ति में वरीयता दिये जाने का नियम है और श्री उदयभान मिश्र के सगे भाई श्री चन्द्रभान मिश्र को पहले ही स्टोर विभाग में लिपिक के पद पर नियुक्त किया जा चुका है।

अकबरपुर राज्य कताई मिल में कतिपय रिक्त पदों का विज्ञापन एवं भर्ती

69—श्री नारायन हरि शर्मा तथा शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 व 1984-85 में अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में कुल किन-किन पदों पर (स्किल्ड व अनस्किल्ड) श्रमिक व कर्मचारियों की भर्तियां कब-कब की गयीं ? क्या उक्त रिक्त पदों की भर्ती के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिए कब-कब तथा किन-किन समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स कं0 (नं0 1) लि0, अकबरपुर जिला फैजाबाद में वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कुशल श्रमिकों की दिनांक 5-3-84, 16-5-84, 24-8-84, 13-11-84, 30-12-84, 15-1-85, 22-1-85 तथा 28-3-85 को भर्तियां की गई थीं। उक्त वर्षों में अकुशल श्रमिकों की भर्ती नहीं की गयी थी।

जी हां।

समाचार-पत्रों में विज्ञापन निम्न विवरण के अनुसार दिये गये :—

समाचार-पत्र का नाम	विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	पद जिनके लिए विज्ञापन दिये गये थे
1—दैनिक जागरण	9-6-83	स्केचर टेंटर, कार्ड टेंटर, ड्राइंग टेंटर, सिम्पलेक्स टेंटर, रिंगफ्रेम-पीसर, रिंग फ्रेम डाफर, रोलर, कोनबाइंडर, चीज बाइंडर, डबलिंग टेंटर, डबलिंग डाफर, नाटर, बंडलर और बेल प्रेस मैन।
2—दैनिक जनमोर्चा	17-6-84	तदेव
3—गुजरात समाचार	4-12-84	सिम्पलेक्स टेंटर, रिंगफ्रेम पीसर, रिंगफ्रेम डाफर, रोलर, कोन बाइंडर, चीज बाइंडर, डबलिंग टेंटर।
4—दैनिक जनमोर्चा	5-12-84	तदेव

इसके अतिरिक्त हिन्द केसरी (पंजाब), दैनिक जागरण तथा अमृत प्रभात समाचार-पत्रों में भी पत्र संख्या 2712/अकब/विज्ञापन 84, दिनांक 7-6-84 के द्वारा स्केचर, टेंटर, कार्ड टेंटर, ड्राइंग टेंटर, सिम्पलेक्स टटर, सिम्पलेक्स डाफर, रिंगफ्रेम डाफर, रोलर, कोन बाइंडर, चीज बाइंडर, डबलिंग टटर, डबलिंग डाफर, नाटर, बंडलर और प्रेसमैन पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सूचित किया गया था।

70—श्री शेर बहादुर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश के कार्मिक अधिकारी पद पर श्री के0 डी0 यादव की अनियमित नियुक्ति

71—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्मिक अधिकारी के पद पर श्री के0 डी0 यादव की तदर्थ नियुक्ति दो मार्च, 1982 को की गई थी और विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट पर उक्त श्री यादव के अयोग्य होने के कारण दिनांक 5 अक्तूबर, 1982 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ? क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति को 21 माह बाद पुनः अनियमित रूप से सितम्बर, 1984 को नियुक्त करके इलाहाबाद भेज दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

उक्त तदर्थ नियुक्ति 5 अक्तूबर, 1982 को समाप्त कर दी गई थी। तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष अथवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, यदि उसे पूर्व में ही न समाप्त कर दिया जाय, की अवधि के लिए मंत्रि-परिषद से अनुमोदित थी । आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद पर पुनः एक वर्ष अथवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हों, की कालावधि के लिए मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने पर श्री के0 डी0 यादव की तदर्थ नियुक्ति, 30 अगस्त, 1984 में की गई और विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर इलाहाबाद मुद्रणालय में इन्हें तैनात किया गया ।

अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद का नलकूप छिद्रण विषयक प्रस्ताव

72—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड, फैजाबाद द्वारा श्री नीरज मालवीय, हाइड्रोलोजिस्ट इक्सप्लोरेशन पब्लिक भारत सरकार बी-43 महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ को अपने पत्र संख्या 2973/टी-1/साइट,नं0 नि0 खं0, दिनांक 23-10-84 को फैजाबाद जनपद में अन्वेषणात्मक नलकूपों के छिद्रण विषयक प्रेषित प्रस्ताव में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खंड, फैजाबाद के पत्र सं0 2973/टी-1/साइट न0 नि0 खं0 फैजाबाद, दिनांक 23-10-84 द्वारा श्री नीरज मालवीय, हाइड्रोलोजिस्ट इक्सपोलोरेशन पब्लिक भारत सरकार बी-43 महानगर इक्स-टेन्शन, लखनऊ को फैजाबाद जनपद के अन्वेषणात्मक नलकूपों के छिद्रण विषयक प्रस्ताव भेजा गया था । उक्त विभाग द्वारा कार्यस्थल पर अन्वेषणात्मक छिद्रण की कार्यवाही अभी तक आरम्भ नहीं की गई है ।

सिंचाई विभाग में कतिपय अवर अभियंताओं की प्रोन्नति का आधार

73—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4032/84/23 सिंचाई-2/137-82, दिनांक 14-2-84 द्वारा जिन 59 अवर अभियंताओं (यांत्रिक) की तदर्थ पदोन्नति की गई है, उसका कोई आधार रखा गया ? यदि हां, तो मो0 वाहिद अंसारी, धर्मपाल पुष्करना, जगदीश प्रसाद जैन तथा त्रिभुवन नाथ

रामा आदि अवर अभियंताओं को पदोन्नति देने का क्या आधार है ? क्या सरकार प्रोन्नति संबंधी विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं। प्रश्न में उल्लिखित अवर अभियन्ताओं को पदोन्नति से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करके सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर तदर्थ पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। पदोन्नति संबंधी विवरण सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

74--श्री जगवीर सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद मथुरा में कार्यरत साड़ी छपाई इकाइयां एवं प्रदूषण समाधान

75--प्रदीप माथुर--

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि मथुरा में कितनी साड़ी छपाई इकाइयां कार्यरत हैं इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ? इन इकाइयों की प्रदूषण संबंधी कठिनाइयों का समाधान शासन द्वारा किया जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार मथुरा में लगभग 220 साड़ी छपाई की इकाइयां कार्यरत हैं जिनमें लगभग 4,600 व्यक्तियों को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इन इकाइयों से मथुरा शहर में प्रदूषण उत्पन्न होने की सूचना शासन को प्राप्त हुई थी जिसे रोकने के लिए प्रभावशाली कदम शासन द्वारा उठाये गये हैं। आयुक्त, आगरा मन्डल की अध्यक्षता में इस हेतु एक कमेटी भी गठित है जिसके द्वारा इस बारे में पूरी नजर रखी जा रही है।

जनपद उन्नाव में भटखेरवा माइनर पर कराया गया कार्य एवं भुगतान

76--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले की पुरवा शाखा से एक भटखेरवा माइनर स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो इसका कार्य किस तिथि से प्रारम्भ हुआ था ? किन-किन ठेकेदारों से कार्य कराया गया और मजदूरों का पूरा भुगतान अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। धनावंटन प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 1 फरवरी, 1985 से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। कार्य पर ठेकेदार नहीं लगाये गये और निर्माण कार्य दैनिक श्रमिकों के माध्यम से कराया गया। दैनिक श्रमिकों को भुगतान किया जाता रहा था उनका कोई भुगतान बकाया नहीं है।

उन्नाव जिले में बसहा नाले पर स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य

77--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले में बसहा नाले पर कुइथर ग्राम के पास एक पुल तीन लाख नब्बे हजार का स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ हुआ था ? तथा यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। ग्राम कुइथर के पास बसहा नाले पर एक पाइप पुल निर्माण का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उन्नाव द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1984 में प्रारम्भ किया गया और

जुलाई, 1985 के अन्त तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है ।

बांसी विधान सभा क्षेत्र में सक्रिय सरकारी नलकूप

78—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सरकारी नलकूप हैं इनमें से कितने सिंचाई कार्य में सक्रिय हैं, कितने यंत्रों की खराबी से तथा कितने टूटी-फूटी नालियों के कारण बन्द पड़े हैं ? सभी नलकूप कब तक सक्रिय हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा, बांसी में 48 राजकीय नलकूप हैं, इनमें 47 नलकूप सिंचाई कार्य में सक्रिय हैं तथा एक नलकूप (8 बांसी) फेल हो गया है । 2 नलकूप यांत्रिक तथा 2 नलकूप विद्युत् दोष से बन्द है । टूटी-फूटी नालियों के कारण कोई नलकूप बन्द नहीं है । विद्युत् एवं यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने तथा फेल नलकूप के पुनः निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

बांसी तहसील स्थित कौवाताल के जल फैलाव से हो रही क्षति से बचाव

79—श्री हरिश्चन्द हरीश जी—

क्या सरकार को मालूम है कि बांसी तहसील में स्थित कौवाताल के जल फैलाव से प्रतिवर्ष लगभग 50-60 ग्रामों की फसल नष्ट होती आ रही है ? क्या सरकार इन ग्रामवासियों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए कोई उपाय योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब से लागू हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस जल जमाव से प्रति वर्ष कुछ ग्राम प्रभावित होते हैं तथा खरीफ की फसल नहीं हो पाती है । जी हां । एक योजना निर्माणाधीन है तथा वर्तमान समय में इस पर कार्य चल रहा है । कौवाताल में राप्ती नदी के बाढ़ का पानी रिसल कर दायें तट से आ जाता है जिससे जल जमाव हो जाता है । इस पानी को वर्तमान समय में बांसी बनकटा जमींदारी बांध की मरम्मत कर रोक दिया गया है । इस बांध के पीछे बांसी डुमरियागंज बांध निर्माणाधीन है जिसके बन जाने के पश्चात् राप्ती नदी के बाढ़ का पानी कौवाताल में आने से रोका जा सकेगा ।

पब्लिक नलकूप, फूलपुर, वाराणसी के त्रुटिपूर्ण कुलबे के सम्बन्ध में श्रीमती कलावती का प्रार्थना-पत्र

80—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप, फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का कूप बी0 कुलाबा नं0 4 बहुत नीचा है जिससे चक नं0 828 एवं और चकों में पानी नहीं जा पाता ? इसको अब तक न बनवाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, पब्लिक नलकूप फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के लूप "बी" के कुलावा नं0 4 से चक नं0 828 एवं अन्य चकों में पानी कठिनाई से जा पाता है । चक नं0 828 एवं अन्य चकों के सिंचाई हेतु एक अन्य आउटलेट का निर्माण मई, 1985 में कर दिया गया है ।

81—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कलावती, गांव फूलपुर, पो0 फूलपुर, जिला वाराणसी ने इस कुलाबे को ऊंचा उठाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता श्री वी0 पी0 गोयल को दिया था जिसको उन्होंने जून सन् 84 में ही अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी पब्लिक नलकूप श्री जग्गू सिंह यादव को

उक्त कुलाबा बनाने हेतु कहा और प्रार्थना-पत्र भी उन्हें दिया ? यदि हां, तो करीब एक वर्ष हो रहा है उसे न बनाने का कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्रीमती कलावती, ग्राम फूलपुर, जिला वाराणसी का जून 1984 का प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय श्री राम चन्द्र बख्श सिंह विधायक का प्रार्थना-पत्र जिस पर मुख्य अभियन्ता (नलकूप) का आदेश अंकित है माह मई 85 में प्राप्त हुआ है तथा चक नं0 828 एवं अन्य चकों के सिंचाई सुविधा हेतु एक अन्य कुलाबे का निर्माण माह मई, 1985 में ही करा दिया गया है।

82-84--श्री मित्र सेन--

[उरे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 50, 51-52 पर स्थानान्तरित।]

ओबरा बांध निर्माण मण्डल से लापता सींचपाल श्री लाल बहादुर के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता का पत्र

85--श्री मित्र सेन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लाल बहादुर सींचपाल, ओबरा बांध निर्माण मंडल, ओबरा, मिर्जापुर के कनहर निर्माण खंड-4 पिपरी में कार्यरत थे और 13-5-81 से उनका गायब कर दिया गया जिसका पता आज तक नहीं चला ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

श्री लाल बहादुर, सींचपाल, जो ओबरा बांध निर्माण मण्डल, ओबरा, मिर्जापुर के कनहर निर्माण खंड-4 पिपरी में कार्यरत थे, दिनांक 13-5-81 से लापता है। उनका पता आज तक नहीं चल सका है।

86--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण मण्डल, ओबरा श्री कैलाश चन्द्र गर्ग ने जून, 82 में अधिशासी अभियन्ता को लाल बहादुर सींचपाल के बारे में पत्र लिखा कि वह कहां है कि अधिशासी अभियन्ता ने सर्व-प्रथम उसी पत्र की वजह से सितम्बर, 82 में श्रीमती धनेसरा देवी स्त्री लाल बहादुर, गांव ककरहिया पो0 लोहता जिला वाराणसी को पता लगाने हेतु लिखा जबकि लाल बहादुर को 13-5-81 से ही गायब किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री कैलाश चन्द्र गर्ग (तत्कालीन कार्यरत) अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध मन्डल, ओबरा ने जून, 82 में अधिशासी अभियन्ता से पत्र द्वारा श्री लाल बहादुर, सींचपाल के विषय में स्थिति ज्ञात की थी। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्रीमती धनेसरा द्वारा जिलाधीश, मिर्जापुर एवं मुख्य अभियन्ता, सोन को लिखे गये प्रार्थना-पत्र

87--श्री मित्र सेन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती धनेसरा ने जिलाधीश मिर्जापुर को जनवरी, 83 में प्रार्थना-पत्र दिया और उसकी प्रति प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, मुख्य अभियन्ता पूर्वी जोन (सोन), वाराणसी, अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण मन्डल, ओबरा, मिर्जापुर व मा0 मुख्य मन्त्री को जनवरी, 83 में भेजा था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

पत्र प्राप्त होने पर श्री लाल बहादुर, सींचपाल के लापता होने की सूचना आज दैनिक जनवार्ता में दिनांक 24-2-83, 3-3-83 एवं 15-3-83 को प्रकाशित कराई गई। परन्तु श्री लाल बहादुर का कोई पता नहीं चला।

88—श्री मित्र सेन—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि अब तक लाल बहादुर का पता नहीं चल पाया तो उसकी विधवा धनेसरा ने चतुर्थ श्रेणी में जगह पाने हेतु मुख्य अभियन्ता सोन, वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता, को प्रार्थना-पत्र दिया ? क्या यह भी सही है कि मू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने 10-2-85 को मुख्य अभियन्ता, सोन को पत्र भी लिखा था ? यदि हां, तो अब तक जगह न देने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ?

शासनादेश के अनुसार केवल मृतक व्यक्ति के आश्रित को नौकरी देने का प्राविधान है । चूंकि श्री लाल बहादुर सींचपाल लापता है और उनके मरने की अधिकारिक पुष्टि नहीं प्राप्त है अतः नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद के ताल रतोय की जल निकासी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र

89—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ताल रतोय के जल निकासी की योजना लागू करने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 3-4-85 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ताल रतोय में गिरने वाली समस्त ड्रेनों की रिमाडलिंग के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

पूर्वांचल सूत कताई मिल, गाजीपुर में मजदूरों की भर्ती

90—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के बड़ौरा ग्राम में स्थापित पूर्वांचल सूत कताई मिल्स में मजदूरों की भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो उन लोगों को या उनके परिवारों को वरीयता दी जा रही है, जिनकी भूमि इस मिल हेतु अधिग्रहीत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । उन लोगों के परिवार के एक-एक व्यक्ति को प्रशिक्षार्थी के तौर पर भर्ती किया गया है जिनकी भूमि इस मिल हेतु अधिग्रहीत की गई थी ।

91—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[प्रदेश सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय नलकूप खैराबाद, सीतापुर के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

92—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर विकास खंड खैराबाद में राजकीय नलकूप 83 (ग्रा0 मखुवा चौबेपुर) जिस जोतदार के खेत में बना है उन्हें भूमि का मुआवजा अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला सीतापुर के विकास खंड खैराबाद के ग्राम मखुवापुर चौबेपुर में बने राजकीय नलकूप संख्या 83 सीतापुर समूह जिस जोतदार के खेत में बना

हैं उनको उसका भू-अर्जन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, सीतापुर के पत्रांक 1112, दिनांक 9-6-78 द्वारा तथा गूलों का भूअर्जन प्रस्ताव पत्रांक 1386/दिनांक 26-3-79 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को भेजा जा चुका है।

उपरोक्त दोनों भूअर्जन प्रस्तावों में से धनराशि 10,894·68 रु0 का वितरण माह 2/82 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी द्वारा किया जा चुका है। शेष प्रतिकर का शीघ्र भुगतान किये जाने हेतु समुचित आदेश दे दिये गये हैं।

ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सीतापुर में महिला डाक्टर का रिक्त पद

93--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सीतापुर में महिला डाक्टर का पद कब से रिक्त है ? रिक्त होने का कारण क्या है ? कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी, सीतापुर में महिला डाक्टर का पद वहां की चिकित्सा अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण महिला चिकित्सालय, सीतापुर हो जाने के कारण दिनांक 2-8-1984 से रिक्त है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है।

जनपद बाराबंकी में दरियाबाद ब्रांच में हुई खांदी पर हुआ व्यय एवं भुगतान

94--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में दरियाबाद ब्रांच के किलोमीटर 2-2 पर दिनांक 12-2-83 को हुई खांदी को ठीक कराने के लिए कुल कितना धनराशि व्यय की गई ? क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धी मस्टर रोल सम्बन्धित अवर अभियन्ता से न बनवा कर किसी अन्य अवर अभियन्ता से बनवाया गया एवं उपरोक्त कार्य सम्बन्धी भुगतान का चेक नं0 59/184004, दिनांक 4-7-84 को पहले वाले सहायक अभियन्ता को दिया गया जबकि उनका स्थानान्तरण हो चुका था और उनके स्थान पर नये सहायक अभियन्ता ने 1-7-84 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था ? क्या मजदूरों को जो उस कार्य में थे, पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत कार्य पर 1,15,115·40 रुपये की धनराशि का व्यय हुआ।

जी नहीं।

जनपद वाराणसी में शारदा सहायक 38वां खंड द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

95--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाल चन्द व फूल चन्द्र पुत्र जगरदेव, गांव धमहापुर, परगना कोल अतला नं0 व जिला वाराणसी की अराजी नं0 101 रकबा 35 डि0 शारदा सहायक 38वां खंड, बागतपुर राजबाहा में लेकर नहर खोद दिया गया है और इसी तरह से गांव भरथरा में जिया राम की तीन बिस्वा जमीन उक्त नहर में ले ली गयी है ? यदि हां, तो दोनों व्यक्तियों को मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

श्री लालचन्द्र व फूलचन्द्र पुत्र श्री जगरदेव गांव धमहापुर, परगना कोलसला, तहसील व जिला वाराणसी को भूमि का प्रतिकर चकबन्दी की धारा 52 के प्रकाशन में त्रुटि के कारण नहीं दिया जा सका। अब इन कृषकों को आपसी समझौते द्वारा प्रतिकर दिया जाना है। ग्राम भरथरा में श्री जियाराम की भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, वाराणसी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियंताओं के पद पर प्रोन्नति

96--श्री फजलुल बारी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 से अब तक सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता के पदों पर कितने सहायक अभियंताओं की प्रोन्नति की गई और उक्त प्रोन्नतियों में कितने सहायक अभियंताओं को सुपरसीड किया गया ? सुपरसीड किए जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पदों पर वर्ष 1982 से अब तक 415 सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति की गई और उक्त प्रोन्नतियों में 18 सहायक अभियंता सुपरसीड हुए। अधिशासी अभियंता पद के लिए चयन ज्येष्ठता अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, के सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है। अतएव सुपरसीड होने का कारण अनुपयुक्तता है।

अकबरपुर कताई मिल द्वारा छपाई के लिए दिए गये आर्डर एवं प्राप्त कोटेशन

97--श्री नारायण हरि शर्मा तथा श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस को वर्ष 1983-84 में अकबरपुर कताई मिल द्वारा छपाई के लिए कब-कब, कौन-कौन सा छपाई कार्य, कितनी-कितनी लागत का आर्डर दिया गया था और क्या उक्त कार्यों के लिए टेन्डर, कोटेशन मांगा गया था ? यदि हां, तो किन-किन प्रिंटिंग प्रेसों ने अपने रेट्स दिए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

अकबरपुर कताई मिल द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस को वर्ष 1983-84 में निम्न विवरण के अनुसार छपाई के कार्य दिए गये थे।

छपाई के लिए दिए गये कार्य का विवरण	आर्डर का दिनांक	मूल्य
1	2	3
		रु0
1--वर्क पेमेंट पैड	4-4-83	1,750
2--चालान फार सेल और इन्टर कम्यूनीकेशन पैड	6-9-83	1,800
3--इन्क्वायरी पैड (जे0 के0 बान्ड पेपर पर)	6-9-83	380
4--अलग-अलग काउन्टर के कोन लेबिल	14-11-83	6,580
5--कैश वाउचर्स (100 लीव)	6-9-83	180
6--कैश वाउचर्स पैड (जे0के0 बान्ड)	15-9-83	150

1	2	3
		रु0
7—परिचय-पत्र	28-11-83	40 0
8—इन्क्वायरी पैड और इन्डेंट बुक	28-12-83	5 23
9—आफिस पैड बड़ा साइज, आफिस पैड छोटा साइज और जी0 आर0आर0 पैड	28-12-83	3,960

उपरोक्त में से अधिकांश छपाई के कार्य कोटेशन/टेंडर मंगाने के उपरान्त दिये गये थे। केवल छोटी धनराशि के आर्डर समय की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए पिछली स्वीकृत दरों के आधार पर दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्थाओं ने कोटेशन दिए थे।

1—रामा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

2—रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

3—मूलचन्द्र ब्रदर्स, फैजाबाद।

4—रीतू प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर।

5—गर्ग प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर।

6—सतीश प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर।

7—प्रतिभा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

8—कानपुर स्टेशनरी मार्ट, कानपुर।

9—सेवा प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

10—साधना प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर।

11—नटराज प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

12—विद्यार्थी प्रिंटिंग प्रेस, फैजाबाद।

13—लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, अकबरपुर।

प्रश्न नहीं उठता।

98—श्री किरन पाल सिंह—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

जनपद मिर्जापुर में निधा मारबल के खोज की कार्यवाही

99—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के पहले बुधवार को श्री मित्रसेन यादव द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राज्य सरकार प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए उस क्षेत्र में निधा मारबल की मात्रा का दुबारा अनुमान जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया अथवा केन्द्र सरकार की खनिज पदार्थ सम्बन्धी खोज करने की अन्य संस्था से लगवाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कथित क्षेत्र में निधा मारबल की मात्रा का अनुमान पहले ही लगाया जा चुका है। अतः दुबारा अनुमान लगवाने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

जनपद बरेली में कतिपय विकास खंडों में छिद्रित नलकूपों को चालू करने के निर्देश

100—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मीरगंज एवं शरगढ़ विकास खन्डों में कितने और कौन-कौन से राजकीय नलकूप ऐसे हैं जो छिद्रित किए जाने के एक वर्ष बाद

तक भी चालू नहीं किए गए ? क्या मंत्री जी इन्हें तुरन्त पूरा करके चालू कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बरेली के विकास खंड मीरगंज में राजकीय नलकूप संख्या 132 गहबरा/135, सुकली/136 बूलई पाडपुर/137, नगरिया सादात, एवं विकास खंड शेरगढ़ में 138 बरोबुरा/139 महोडा, बरेली ऐसे थे जो छिद्रण किए जाने के एक वर्ष बाद तक चालू नहीं हो पाये थे। इन सभी नलकूपों को चालू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में रामगंगा नदी पर ठोकर बनाने हेतु ग्राम वासियों के प्रार्थना-पत्र

101—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली की सदर तहसील का ग्राम मुहम्मदगंज राम गंगा नदी से कट रहा है और इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने प्रशासन को समय-समय पर ग्राम को बचाने के लिए रामगंगा नदी में पत्थर की ठोकरें बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ठोकरों के निर्माण के लिए आदेश करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम के कटाव को रोकने हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से एक पत्र जून, 1984 में प्राप्त हुआ था।

इस ग्राम के कटान के सुरक्षार्थ सर्वेक्षण कराया जा रहा है : सर्वेक्षणोपरान्त इस परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर बाढ़ रक्षा कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बरेली में ग्राम तातारपुर निवासियों द्वारा गंगा नदी पर ठोकर बनाने हेतु दिए गए प्रार्थनापत्र

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली की सदर तहसील का ग्राम तातारपुर गंगा नदी से कट रहा है और इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने प्रशासन को समय-समय पर ग्राम को बचाने के लिए रामगंगा नदी में पत्थर की ठोकरें बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त ठोकरों के निर्माण के लिए आदेश करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्रामतातारपुर रामगंगा नदी से कट रहा है। इस ग्राम के कटान को रोकने हेतु ग्रामवासियों का एक प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से जून, 1984 में प्राप्त हुआ था। वर्षाकाल होने के कारण इस ग्राम की सुरक्षा हेतु कोई कार्यवाही करना संभव नहीं था।

अब इस ग्राम के सुरक्षार्थ सर्वेक्षण कराया जा रहा है इसके उपरान्त इस परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन संभव हो सकेगा।

जूनियर इंजीनियर (कुल्ली-डैम) श्री नकवी द्वारा अवैध पेड़ कटवाने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

103-श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में कुल्ला डाम पर नियुक्त जूनियर इंजीनियर श्री नकवी के खिलाफ नहर विभाग के पेड़ों को अवैध रूप से कटवाकर बेचने के अपराध में थाना शीशगढ़ से आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है तथा उनके अधिशासी अभियन्ता ने उन्हें वहां से प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करने के लिए मुख्य अभियन्ता को लिखा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त श्री नकवी को वहां से स्थानान्तरित करके उनके खिलाफ राजकीय सम्पत्ति का अपहरण करने के कारण विभागीय कार्यवाही करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

श्री नकवी के स्थानान्तरण आदेश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा पंचम मण्डल, सिंचाई कार्य, बरेली से द्वादशम मण्डल, सिंचाई कार्य लखनऊ के लिए निर्गत किए जा चुके हैं । श्री नकवी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के आदेश प्रमुख अभियन्ता को दे दिए गए हैं ।

जनपद बलिया में कोइली मुहान ताल की जल निकासी का प्रबन्ध

104-श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत सीयर ब्लाक में प्रतिवर्ष हजारों एकड़ फसल की बरबादी करने वाला विशालकाय कोइली मुहान ताल की जल निकासी के लिए सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बलिया जिले के सियर विकास क्षेत्र में कोईली मुहान ताल के पानी की निकासी हेतु कोईली मोहान ताल ड्रेन 2.3 कि0 मी0 लम्बी बनी हुई है । इस ड्रेन से होकर ताल का पानी घाघरा नदी में (नदी का जल स्तर गिरने के बाद) चला जाता है । इस ताल का पानी खरीफ में कुछ क्षेत्र में फैल जाता है परन्तु अधिकांश क्षेत्र रबी में बुआई के लिए उपलब्ध हो जाता है । अतः जल निकासी की कोई अन्य योजना प्रस्तावित नहीं है ।

तेलीबाग, जनपद लखनऊ में स्थित अवैध शराब कारखाने पर छापे से बरामद सामान एवं जांच

105-श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 5वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 82 के सन्दर्भ में आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रपट में 8 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ता0 31-3-85 तक क्या कार्यवाही हुई ? कितनों को क्या-क्या सजा दी गई ? बरामद हुए सामान का क्या हुआ तथा कितने राजस्व की हानि हुई ? क्या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आई0 पी0 सी0 की धारा 482/489/420 व 120बी तथा उ0 प्र0 आबकारी अधि-

नियम की धारा 60/64 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

सजा देने का प्रश्न अभी नहीं उठता क्योंकि वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

बरामद हुआ सामान न्यायालय में प्रदर्श होने के लिए मालखाना पुलिस थाना कैण्ट, लखनऊ में सुरक्षित रखा है । चूंकि सामान पकड़ लिया गया और बिका नहीं, अतः राजस्व की हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

द्वादशम मण्डल लखनऊ के अंतर्गत कतिपय जिलों में कार्यरत लिपिकों के सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान

106—श्री राजेन्द्र गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1984 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि एकत्र की गयी सूचना क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित कर ली गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ?

जनपद आजमगढ़ में सिकरीकोल माइनर के निर्माण कार्य में व्यय की गयी धनराशि

107—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट कैनाल जिला आजमगढ़ की उप शाखा सिकरीकोल माइनर का निर्माण कार्य जो पूर्व में आरम्भ हुआ था कब तक पूरा हो जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त माइनर के निर्माण कार्यों में अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई और कितनी धनराशि और व्यय होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिकरीकोल माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1987 तक पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है ।

उक्त माइनर के निर्माण पर लगभग 7.50 लाख रु0 की धनराशि का व्यय हुआ है । इस माइनर का निर्माण दो चरणों में पूर्ण किया जाना है । प्रथम चरण के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 12.00 लाख रु0 तथा द्वितीय चरण के कार्यों हेतु लगभग 20.00 लाख रु0 की आवश्यकता का अनुमान है ।

जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी की जल निकासी योजना

108—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि मड़हा नदी (तमसा) स्थित जनपद फैजाबाद में बाढ़ प्रभाव को रोकने के लिए जल निकासी की कोई योजना स्वीकृत हुई है तथा बरसाती पानी को नाला खोद कर घाघरा नदी में गिराने का प्रस्ताव शासन ने मंजूर कर लिया है ? जिसके अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड 45 (ड्रेनेज) ने उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वस्तुएं एकत्र कर ली हैं किन्तु खुदाई एवं सायफन निर्माण का कार्य ठप्प है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मड़हा नदी के जल निकास क्षमता में अभिवृद्धि हेतु एक योजना अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, फैजाबाद द्वारा तैयार की गयी थी जो राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है ।

मड़हा नदी से फैजाबाद शाखा तक नाला खोदकर फैजाबाद शाखा के नीचे साइफन बनाकर तथा वर्तमान रामसरन दासपुर नाले की क्षमता बढ़ा कर बरसाती पानी को गौरियामऊ प्राकृतिक नाले से घाघरा नदी में गिराने का कार्य मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) ने स्वीकृत किया है। साइफन का निर्माण फैजाबाद ब्रान्च के बन्द होने पर ही किया जाना संभव होगा।

फैजाबाद एवं गोरखपुर मंडल के कतिपय जिलों को बाढ़ एवं ड्रेनेज हेतु आवंटित धन

109—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मंडल तथा फैजाबाद मंडल के किन जिलों को गत दो वर्षों में कितना-कितना धन बाढ़ खंड तथा ड्रेनेज खंडों को दिया गया ? कितना-कितना धन प्रत्येक वर्षों में खर्चा किया गया ? क्या सरकार उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडलों के जिलों के बाढ़ एवं ड्रेनेज खण्डों को वित्तीय वर्ष 1983.84 तथा 1984.85 में आवंटित धन और उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण संलग्न है।

(देखिए लग्नो 'ध' आग पृष्ठ 143 पर।)

जनपद आजमगढ़ में लालगंज रजबहा से उत्पन्न जल जमाव की समस्या का समाधान

110—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के तह0 लालगंज में शारदा सहायक खंड 23 (लालगंज रजबहा) ग्राम चकिया, कसरावल, पोस्ट मेहनाजपुर में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए नाली बनाने की कोई योजना इस सत्र में सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। योजना के अनुसार 3.40 किलोमीटर लम्बी चकिया-करसावल ड्रेन का सर्वेक्षण पूरा करा लिया गया है तथा लम्ब छिन्नक भी स्वीकृत हो गया है। वर्तमान वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

सिंचाई विभाग में प्रभारी सहायक अभियन्ताओं को वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ताओं से अधिक वेतन

111—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रभारी सहायक अभियन्ताओं को अधिक वेतन दिया जा रहा है जबकि उनसे वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता कम वेतन पा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं के सीनियर ग्रेड एवं सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान अधिशासी अभियन्ता के समान हैं तथा प्रभारी सहायक अभियन्ताओं को 100 रु0 प्रति माह की दर से विशेष वेतन भी मिलता है। इसलिए निम्न कारणों से कतिपय प्रभारी सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त हो सकता है :

(1) ऐसे प्रभारी सहायक अभियंता जिनका सेवाकाल अधिशासी अभियंता के सेवाकाल से अधिक हो।

(2) ऐसे प्रभारी सहायक अभियन्ता जिन्हें अधिशासी अभियन्ता की अपेक्षा सीनियर ग्रेड/ सेलेक्शन ग्रेड पहले मिल गया हो।

फिरोजाबाद में कतिपय चूड़ी भट्ठियों को आवंटित कोयला

112--श्री चन्द्र भान मौर्य--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि फिरोजाबाद शहर, जनपद आगरा में कितनी चूड़ी पकाई भट्ठियों को वर्ष 1984-85 व वर्ष 1985-86 में 17-5-1985 तक बतौर परमिट कितने मैट्रिक टन कोयला दिया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि यह भट्ठियां वास्तव में चूड़ी पकाई का काम कर रही हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

आगरा जनपद के फिरोजाबाद नगर में चूड़ी पकाई हेतु 707 पकाई भट्ठियों को वर्ष 1984 व 1985 में 1,16,600 मी0 टन कोयला की स्पोन्सरिंग रेल विभाग को की गयी एवं उक्त अवधि में 52,090 मी0 टन कोयला सड़क यातायात द्वारा लाने हेतु कोल इंडिया लि0 को भी संस्तुति की गयी है।

यह पकाई भट्ठियां "जाब वर्क" के रूप में चूड़ी पकाई का काम कर रही हैं।

मऊरानीपुर, झांसी के कतिपय ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

113--श्री भगीरथ चौधरी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 3 सितम्बर, 1981 का पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री (राजा विश्वनाथ प्राप्त सिंह) को तहसील मऊरानीपुर, झांसी के 126 ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विधायक का सितम्बर, 1981 का पत्र जो तहसील मऊरानीपुर, झांसी के 126 ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अकबरपुर व बाराबंकी कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

114--श्री शेर बहादुर सिंह, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेतली, भूत पूर्व विधायक द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को दिनांक 8-5-1984 को तथा दिनांक 18-8-1984 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को भेजे पत्र जिसकी प्रति मुख्य मंत्री को भी अकबरपुर व बाराबंकी कताई मिलों में व्याप्त भ्रष्टाचार व शोषण इत्यादि के सम्बन्ध में थी, दी गई थी, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां। प्रश्नगत पत्रों में श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा की गयी शिकायतों में सामान्यतः बल नहीं पाया गया। जहां तक इन्टक से सम्बन्धित 16 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का प्रश्न है, इसका विवाद श्रम न्यायालय, लखनऊ में विचाराधीन है। इसी प्रकार डकंती में आरोपित जिन श्रमिकों को श्री एस0 के0 सिंह, भूतपूर्व मुख्य अधिशासी, कताई मिल, अकबरपुर द्वारा बचाने का प्रयास

करने की शिकायत का सम्बन्ध है, इन श्रमिकों पर कायर वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

शारदा सहायक फीडर चैनल की कतिपय शाखों से जनपद बाराबंकी के प्रभावित कतिपय गांव

115--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर, राम सनेहीघाट और नवाबगंज के कितने गांव शारदा सहायक फीडर, चैनल, दरियाबाद ब्रांच एवं बाराबंकी ब्रांच से प्रभावित हैं? क्या सिंचाई विभाग द्वारा इसका कोई सर्वे कराया गया है? क्या सीपेजग्रस्त गांवों का लगान व सिंचाई माफ करने तथा वहां कृषकों को मुआवजा देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तहसील फतेहपुर, राम सनेही घाट व नवाबगंज में 48 ग्राम सीपेज से प्रभावित हैं ।

जी हां।

जिलाधिकारी बाराबंकी ने तहसील से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सीपेज से जलमग्न भूमि का राजस्व एवं सिंचाई में छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजने की अनुमति राजस्व परिषद् से चाही है। मुआवजा देने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सीपेज ग्रस्त ऐसे क्षेत्र जिनमें कोई फसल नहीं उगाई जाती, में सिंचाई कर न लगाने के आदेश हैं ।

प्रदेश सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के बेरोजगार

116--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1985 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में कितने बेरोजगार लड़के पंजीकृत थे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनमें कितने लड़के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हैं और ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों की संख्या कितनी है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

31 मार्च, 1985 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में कुल 19,68,410 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत थे ।

इनमें से 31 मार्च, 1985 तक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों की अलग-अलग संख्या बता पाना अभी संभव नहीं है । इससे समय लगेगा ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1984 को तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या 99,796 थी, ग्रेजुएट्स की संख्या 2,58,010 तथा पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या 76 886 थी। ग्रेजुएट्स तथा पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या में तकनीकी वर्ग भी सम्मिलित है ।

शारदा सहायक खंड 25, बाराबंकी द्वारा सम्पन्न विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय

117--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में शारदा सहायक खंड 25, बाराबंकी द्वारा निर्माण कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ और कहां-कहां किस प्रकार का कुल कितना कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि केवल मार्च, 1985 के अन्तिम में 10 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदारों को किया गया ? यदि हां, तो यह काम कब कराये गये थे और कहां कराये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1984-85 में शारदा सहायक खंड 25 बाराबंकी द्वारा निर्माण कार्यों पर कुल 39·11 लाख रुपये व्यय किया गया ? जिसका विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 146 पर ।)

जनपद बाराबंकी में सिंचाई हेतु लगे सरकारी नलकूपों की स्थिति

118--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में सिंचाई हेतु कितने सरकारी नलकूप लगे हुए हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितने नलकूप वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बाराबंकी में 189 राजकीय नलकूप सिंचाई हेतु लगे हुए हैं । इनमें से 4 नलकूप विद्युत् दोषवश वर्षों से (अधिकतम 1 1/2 वर्ष) से बन्द हैं ।

जनपद बाराबंकी में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत वितरित ऋण का उपयोग

119--राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1984-85 में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों को कितना-कितना ऋण दिया गया ? क्या इस बात की जानकारी शासन को है कि ऋण प्राप्तकर्ताओं ने कोई काम प्रारम्भ नहीं किया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जनपद बाराबंकी में वर्ष 1984-85 में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 173 लोगों को 19·658 लाख रु0 का ऋण वितरित किया गया । ऋण प्राप्तकर्ताओं में से 115 लोगों ने अपने उद्योग स्थापित कर लिये हैं तथा शेष 58 इकाइयां स्थापना की प्रक्रिया में हैं ।

मऊरानीपुर, झांसी में कतिपय बांधों की योजना एवं निर्माण में विलम्ब

120--श्री भागीरथ चौधरी--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के 1ले बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिजार बांध तथा पथराई बांध की स्वीकृति कब दी गयी थी तथा उस पर दिनांक 17 मई, 1985 तक कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि लखेरी बांध योजना एवं कुरार बांध योजना का अध्ययन एवं सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या मन्त्री जी उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिजार बांध तथा पथराई बांधों की वित्तीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 24 नवम्बर, 1982 तथा 31-3-82 को दी गयी तथा धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ न हो सका । अतः किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखेरी तथा कुरार बांध परियोजना का सर्वेक्षण करके योजनायें परीक्षणाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं में नलकूप खंड प्रथम एवं द्वितीय में पांच साल या अधिक समय से कार्यरत कार्मचारी

121--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड प्रथम एवं द्वितीय जनपद बदायूं में ऐसे कितने लिपिकगण कार्यरत हैं जिन्हें खण्ड व उपखण्ड में

एक ही पटल पर निरन्तर कार्य करते पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि हो गई है उन्हें अभी तक हटाये न जाने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग में ऐसा कोई नियम है कि एक खंड के अन्तर्गत एक ही पटल पर पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि में लिपिकगण कार्यरत नहीं रह सकते ? यदि हां, तो ऐसे लिपिक जिनको एक ही खण्ड में एक ही पटल पर पांच वर्ष या उससे अधिक हो चुके हैं उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है एवं उक्त व्यवस्था को कार्यान्वित न कराने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड प्रथम एवं द्वितीय जनपद बदायूं में ऐसा कोई लिपिक कार्यरत नहीं है जिसे खंड व उप खंड में एक पटल पर निरन्तर कार्य करते पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि हो गयी है। सिंचाई विभाग में एक ही काउन्टर पर कार्यरत कर्मचारी को तीन से पांच वर्ष के पश्चात् किसी भिन्न काउन्टर पर हटाये जाने का प्राविधान है। नलकूप खण्ड, प्रथम एवं द्वितीय जनपद बदायूं में कार्यरत लिपिकों के सम्बन्ध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा कैनाल बाराबंकी के अवर अभियन्ता श्री रवि शंकर निगम द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

122--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शारदा कैनाल, बाराबंकी के अवर अभियन्ता श्री रवि शंकर निगम का मोटर साइकिल एक्सीडेंट में पैर टूट गया था और 24 फरवरी, 1984 को सदर अस्पताल, बाराबंकी में भर्ती हो गये थे और मार्च, 1984 तक भर्ती रहे थे ? क्या यह सही है कि उक्त अवर अभियन्ता को मार्च, 1984 का वेतन आन ड्यूटी निकाला गया ? क्या यह भी सही है कि उनकी बीमारी के दौरान कई कामों के माप उनके नाम से दिखाये गये और अप्रैल व मई, 1984 में मिट्टी के कार्य की वर्क आर्डर की माप उनके नाम से चढ़ाई गयी ? क्या यह सही है कि इन कामों की जांच अधिशासी अभियन्ता ने 16 मार्च, 1985 को किया और मौके पर उन्हें कोई काम नहीं मिला ? यदि हां तो अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सम्बन्धित अवर अभियन्ता दिनांक 24 फरवरी, 1985 को पूर्वान्ह 10.45 से 7.30 सायंकल तक अस्पताल में भर्ती रहे।

जी नहीं।

मार्च, 1984 में अवर अभियन्ता ने अवकाश के कारण कोई माप अंकित नहीं किया। अप्रैल व मई, 1984 में अवर अभियन्ता ने स्वयं माप अंकित किया।

अधिशासी अभियन्ता की जांच में उक्त अवधि की कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता द्वारा अस्थायी आदाय हेतु भुगतान के अधिकार में वृद्धि

123--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के अनुसार सिंचाई विभाग के अवर

अभियन्ता को जितनी धनराशि अस्थायी आदाय के भुगतान पर कार्य कराने के लिये अधिकृत किया गया है वह अधिकृत धनराशि किसी कार्य को सुचारु रूप से कराने के लिए अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो क्या शासन इस धनराशि को बढ़ाने का विचार करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद इलाहाबाद में श्री रमेश चन्द्र मिश्र, ठेकेदार द्वारा लिफ्ट सिंचाई खण्ड में कृत कार्यों सम्बन्धी अवशेष धनराशि का भुगतान

124--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि श्री रमेश चन्द्र मिश्र, ठेकेदार, ग्राम बरदहा, पो0 करछना, इलाहाबाद के द्वारा करछना क्षेत्र में नलकूपों पर विभिन्न कार्यादेशों के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई खंड इलाहाबाद में कराये गये सन् 1981, 1982, 1983 के कामों के अवशेष देयों का 7515 रुपया तथा 10 प्रतिशत काटी गई प्रतिभूति 11,454 रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया में उद्योगों को लगाने हेतु प्रस्ताव

125--श्री रणजीत--

क्या उद्योग मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में जिला देवरिया में भी अथवा छोटे उद्योगों को लगाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

देवरिया जनपद में जी0 पी0 शीट्स/जी0 सी0 शीट्स बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आशय पत्र जारी किया गया है । यह कारखाना लगभग अठारह करोड़ रुपये की लागत से बनेगा । उपरोक्त के अतिरिक्त लघु एवं दस्तकारी इकाइयां इत्यादि लगाने का भी प्रस्ताव है जिसका ब्यौरा निम्न-लिखित है :--

	रु0
1--लघु एवं लघुस्तर इकाइयों की संख्या	230
2--दस्तकारी इकाइयों की संख्या	400
3--एकीकृत ग्राम्य विकास योजना--	
उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित इकाइयां	5,800

विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि0, मसौधा, फैजाबाद में कार्यरत मजदूरों का मासिक वेतन

126--श्री मित्रसेन--

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विष्णु स्ट्रा बोर्ड लि0, मसौधा, मोती नगर, फैजाबाद के मजदूरों को वेतन बोर्ड के निर्णयानुसार वेतन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त फक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को किन नियमों के अधीन मासिक भुगतान किया जाता है और उन्हें कौन-कौन सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

कागज एवं गत्ता उद्योग के लिए कोई वेतन मंडल गठित नहीं हुआ है । राज्य सरकार ने कागज एवं गत्ता उद्योग

के श्रमिकों के वेतन दरों के पुनरीक्षण हेतु अलबत्ता एक त्रिदलीय समिति का गठन किया था जिसकी अनुशंसाएं शासन के विचाराधीन हैं ।

प्रदेश के दफ्ती, स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या 1239/36-3-1016 (एम0 डब्लू0)-8/80, दिनांक 29 जून, 1981 द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित है । इस फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक विभिन्न श्रम कानूनों से आवृत्त होते हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएं अनुमन्य हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् कन्ट्रैक्ट लेबर को अनुमन्य वेतन एवं सुविधाएं

127—श्री मित्रसेन—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्ट्रैक्ट लेबर जो राज्य विद्युत् परिषद् में काम कर रहे हैं उनको कन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एन्ड एबलेशन, 1976 के अनुसार वह सारी सुविधायें और अनुमन्य वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

128—श्री मित्रसेन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

ग्राम लडुवा खुर्द, जनपद आजमगढ़ के कतिपय काश्तकारों की, टीकरगढ़ राजवहा हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा

129—श्री श्रीप्रकाश—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-23 के टिकरगढ़ राजवाहा माइनर में ग्राम लडुवा खुर्द तप्पा चौरी, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के किन-किन काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गई तथा किन-किन को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खन्ड-23 के टीकरगढ़ राजवाहा माइनर में ग्राम लडुवा खुर्द तप्पा चौरी, परगना देवगांव, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के 133 काश्तकारों की 14.813 एकड़ भूमि अर्जित की गयी । इन काश्तकारों को कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गयी, उसका विवरण मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं । 133 प्रभावित किसानों में से 112 किसानों को 5,13,110.70 का मुआवजा वितरित कर दिया गया है ।

बांदा जिलान्तर्गत औझर बांध की कतिपय माइनरों की मरम्मत एवं बांध के स्लेप से पानी का बहाव

130—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले के औझर बांध की देवी व दवना माइनरों की मरम्मत व खुदाई-सफाई का काम कई वर्षों से नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि सरकारी रिकार्ड में मरम्मत दिखा दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस वर्ष बांध के स्लेप से अधिक पानी बहा दिया गया, जिससे बांध में पानी की कमी हो गयी और किसानों को पानी न मिलने के कारण उनकी फसलें सूख गईं ? यदि हां, तो किसानों को सिंचाई लगान में छूट देने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ओझर बांध की देवी वा दबबा माइनर में पिछले वर्षों में कहीं-कहीं पर घट्टा बन्दी व सफाई का कार्य कराया गया है। बांध के स्केप से पानी नहीं बहाया गया है और फसलें नहीं सूखी हैं। अतः कृषकों को सिंचाई-लगान में छूट देने अथवा अधिकारियों को दण्डित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय गांधी आश्रम, मटौंध, बांदा के निवर्तमान इन्चार्ज द्वारा की गयी धोखाधड़ी की जांच

131—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम मटौंध, जिला बांदा के निवर्तमान इन्चार्ज (श्री सुदर्शन) के द्वारा स्नातक बेरोजगार युवक श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री भोला प्रसाद यादव निवासी ग्राम तिन्दवारा, विकास खन्ड बड़ोखर खुद जिला बांदा के साथ वर्ष 1980-81 के दौरान जालसाजी व धोखाधड़ी करके ऋण एवं अनुदान में मिलने वाले रुपयों का गबन कर लिया है, जिसकी वसूली वर्ष 1984 तहसील बांदा द्वारा किये जाने की सूचना के पश्चात् श्री यादव ने 7-6-1984 एवं 4-4-1984 को माननीय मुख्य मंत्री सहित अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ आदि को तत्काल वसूली रोकने आदि का शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धांधली से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही तथा कर्ज माफी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की सिंचाई आधुनिकीकरण की परियोजनाओं पर बन्द कार्य

132—श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सिंचाई सम्बन्धी आधुनिकीकरण की परियोजनाओं पर क्या कार्य बन्द करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी टांडा में स्टेपुल धागे का बन्द सेल डिपो को चालू करने की कार्यवाही

133—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी टाण्डा के बुनकरों के लिये सरकार ने स्टेपुल धागे का, सेल डिपो कायम किया था, जो 2 3 वर्ष चलने के बाद वर्ष 1983 में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बुनकरों की परेशानियों को देखते हुए इस डिपो को चालू करने की कृपा करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 हथकरघा निगम द्वारा स्वदेशी काटन मिल, नैनी के सहयोग से स्टेपुल धागे के 10 विक्रय केन्द्र कायम किये गये थे जिन पर नैनी मिल स्वयं बिक्री दर निर्धारित करके "कन्साइनमेन्ट बेसिस" पर स्टेपुल धागा भेजती थी। बाद में मिल द्वारा धागे की बिक्री दरों को बाजार दरों से अधिक निर्धारित करने के कारण बिक्री बन्द

हो गई और अन्त में वर्ष 1983 में डिपो बन्द करने को बाध्य होना पड़ा। माह अप्रैल, 1985 से निगम ने स्टेपुल धागा स्वयं खरीदकर अपने बिक्री केन्द्र के माध्यम से बिक्री करना आरम्भ कर दिया है।

बाराबंकी कताई मिल में स्टेपुल धागे बनाने का बन्द कार्य

134—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी कताई मिल जो बुनकरों की आवश्यकतानुसार स्टेपुल धागा बनाने हेतु खोली गयी थी, स्टेपुल धागा बन रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

बाराबंकी कताई मिल की स्थापना बुनकरों को काटन यार्न तथा स्टेपुल यार्न की आपूर्ति हेतु की गयी थी। उक्त मिल में वर्तमान में स्टेपुल धागा नहीं बन रहा है क्योंकि स्टेपुल फाइबर (कच्चा माल) उपयुक्त दरों पर उपलब्ध नहीं है।

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत यूनिटों हेतु पूंजी की व्यवस्था

135—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र सुल्तानपुर में 1984-85 में किस प्रकार के यूनिट पंजीकृत हुए हैं और उनको कोई पूंजी की व्यवस्था एवं सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र सुल्तानपुर में वर्ष 1984-85 लघु स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों जैसे आइरन वाल, दाल, चावल एनिमल, ट्राई कलर्स, दैंट्री तथा फ्लोट स्टील गेट, थ्रेसर खाद्य तेल ट्रैक्टर टाली थ्रेसर, ब्लोन विटमन, एंगिल, राड, चैनल, लेमिनेटेड पेपर, पी0 वी0, सी0 फुटबियर लेथ मशीन, अचार चटनी, मोजेक टायल्स, चारामशीन हैन्डपम्प सीमेन्ट की हयूम पाइप, केरोगेटेन्ड वाक्स ब्रेड तथा विस्कुट, एलम्युनियम के बर्तन शटर चैनल गेट्स, माइल्ड स्टील वेल्डिंग, प्लास्टिक नेवाड़ आटो-लोडस स्प्रिंग प्लास्टिक पालीथीनन बैग इत्यादि की 55 इकाईयों का प्रस्तावित पंजीकरण हुआ। औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर केन्द्रीय पूंजी उपादान योजनान्तर्गत विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः यहां पर समस्त उद्योगों को 25 प्रतिशत की दर से स्थापित इकाइयों को उनके अचल पूंजी विनियोजन पर उपादान देय है।

जनपद सुल्तानपुर में ग्राम रसूलपुर के अशिक्षित बेरोजगारों हेतु रोजगार की व्यवस्था

136—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर विकास खण्ड शुकुल बाजार जिला सुल्तानपुर की जनसंख्या जो अशिक्षित व बेरोजगार है, को रोजगार एवं शिक्षा के लिए चिकन कढ़ाई एवं कालीन बुनाई का केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ग्राम सभा रसूलपुर (सुल्तानपुर), में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु वर्ष 1985-86 में अभी तक किसी उद्यमी द्वारा केन्द्र आवंटन का आवेदन नहीं किया गया है। अतः वहां कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलना सम्प्रति विचारधीन नहीं है।

जहां तक चिकन केन्द्र की स्थापना का प्रश्न है, विगत वर्ष किये गये सर्वेक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि कथित

क्षेत्र में इस उद्योग का सम्भावनायें कम प्रतीत होती हैं । अतः चिकन-कढ़ाई केन्द्र वहां खोला जाना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

जनपद गोण्डा में वर्षों से नियुक्त नलकूप चालकों का स्थानान्तरण

137—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बतने की कृपा करेगी कि जनपद गोण्डा में कितने नलकूप चालक एक ही स्थान पर वर्षों से नियुक्त हैं और उनका स्थानान्तरण अन्यत्र न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गोण्डा में 228 नलकूप चालक नियमित अधिष्ठान में तथा 5 नलकूप चालक कार्य प्रभारित अधिष्ठान मे कार्यरत हैं । इनमें से 61 नलकूप चालक 5 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं । इनका स्थानान्तरण करना जनहित में आवश्यक नहीं समझा गया ।

बांदा जिले के ग्राम मौहानी कलां के ग्रामीणों द्वारा ओहन नदी पर लिफ्ट योजना बनाने की मांग

138—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के करवी तहसील के ग्राम मौहानी कलां के प्रधान द्वारिका सिंह आदि ग्रामीणों ने दिनांक 4-4-85 को लिफ्ट सिंचाई विभाग में प्रार्थना-पत्र देकर ओहन नदी पर लिफ्ट योजना बनाने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बांदा जिले के करवी तहसील के ग्राम मौहानी कलां के प्रधान द्वारिका सिंह आदि ग्रामीणों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिये गये अनियमित लोन की जांच

139—श्री राम जनम यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में उद्योग अधिकारी द्वारा बिना जांच-पड़ताल के करोड़ों रुपया स्वतः बेरोजगार योजना के नाम पर लोन दिया गया है ? क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ जांच करवाकर उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

किसी विशिष्ट शिकायत के प्राप्त होने पर ही जांच करवाई जा सकती है ।

वि0 क्षे0, परतावल के कतिपय गांवों में जल जमाव के सम्बन्ध में पत्र

140—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक अनुरोध पत्र दिनांक 8-4-85 को विकास क्षेत्र परतावल के कतिपय गांवों में जल जमाव के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

सिंचाई विभाग में अभियन्ता के पद पर पदोन्नतियां एवं रिक्त आरक्षित पद

141—श्री मूल चन्द्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1985 तक प्रदेश के

विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों और अभियन्ता के पद पर कितनी पदोन्नतियां की गयी हैं ? कृपया यह भी बतायेंगे कि इस विभाग में अनुसूचित जाति के आरक्षित पद कितने हैं तथा कितने रिक्त पड़े हैं और वे कब तक पूरे किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्च, 1985 में सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता यान्त्रिक से अधिशासी अभियन्ता के पदों पर 5 पदोन्नतियां की गईं। आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार विभाग में अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। वर्तमान में समस्त आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र एवं उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।

विभिन्न कारणों से बन्द कारखानों से प्रभावित श्रमिक

142- श्री राज किशोर सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1985 से पूरे प्रदेश के कुल कितने कारखाने किन कारणों से बन्द हैं और कुल कितने श्रमिक इन बन्दियों से प्रभावित हैं तथा सरकार ने इन बन्द मिलों को चालू कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सैयद सईदुल हसन--

प्रदेश में जनवरी, 1983 से 31 मार्च, 1985 तक कुल 66 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बन्दी हुई इन बन्दियों से कुल 6,575 श्रमिक प्रभावित हुए। बन्दियों का मुख्य कारण आर्थिक संकट, माल की बिक्री न होना, कच्चे माल की कमी, श्रम अशांति व बिजली की समस्या आदि हैं। शासन के प्रयासों के फलस्वरूप आठ कारखाने खुल गये हैं।

बन्द जे0 के0 रेयान, कानपुर को चालू करने की कार्यवाही

143--श्री राज किशोर सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 के0 रेयान, कानपुर 16 मई, 1983 से सरकार की अनुमति से बन्द हुआ है ? यदि नहीं, तो सेवायोजकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और जे0 के रेयान कानपुर के 2,200 श्रमिक और उनके परिवार के 10,000 लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये कारखाने को सेवायोजकों द्वारा या स्वयं अधिग्रहीत करके, चालू करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की और कब तक यह कारखाना चालू हो जायेगा।

श्री सैयद सईदुल हसन--

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-ओ जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान को जिसमें 300 से अधिक श्रमिक नियोजित हों, बन्द करने से पूर्व सेवायोजकों को शासकीय अनुमति प्राप्त करने का प्राविधान था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अस्तित्व में नहीं था जिस समय यह कारखाना सेवायोजकों द्वारा बन्द किया गया।

उ0 प्र0 औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 की धारा 6-डब्लू, जिसके अन्तर्गत किसी प्रतिष्ठान को बन्द करने से पूर्व शासकीय अनुमति प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है, प्रतिष्ठान बन्द होने के बाद प्रभावी हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेवायोजकों को प्रतिष्ठान बन्द करने के सम्बन्ध में शासकीय अनुमति प्राप्त करने की कोई वैधानिक बन्दिश नहीं थी। अतः सेवायोजकों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रतिष्ठान को भारत सरकार द्वारा इण्डस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत अधि-

गृहीत/प्रबन्धित कर चलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया की जा रही थी परन्तु कतिपय कानूनी अड़चनों के कारण इस सम्बन्ध में अभी तक अपेक्षित सफलता नही मिल सकी है ।

बन्द जे0 के0 रेयान कानपुर से प्रभावित मजदूरों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

144--श्री राज किशोर सिह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 मई, 1983 से बन्द जे0 के0 रेयान कानपुर सेवायोजकों द्वारा सरकार द्वारा अधिग्रहीत करके चालू किया जायेगा ? यदि नही, तो क्या सरकार ने इस कारखाने के मजदूरों के लिए कोई रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सैय्यद सईदुल हसन--

मे0 जे0 के0 रेयान कानपुर को भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत अधिग्रहीत/प्रबंधित कर चलाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया की जा रही थी परन्तु कतिपय कानूनी अड़चनों के कारण इस सम्बन्ध में अभी तक अपेक्षित सफलता नही मिल सकी है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में किसी वैकल्पिक योजना तैयार करने का वर्तमान में प्रश्न नही है ।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय माइनरों का निर्माण एवं व्यय

145--श्री श्री प्रकाश--

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 23 में टिकरगढ़ राजबहा माईनर तथा तरवा-डी0 राई माईनर कब-कब बनी तथा उन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ? क्या इन नहरों में कभी अन्तिम छोर तक पानी पहुंचा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिह--

तहसील लालगंज जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड-23 आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में टीकरगढ़ राजबहा का निर्माण वर्ष 1976-77 से शुरु किया गया था जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है । इस राजबहे के निर्माण पर जून, 1985 तक रु0 47.54 लाख व्यय किया जा चुका है ।

तरवा राजबहा वर्ष 1977-78 से बनना शुरु हुआ था जिसक कार्य अब भी प्रगति पर है । इस राजबहे पर जून, 1985 तक रू0 71.54 लाख व्यय किया जा चुका है ।

इन नहरों के अंतिम छोर तक अभी पानी नही पहुंचा है क्योंकि दोनों राजबहों में स्थान-स्थान पर गैप छूटे हुये हैं जिनकी खुदाई अभी तक नही हो पाई है ।

शारदा सहायक फीडर चैनल की दरियाबाद ब्रान्च नहरों के रेगुलेटरों के रख-रखाव पर किया गया व्यय

146--श्री रामचन्द्र बख्श सिह--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक फीडर चैनल के दरियाबाद रेगुलेटर से निकलने वाली दरियाबाद ब्रांचों की दोनों नहरों के किनारे रेगुलेटर के निकट पक्की लाइनिंग न होने के कारण तथा पानी के तेज बहाव के कारण नहरों के कटने का खतरा बना रहता है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन दोनों नहरों के रेगुलेटर के निकट रख रखाव के लिए वर्ष 1984-85 में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री वी बहादुर सिह--

जी नही ।

कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

शारदा सहायक पोषक नहर के साइफन में तकनीकी गड़बड़ी

147—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक फीडर चैनल के दरियाबाद रेगुलेटर से फतेहपुर में ग्राम रायपुर के निकट किलोमीटर 105 पर बने साइफन से पश्चिम की ओर से पानी पूरब जाने के बजाय पूरब का पानी पश्चिम को बहता है? क्या यह भी सही है कि उक्त साइफन के कई खाने तकनीकी गड़बड़ी के कारण बन्द रहते हैं और परिणामस्वरूप नहर के पश्चिम के गांव बरसात में बिल्कुल टापू बन जाते हैं? यदि हां, तो क्या शासन ग्राम वासियों के कष्ट निवारण के लिए तत्काल कदम उठायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के किलोमीटर 105 पर कोई साइफन नहीं है। वस्तुतः एक साइफन रीवा-सीवा के नाम से शारदा सहायक पोषक नहर के किलोमीटर 106.30 पर बना है। इस साइफन का पानी पश्चिम से पूरब की ओर ही बहता है और इसी ओर साइफन के नीचे रीवा-सीवा नामक ड्रेन भी बनी है जिससे वर्षा का पानी निकलता है।

साइफन में दो दर (प्रत्येक 3×3 मी0 बने हैं इनमें कोई तकनीकी खराबी नहीं है।

तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के कतिपय गांवों में जल भराव की समस्या

148—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में दरियाबाद ब्रांच के उत्तर खजुहा झील की सफाई व ड्रेनों की खुदाई न होने के कारण जल भराव से ग्राम बंसड़ा ठखौली, तालगांव अचैया, सुरजनपुर, लालमारी, कैथा तथा अन्य कई गांव बरसात में पूरी तरह से जल मग्न हो जाते हैं और फसल नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो क्या इस झील का पानी निकालने के लिए शासन तत्काल कोई व्यवस्था करेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। यह सही नहीं है कि प्रश्नगत गांव पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं अपितु केवल झीलों के आस-पास का क्षेत्र वर्षाकाल में जलप्लावित होता है। झीलों की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा नहीं की जाती है। इस क्षेत्र की जल निकासी के लिए कुआं डाडा ड्रेन बनी हुई है जिससे क्षेत्र का पानी निकलता है।

जनपद बाराबंकी में पखरभारी माइनर के जल बहाव से फसलों को क्षति

149—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में पांच वर्ष पूर्व पखरभारी माइनर तीन किलोमीटर खोद कर रोक दी गई थी और उसके बाद आगे खुदाई नहीं हुई है और जिसका परिणाम यह होता है कि माइनर का पानी आगे जाकर मनमाने ढंग से बहकर फसलों को हानि पहुंचाता है? क्या सरकार इस माइनर को और आगे खोदने की व्यवस्था करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टेल स्केप न बदलने के कारण पानी खेतों में फैलता है।

टेल स्केप बनाया जायेगा ।

जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में विलम्ब

150--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में फतेहपुर पिपरौली मार्ग पर कल्यानी नदी पर निर्माणाधीन पुल अधबना पड़ा है, इस पुल के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस पुल का निर्माण 31 मार्च, 1982 को प्रारम्भ हुआ था परन्तु तब सीमेन्ट के अभाव में तथा बाद में धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका । अब पूर्वी कल्याणी नदी की क्षमता वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस प्रस्ताव के फाइनल होने पर पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

विलम्ब के लिए कोई भी दोषी नहीं है ।

सरयू नहर परियोजना के लिए निर्धारित व्यय एवं समय

151--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरयू कैनाल का कुल परियोजना व्यय क्या है और उसे कब तक पूरा होना है और अब तक कुल कितनी धनराशि उस पर खर्च की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्तमान मूल्यों के आधार पर सरयू नहर परियोजना की पुनरीक्षित लागत 680 करोड़ रु० है । यदि परियोजना के लिए वांछित धनराशि उपलब्ध होती रही तो इसके वर्ष 1992-93 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

वर्ष 1984-85 तक कुल 153.97 करोड़ रुपया की धनराशि का व्यय किया जा चुका है ।

152--श्री शकीकुर्रहमान वर्क --

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

153--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मैनेजर सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

सीतापुर जिले में प्रयागपुर राजकीय नलकूप हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा

154--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद के ग्राम प्रयागपुर में जिस भूमि पर राजकीय नलकूप लगा है तथा उसकी नालियां बनी हैं उसका मुआवजा काश्तकारों को अब तक न देने का क्या कारण है ? जबकि 4 वर्ष से नलकूप बनकर कार्य कर रहा है ? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद की ग्राम प्रयागपुर में बने नलकूप के कम्पाउन्ड का भू-अर्जन प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, खीरी के स्तर पर लम्बित है । उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

155--श्री देव कुमार यादव--

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति

156—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 65/2/69 रा0 एको0 दिनांक 8-3-73 तथा अनुस्मारक शासनादेश संख्या 22/16/82 कार्मिक दिनांक 7-5-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कितने अधिशासी अभियन्ताओं को जून 83 में प्रोन्नत किया है तथा जुलाई, 83 से अब तक कितनों को प्रोन्नत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अनुसूचित जाति के 4 अधिशासी अभियन्ताओं को जून, 83 में तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया। जुलाई, 83 से अब तक किसी की प्रोन्नति नहीं हुई है क्योंकि पात्रता क्षेत्र में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। इस अवधि में तदर्थ रूप से नियुक्त एक अधिकारी को नियमित किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता पद हेतु पात्रता की शर्तें एवं पात्र अनुसूचित जाति के अधिकारी

157—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता के पद से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता क्या है और दिनांक 30-6-85 तक अनुसूचित जाति के कुल कितने अधिकारी पात्र हैं ? उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत एवं शासनादेश सं0 15/25/73 रा0 एको0 दिनांक 10-5-76 के अनुसार फार्वर्ड के विरुद्ध फिलहाल अनुसूचित जाति के कितने अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधिशासी अभियन्ता के पद से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति के लिये पात्रता, अभियन्त्रण सेवा में कुल 15 वर्ष की सेवा जिसमें से कम से कम 6 वर्ष प्रभारी सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्य किया हो, है। उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत रिक्तियों के अनुसार पात्रता क्षेत्र शासनादेश संख्या 15/85/1983-कार्मिक 1, दिनांक 30-11-1983 के अनुसार बनाया जाता है। अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 24 पदों के उच्चीकरण और उनके विपरीत पदोन्नतियां हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 30-6-1985 तक रिक्ति न होने के कारण किसी के पात्रता क्षेत्र में रहने का प्रश्न नहीं रहता। उच्चीकृत पदों के समक्ष की गई पदोन्नतियों के समायोजन के कारण इस समय अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नतियां प्रस्तावित नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 106 को बारबार स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12·20 मिनट]

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री औसान सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने माननीय राजेन्द्र गुप्त को बुला लिया है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप अपने द्वारा जारी किये गये करण संख्या 31 को देखने की कृपा करें और नियमावली के नियम 38 देख लें। करण संख्या 31 यह कहता है कि एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार जो प्रश्न स्थगित किया जायेगा यह दो बार से अधिक स्थगित नहीं किया जायेगा इस वजह से कि सूचना एकत्रित की जा रही है। नियम 38 यह कहता है कि उत्तर संगत दिये जायेंगे। इस सन्दर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 106 देखने की कृपा करें। इस प्रश्न में मैंने पूछा था कि एकत्र की गयी सूचना क्या है? इसका उत्तर आया है कि सूचना एकत्रित कर ली गयी है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सूचना क्या है? इस पर आप स्वयं निर्णय दे दें कि क्या यह प्रश्न का उत्तर सही है? इसमें मामला यह है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये थे। वे आरोप सदन में न आ जायं, इसलिए अधिकारी इसको छिपाते रहे। इसमें तीन बार पूछने पर यही उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है, चौथी बार जब फिर से पूछा गया तो उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित कर ली गई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। नेता सदन यहां बैठे हैं, प्रश्न की गम्भीरता को देख लें। आपसे प्रार्थना है कि यह इतना गम्भीर सवाल है इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें, जिसके करण-31 और नियम 38 की रक्षा हो जाय।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जिस सवाल पर मुझे पूछने का मौका नहीं मिला उसे आप देखें क्या सवाल है और क्या उसका जवाब आ रहा है। सवाल यह है कि इन्दिरा नहर से उत्पन्न सीपेज की समस्या, जिससे सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर के हजारों किसानों की जमीन प्रभावित है, उसके समाधान के लिए क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? इसका जवाब आया है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत सीपेज से प्रभावित क्षेत्र के सुधार हेतु विभिन्न कार्य कराये जा रहे हैं। बाद में इन कार्यों का वर्णन भी इन्होंने किया है कि जैसे छिछले नालों को गहरे नालों से मिलाया जाना, नालों से प्राकृतिक या अप्राकृतिक रुकावटों को दूर करना, प्रत्येक नहर की टेल को नाले से मिलाना आदि। मेरा सवाल यह था कि इन्दिरा कैनाल, जो एशिया की सबसे बड़ी कैनाल है और जिससे हजारों एकड़ जमीन सीपेज से ग्रस्त है, उसका सरकार क्या समाधान कर रही है? इस पर इनका यह उत्तर है, जो कि सदन को गुमराह करने वाला है। इतनी बड़ी समस्या के बारे में जब माननीय सिंचाई मन्त्री जवाब दिया करें तो मन्त्री जी पूरे प्रश्न को देख कर और पत्रावली को देख कर जवाब दें। खाली अधिकारियों से बात करने के आधार पर जवाब न दें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब यह दुबारा आये तो इस पर फिर से जवाब मंगा लें।

*सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं इसे समझता हूं और इस पर मैं काफी बोलने वाला था परन्तु यह प्रश्न आया ही नहीं। अब जब यह आयेगा तो फिर बोलूंगा। जहां तक माननीय गुप्त जी ने जो बात कही है उसके सम्बन्ध में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास इसका उत्तर चला जाय।

अस्थायी निर्वाचन कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन एवं उनकी मांगों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 41 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 8 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं--

सर्वश्री शारदा प्रताप, यदुनाथ सिंह, मित्रसेन, महेन्द्र सिंह भाटी व सखावत हुसैन व कनक सिंह, त्रिलोक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चन्द्र, रघुवरदयाल वर्मा, विजय सिंह राना तथा रवीन्द्र नाथ तिवारी ।

*श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 26 जून, 1985 से अस्थायी निर्वाचन कर्मचारी सात सूत्रीय मांगों के लिये जत्था बना कर क्रमिक अनशन पर विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गिरीश चन्द्र उप्रेती की हठवादिता के कारण आज तक कोई समझौता नहीं हो सका। अधिकांश कर्मचारी की सेवा अवधि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की है, अधिकांश अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। स्वीकृत पदों के रहते हुए पूर्व में ही कर्मचारियों की सेवा समाप्त का क्या कारण श्री उप्रेती की हठवादिता, भ्रष्टाचार एवं धन कमाने की कुवृत्ति है। श्री उप्रेती अपनी सेवा काल पूरी कर चुके हैं। इस समय हजारों निर्वाचन कर्मचारियों को भुखमरी का शिकार कर चुके हैं।

अतः शासन से अपेक्षा है कि अनशनकारी निर्वाचन कर्मचारियों की सात सूत्रीय मांगों को अविलम्ब पूरा करें तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री उप्रेती को जनहित में सेवामुक्त करें।

वर्मा विस्थापित राजकीय कालोनी बाग विजेसी व टेढ़ी बाजार अयोध्या, फैजाबाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप और आदरणीय सदन का ध्यान वर्मा विस्थापित राजकीय कालोनी बाग विजेसी टेढ़ी बाजार अयोध्या, फैजाबाद की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्रीमन्, वर्मा विस्थापित सैकड़ों परिवार आज बेकारी, भुखमरी और बर्बादी के कगार पर पहुंच गये हैं और उनका जीवन नारकीय बना हुआ है। सहायता तथा पुनर्वास अधिकारी मुख्यालय की जांच आख्या पत्र संख्या एम-10/32-45/84, दिनांक 29-5-1984 के क्रम में प्रेषित रिपोर्ट प्रस्तर 1 से प्रस्तर 9 तक शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है। इसके बावजूद भी शासन स्तर से विस्थापित परिवारों को निर्मित क्वार्टरों आवासीय व्यवस्था कालोनी हेतु 4·09 एकड़ भूमि (आरक्षित) जो नजूल विभाग से पुनर्वास हेतु दी गयी थी उससे भी वे वंचित रह गये हैं।

जांच अधिकारी मुख्यालय, श्री सत्य कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपनी जांच दिनांक 25-5-84 व 31-5-84 को विस्थापित परिवारों की शिकायत को सही पाया है और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु सभी सुविधाओं से वंचित एवं उपेक्षित पाया है। जिला प्रशासन फैजाबाद ने शासकीय आदेशों की बराबर अवहेलना कर विस्थापित परिवारों की सभी आरक्षित सुविधाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अतएव उपरोक्त सैकड़ों विस्थापित परिवारों का जीना, रहना एवं भरण-पोषण दूभर हो गया है और उनके समक्ष जीवन-मरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शासन को प्रेषित उपरोक्त जांच अधिकारी की संस्तुतियों की रिपोर्ट के आधार पर यदि शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही न की गयी तो किसी गम्भीर घटना की पूर्ण आशंका बनी हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"प्रगतिशील सामूहिक कृषि समिति सलारपुर" गाजियाबाद नामक फर्जी सोसाइटी द्वारा कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

महोदय, जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम सरफाबाद, ककराला, खावासपुर, मूडा, शेरखा, जाहिदाबाद और सलारपुर खादर के रहने वालों की तमाम भूमि फर्जी आदमी खड़े करके कुछ बड़े लोगों द्वारा बनायी गयी एक फर्जी सोसाइटी जिसका नाम प्रगतिशील सामूहिक कृषि समिति, सलारपुर के नाम से है, खरीद ली गयी है जब कि न तो कोई आदमी जो उस खेत का तथा जमीन का मालिक है रजिस्ट्री आफिस में गया और न कोई पैसा लिया और न कहीं दस्तखत किये हैं। गांव के गांव अपनी जमीनों से बेदखल कर दिये गये हैं और उस समिति के लोग जबरन जमीनों पर काबिज दाखिल होना चाहते हैं। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, पूरे गांवों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है। यदि तत्काल उच्च स्तरीय जांच न करायी गयी तो किसी भी समय गांव के रहने वाले लोगों और बेईमान समिति वालों के बीच अप्रिय घटना घट सकती है।

हैंडलूम के कपड़ों पर सरकारी टैक्स तथा यंत्रों के मूल्यों में वृद्धि से बुनकरों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनकरों की स्थिति कच्चे माल में भारी महंगाई होने से खराब हुई है। इधर वर्ष 1985–86 के केन्द्रीय बजट को देखते हुये उनकी स्थिति बद से बदतर हो गयी है। अधिकतर यह बुनकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, फैजाबाद, गोरखपुर आदि जनपदों में निवास करते हैं। हैंडलूम के कपड़ों के ऊपर सरकारी टैक्सों के अधिक लग जाने के कारण जनता उन कपड़ों को खरीद नहीं रही है बाजार में इसलिये इन कपड़ों की खपत नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ स्टेपुल, रेशम तथा अन्य उपकरणों में भारी महंगाई आ गयी है जिसके कारण दुकानदारों का कारोबार ठप्प हो गया है और बुनकर भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है।

अतः बुनकरों में क्षोभ, रोष एवं असन्तोष की भावना व्याप्त हो गयी है। अतः मैं सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बुनकरों की समस्या को देखते हुये कच्चे माल तथा उनके उपकरणों पर बढ़ रही महंगाई रोकने के लिये निर्देश प्रदान करें जिससे उक्त हैंडलूम कपड़े की बाजार में खपत हो सके।

ग्राम करकौली, फिरोजाबाद, आगरा के श्री ध्रुव सिंह को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लूटे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय सनसनीखेज एवं हृदय विदारक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि दिनांक 26 मई, 1985 को जनपद आगरा के ग्राम करकौली, फिरोजाबाद का युवा किसान ध्रुव सिंह 2,000 रुपया से ऊंट पर सरसों खरीदने नगला भोवली, फतेहाबाद को 4 बजे सुबह 3 अन्य के साथ चला कि ग्राम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नौगवां के निकट पंजाब सिंह के नलकूप पर पानी पीने के बाद लौटने पर बबूल के पेड़ के नीचे सांकुरी वन विभाग के अधिकारी, दिवाकर चौहान आदि ने लूट लिया और दिवाकर ने गोली मार दी। ध्रुव सिंह घायल पं० ब्रह्म लाल की ट्राली पर पानी पीने को पहुंचते ही गिर पड़ा सच्ची कहानी लूट और गोली की बताते-बताते 9 बजे सुबह उसने दम तोड़ दिया। पुलिस फतेहाबाद ने घटना को दबा छिपाकर सबूत और साक्ष्य को नष्ट करके वन विभाग के अधिकारियों की रक्षा में झूठा मुकदमा वन विभाग के लोगों पर, ध्रुव सिंह द्वारा गोली चलाना बना डाला जब कि ध्रुव सिंह पर कोई बन्दूक बरामद नहीं हुई। दैनिक जागरण, फिरोजाबाद के संवाददाता ने 3 जुलाई के अंक में खोज शीर्षक में सत्य को उजागर किया उनका आभारी हूं। जिला अधिकारी, आगरा ने दुःखत होकर गुप्तचर जांच की संस्तुति की है। कृपया गुप्तचर विभाग से जांच कराने के आदेश शासन को देने की कृपा करें।

ग्राम अकोला, जनपद आगरा में पीने के पानी का अभाव एवं राहत कार्यों की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आगरा जनपद के ग्राम अकोला में जनता पानी की एक-एक बूंद के लिये तरस रही है। यहां एक घड़े पानी का मूल्य पांच रुपया है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र खारा पानी का क्षेत्र है जो दो-एक कुंयें ऊंचे पानी के थे उनमें पानी पूरी तरह सूख गया है। अतः जनता को पानी के लिये इस योजना के अन्तर्गत बनायी गई पानी की टंकी के नलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस पानी की टंकी में तीन नलकूप लगाये जाने थे किन्तु अब तक एक ही नलकूप लगाया गया है। पूरी मात्रा में बिजली न मिलने के कारण पानी की टंकी को यह अकेला नलकूप पूरा भर नहीं पाता है। अतः जनता सुबह से शाम तक कतारबद्ध होकर नल पर खड़ी रहती है फिर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः अनुरोध है कि शासन दूसरे नलकूप को तुरन्त चालू कराये तथा जानवरों के पीने के पानी के लिये खारी नदी के पुराने रपटे पर बंधा बनवा दे। यदि दोनों कार्य शीघ्र पूरे नहीं किये गये तो निरीह जनता आन्दोलन के लिये विवश हो जायेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टाउन एरिया गोसाईगंज, फैजाबाद के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के टाउन एरिया, गोसाईगंज में विगत 20 वर्षों से अधिक समय से लगभग 3 दर्जन ऐसे सफाई कर्मचारी एवं जलकल विभाग के कर्मचारी सेवारत हैं जिनकी नियुक्तियां बिना पद सृजन के की गई थीं और आज तक उन कर्मचारियों की सेवायें न तो स्थायी की गयीं और न शासन से उन स्थानों के लिये पद सृजन की स्वीकृति ही प्राप्त की गयी। उनमें से अधिकांश कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें भी या तो गायब कर दी गयी हैं अथवा अपूर्ण हैं और आडिट रिपोर्टों में इस बारे में बार-बार आपत्ति किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

बाध्य होकर विगत 15 जुलाई से सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हड़ताल पर चले गये हैं और पूरे नगर में गन्दगी का साम्राज्य फैल गया है। जलकल विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शरीक होने वाले हैं। यदि इस स्थिति पर नियंत्रण न किया गया तो पूरे नगर में महामारी फैलने और पेयजल का संकट पैदा हो जाने का खतरा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से इस सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से इस दिशा में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

दिनांक 16-7-85 को हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वैधानिकता पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं--एक माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की तथा दूसरी विजय सिंह राणा जी की।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, कल जब इस आदरणीय सदन की कार्यवाही चल रही थी तब यहां पर एक घटना घटी जो अशोभनीय तो नहीं थी लेकिन एक घटना हुई। कुछ माननीय सदस्य उत्तेजित होकर सदन के वेल में आ गये। उनकी उत्तेजना सही हो सकती है वे यहां पर आ गये और कुछ सदस्य उन्हें उठाने के लिये चले गये। मैं उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और वह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा न सका और मेरी बात पर आपकी व्यवस्था सुनने को नहीं मिली। मैंने यह कहा था कि उस समय सदन अव्यवस्थित हो गया और जिस समय सदन अव्यवस्थित हो उस समय उसकी कोई कार्यवाही नहीं मानी जानी चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सदन की परिभाषा जहां पर दी गई है उसमें है कि जिस समय अध्यक्ष पीठ पर आप विराजमान होंगे। यह जो वेल है, यह किसी के आने की जगह नहीं है। यहां पर आक्रोश तो हो सकता है लेकिन लोग इस वेल में आकर जम गये। या तो आप उनको निकालें। आपको अधिकार है सदन को चलाने का। नियम 313 के अधीन आपकी अविशिष्ट शक्तियां हैं। आपको अधिकार है कि आप किसी भी सदस्य को आज्ञा दें और वह उसे मानने के लिये बाध्य होगा। आप सदन से उनको बाहर निकालें अथवा इंगित करके उन्हें निलम्बित कर दें। यह स्थिति ठीक नहीं है कि सदन में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता हो और उसकी कार्यवाही चलती रहे। मुझे दुख है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो बुलाये गये थे और उसी बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसके ऊपर मतदान भी हो गया। साथ ही मतदान की जो घोषणा हुई वह भी हम नहीं सुन पाये।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया प्रश्न को सीमित रखें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं इस विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब सदन अव्यवस्थित हो तो उस समय सदन में चल रही कार्यवाही नियमित थी? इस पर आप व्यवस्था दे दें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इसी में मेरा एक निवेदन सुन लें। नियम 300 में स्पष्ट लिखा हुआ है उसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इस पर आपका निर्णय अंतिम होता है। कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा। अगर कोई सदस्य यहां पर बैठ जाता है और सदन स्थगित नहीं होता है और कार्यवाही चलता रहती है और सदन में अव्यवस्था नहीं होती है तो प्रश्न कहां पैदा होता है। हां, जो परम्परायें हैं उनका पालन सब को करना चाहिये लेकिन उसमें हम आपको परिभाषित करना शुरू कर दें उसका कोई अंत नहीं रह जायेगा। माननीय विद्वान सदस्य को मैं सुन रहा था। कल इत्तफाक से मैं यहां पर नहीं था। लेकिन नियम 300 में यह प्रश्न उठता ही नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आखिर यह सदन किस तरह से चलेगा, किसी बात पर कोई चाज लपेट दी जाय इस तरह से कैसे काम चलेगा। कार्यवाही रुकी नहीं अगर कोई सदस्य आवेश में आकर वेल में चले गये और दूसरे सदस्य उसे ले आये। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है इस प्रकार की नुक्ताचीनी करना कहां तक ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने जो विषय उठाया है मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण इधर भी बैठे थे और उधर भी बैठे थे। अगर कोई माननीय सदस्य वेल में आ जायें और स्पीकर अपनी कुर्सी पर बैठे हों तो उसमें कोई अव्यवस्था नहीं है।

अतः मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने नियम 300 की सूचना जो दिया था ...

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, आपका अर्थ मैं ठीक समझा। आपका कहने का अर्थ यह था कि जब वह माननीय सदस्य अव्यवस्था में वेल में बैठ जायें तो वह अव्यवस्थित हो सकते हैं।

आगरा जनपद की दीवानी अदालतों के बन्द होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, हमारे आगरा जिले में दिनांक 4 जुलाई को वकीलों और दीवानी कर्मचारियों के बीच आपस में लेनदेन के मसले में झगड़ा हो गया। हमने नियम 51 में इसकी सूचना दी और माननीय बदन सिंह जी ने नियम 301 में सूचना दी। प्रश्न यह है कि दोनों नियमों में अंतर करना पड़ेगा क्योंकि नियम 301 की जो सूचना होती है उसमें कम से कम दो-तीन महीने जिले तक पहुंचने में लग जाते हैं और उसकी सूचना जिलाधिकारियों तक देर में पहुंचती है। आगरा में सारी अदालतें 4 ता0 से बंद पड़ी हैं। दीवानी के साथ-साथ तहसील, कलेक्ट्रेट आदि अदालतें बंद हैं। इसी सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार आगरा गये, शायद माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम होगा। उन्होंने वादी-प्रतिवादी को बुलाकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने फैसला दे दिया कि जिलाधीश के फैसले के अनुसार अनिश्चितकाल तक के लिए अदालतें बंद रहेंगी। वहां पर किसी वाद का निपटारा नहीं हो रहा है। इन्होंने यह फैसला दे दिया है कि जमानतों के सम्बन्ध में भी फैसला आगरा में नहीं होगा और उसका फैसला मथुरा के न्यायधीश करेंगे।

तो मान्यवर, आगरा के लोगों को जमानत के लिए मथुरा जाना होगा। आज आगरा की अदालतें अनिश्चितकाल के लिए बन्द हैं। इसलिए यह 301 का प्रश्न नहीं है यह नियम 51 का प्रश्न है। इसलिए इसको नियम 51 में आप लेने की कृपा करें। यह अत्यंत महत्व का विषय है आगरा में जटिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्या हो गई है वहां की जनता तबाह हो रही है उसकी तरफ तुरंत आज ही ध्यान जाना चाहिये । 20 दिन से वहां अदालतें बंद हैं, जुडिशियरी, कलेक्ट्री सब बंद हैं इसलिए इस पर कम से कम आज शासन से इस बात का आश्वासन हमें दिला दें या कोई ऐसा संकेत दे दें कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही हो जाय अन्यथा इस तरह से वहां काम कब तक बंद रहेगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय वर्मा जी यह नियम 300 में उठाया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, यह जो प्रश्न है इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं । आपके निर्णय देने से पूर्व मैं इसी संदर्भ में थोड़ा और जोड़ देना चाहता हूं । मान्यवर, 4 जुलाई से लेकर आज तक दीवानी अदालतें बंद हैं, फिरोजाबाद दीवानी अदालतें बंद हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन अदालतों को खुलवाने और रक्षा करने में एवं रिश्वत रोकने में जो शासन की अक्षमता रही है जिससे वादकारों का नुकसान हुआ है, इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे और अदालतों को कब तक खुलवा देंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)---

अभी माननीय सदस्य वाराणसी जब औचित्य के प्रश्न पर बोल रहे थे तो जो प्रारूप उसका प्रस्तुत किया, यह प्रश्न जो उठाया गया उसका कोई सम्बन्ध सदन की व्यवस्था से नहीं है । नियम 301, नियम 51 और नियम 56 में उठायें तो बात दूसरी है । लेकिन औचित्य का प्रश्न है उसमें कोई आगरे में हड़ताल या बुलन्दशहर में कुछ हो रहा है उसको कहें तो औचित्य के प्रश्न में उठाने की इजाजत न दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

हमारे श्री विजय सिंह राणा जी विद्वान सदस्य हैं, वह स्वयं समझते हैं कि किसी संविधान या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है । इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

सीतापुर नगर में वाणिज्य की पढ़ाई के लिए राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजेन्द्र गुप्त---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सीतापुर नगर में वाणिज्य की पढ़ाई के लिए राजकीय डिग्री कालेज खोलने विषयक श्री शिव बली विश्वकर्मा आदि, निवासीगण सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट की सदस्यता के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए रुड़की विश्वविद्यालय ऐक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है सदन उसे स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर तथा नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है, सदन उसे स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री इन्द्रजीत)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति की सदस्यता के लिए उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 के नियम 4 के खंड (5) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है, सदन उसे स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस तरह से हैं । माननीय राजेन्द्र गुप्त, माननीय सत्य प्रकाश विकल और डा0 दिनेश जौहरी की सूचना, बिक्री-कर तथा अन्य समस्याओं के विरोध में सम्पूर्ण प्रदेश का उद्योग व्यापार तथा बाजार बन्द होने के सम्बन्ध में है । उसी में सरदार सिंह जी का भी है । दूसरी है सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, त्रिलोक चन्द्र जी, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ जी व माननीय राम शरन जी की, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की छात्रा डा (कु0) चन्द्रा द्वारा आत्महत्या करने सम्बन्ध में, इसी में माननीय रघवर दयाके

वर्मा और माननीय सुरेन्द्रपाल वर्मा को भी है। छठी सूचना है माननीय माता प्रसाद पान्डेय व गया प्रसाद वर्मा जी की, कानपुर के भूतपूर्व विधायक श्री राम आसरे की हत्या के प्रयास के बारे में। सातवीं सूचना है श्री मित्रसेन व श्री हफीज भारती जी की, जिला पूर्ति कार्यालय, कानपुर में सीमेन्ट के घोटाले पर। आठवीं है गया प्रसाद वर्मा जी की विकास खंड महेवा क्षेत्र लखना (इटावा) के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में। नवीं सूचना है माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह की, सरकार द्वारा सरकारी एवं सहकारी देयों की सख्ती से वसूली के कारण किसानों की परेशानी के बारे में। 10वीं है माननीय गौरीशंकर भइया की, लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधि एवं गंध शोध अनुसन्धान संस्थान द्वारा तस्करी सम्बन्धी कागजात गायब हो जाने के बारे में। ग्यारहवीं सूचना है माननीय राकेशधर त्रिपाठी की काशी विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज पर। 12वीं सूचना है माननीय विजय सिंह राणा जी की और माननीय किरन पाल सिंह जी की, नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को तन्ख्वाह न दिये जाने के बारे में। 13वीं सूचना है श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री गौरी शंकर भइया व श्री लक्ष्मी नारायण जी की, सुन्दर लाल अस्पताल, वाराणसी में डाक्टरों की हड़ताल से डेढ़ सौ मरीजों की मौत के बारे में। अब इसमें नम्बर तीन पर बेनी प्रसाद वर्मा क्या कहना चाहते हैं, क्यों इसमें श्री त्रिलोक चन्द्र और दूसरे सदस्यों का भी नाम है।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, पिछले माह की 6 तारीख को मेडिकल कालेज, लखनऊ में वहां की एक छात्रा कुमारी चन्द्रा डाक्टर ने आत्म-हत्या कर ली और आत्महत्या का कारण जो उसके पिता और भाई ने बताए हैं वह शिक्षकों द्वारा उनका घोर उत्पीड़न है। मेडिकल कालेज के शिक्षक उससे कुछ अपेक्षाएं करते थे, उसके पूरा न करने पर उसे इम्तहान में फेल कर देते या उसकी थीसेस रिजेक्ट कर देते। शिक्षकों के कुकृत्यों के शिकार आज अनेक डाक्टर छात्र हो रहे हैं और उसके चलते वह मनोरोग के शिकार हो जाते हैं और कभी-कभी आत्म हत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह भी मनोरोग का शिकार हुई थी। इसी तरह से मई में डा0 गिरीश चन्द्र जैन ने आत्म हत्या कर ली थी और जुलाई में यह घटना हुई है। परेशान होकर और शिक्षकों के हथकंडों का शिकार होकर आज सैकड़ों डाक्टर लड़के मनोरोग का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर घटना है। इससे सभी अभि-भावक और जनता चिन्तित है कि मेडिकल कालेज में क्या हो रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले पर बहस कराए या कोई जांच समिति नियुक्त करे जो यह देखे कि छात्रों का उत्पीड़न किसलिए और किस तरह हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं और उसका कोई निदान निकालें। इस पर आप कार्य-स्थगन करके चर्चा कराएं।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, इस पर चर्चा करवाएं और आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए। वहां पर हर साल सुपाइड के दो तीन केसे होते हैं। प्रति वर्ष ऐसे छात्र जो एम0 डी0 या एम0 बी0 बी0 एस0 करते हैं यह लोग उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं।

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

राम सरन जी,, आपको क्या कहना है ?

श्री राम सरन—

मुझे भी निवेदन करना है कि मेडिकल कालेज में वहां क्या हो रहा है इसको गंभीरता से लीजिये और इस पर चर्चा कराइये। यह रोजमर्रा की घटनायें हैं। इससे सारे प्रदेश की जनता में असंतोष बढ़ रहा है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए आप इस पर चर्चा करायें। इस गम्भीर मामले पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर होगी ?

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है सरकार इससे अवगत है और इस प्रश्न के आने से पूर्व ही एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच हो जायेगी और जांच के बाद जो कुछ निराकरण संभव होंगे वह किये जायेंगे।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, आप हाउस की एक कमेटी बनायें। यह जांच जो बैठी है। इसकी जांच हो जायगी और लीपापोती हो जायेगी आप हाउस के मेम्बरों की एक कमेटी बनायें। यह मामला गंभीर है। प्रति वर्ष ऐसी घटनाय घटती हैं। लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कुछ लेन-देन की बात होती है जिससे नफरत की भावना पैदा होती है और लोग सुपाइड कर लेते हैं। इसलिये हाउस की एक कमेटी बनायें उसमें मेडिकल कालेज के सारे मामले रखे जायें और जो इन सारे मामलों की जांच करे।

(शोर)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा इस सिलसिले में सुझाव है, यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, जो अब उधर बैठे हैं पहले इधर ही हुआ करते थे और हमारी ही बात कहा करते थे। उन्हें अच्छी तरह से याद होगा कि जब वह इधर थे तो ऐसे मामले बड़े जोर से उठाया करते थे। मैं उन गुजरे हुए हालात का वास्ता देते हुये आपसे कहूंगा कि ऐसे गंभीर मामले, जिसमें हर साल 2--3 बेगुनाह जाने जाती हैं, इसमें करप्शन भी शामिल है, इस पर भी चर्चा नहीं होगी तो हम जानना चाहेंगे कि वह कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी। सरकार किस पर चर्चा करायेगी। इस पर सदन की कार्यवाही रोकनी चाहिये और चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायं।

मैं इस विषय को एक घंटे की चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त ही लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की मांग करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस राजधानी के आंगन में माननीय मुख्य मंत्री जी की ठीक नाक के नीचे, केन्द्रीय औषधि एवं गंध शोध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ काम करता है। श्रीमन्, इस संस्थान में शोध के नाम पर उच्च स्तर की अफीम का निर्माण किया जाता है और इसका दो गुने और तीन गुने पैमाने में, इसका पाउडर बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस संस्थान के पदाधिकारियों को मिलाकर, पूरे देश में इस संस्थान की अफीम को लेकर तस्करी का काम कर रहे हैं। मात्र इतनी बात होती और थोड़ा बहुत माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इधर-उधर चला जाता तो कोई बात नहीं होती।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन श्रीमन्, जो सबसे गंभीर बात इस प्रकरण में है वह यह है कि इस संस्थान के निदेशक डा0 अख्तर हैं उनके संबंध में उनके मातहत काम करने वाले डा0 कुरेशी और डा0 निगम ने गंभीर आरोप लगाये हैं कि जो राष्ट्रीय महत्व के गोपनीय प्रपत्र हैं और जो शोध के दस्तावेज हैं उनको पाकिस्तान और अन्य दूतावासों के एजेंट जो सक्रिय हैं उनको बेचने का कर्म करते हैं और उनको शत्रु देशों को सौंपने का काम कर रहे हैं। इन दो डाक्टरों ने इस निदेशक की गम्भीर अनियमितताओं के खिलाफ भारत सरकार के प्रधान मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री को पत्र दिये हैं। श्रीमन्, यह अखबार है सहारा, इस पर दो सप्ताह से यह मामला गम्भीरतापूर्वक छप रहा है। जो पत्र भारत सरकार को भेजा है, इसकी मूल प्रति छपी हुई है, जो डाक्टर कुरेशी के पत्र हैं, जो प्रधान मन्त्री जी को और मुख्य मन्त्री जी को भेजे गये हैं, पूर्ण रूप से इसमें तस्करी एवं राष्ट्रीय महत्व के गोपनीय दस्तावेज, शोध सम्बन्धी प्रपत्र बेचने का आरोप पूर्व निदेशक डाक्टर अख्तर पर लगाये हैं और उनको हमारी सरकार की तरफ से विदेश भेजे जाते हैं। ऐसे निदेशकों को यह सरकार पुरस्कृत करने का काम करती है और जो अधिकारी जनता में ऐसे तथ्य लाने का काम, सरकार में लाने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम भारत सरकार के जरिये से किया जा रहा है। तो यहां पर इसमें तस्करी का मामला है और यह शोध सम्बन्धी प्रपत्र और दस्तावेज आदि बेचे जाने का गम्भीर मामला है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से चर्चा की मांग करता हूं। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। इससे हमारे देश और प्रदेश को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये जो तस्कर और एजेंट हैं, हमारी लखनऊ महानगरी में फैले हैं और अपना जाल फैलाये हुए हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय केन्द्र से ताल्लुक रखता है। मैं इसमें सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, नेशनल हेराल्ड पत्र समूह के अन्तर्गत नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज इन तीनों पत्रों की स्थापना स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। इन तीनों पत्रों ने हिन्दुस्तान की स्वाधीनता की लड़ाई में अपना विशेष योगदान दिया था और स्वतंत्रता के समय उन्होंने सोई हुई जनता में शंखनाद का काम किया था। आज वही पत्र समूह ध्वस्त होने जा रहे हैं। उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन तीनों पत्रों की आज स्थिति यह है कि विगत फरवरी से लेकर जून तक इसमें तालाबन्दी रही। इसके डाइरेक्टर यशपाल कपूर गांधी, नेहरू परिवार के सिपहसालार हैं। इसीलिए यह सरकार और श्रम विभाग इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इन कर्मचारियों ने कांग्रेस के प्रान्तीय अध्यक्ष से मुलाकात की, मुख्य मंत्री जी से मिले, मुहसिना किदवई जी आईं, उनसे मुलाकात की और सबके सामने अपना दुखड़ा रोया और सबने उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आज तक यह सरकार उन कर्मचारियों के दुःख का समाधान नहीं कर सकी है। प्रावीडेंट फंड उनका आज तक जमा नहीं हुआ है, उनके यहां कम्पनी के शेयर का जो पैसा वेतन से कटता था, वह भी आज तक जमा नहीं हुआ है, ई0 एस0 आई0 का पैसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कटता था, वह भी नहीं जमा हुआ है और पारिवारिक पेंशन का कोई पैसा आज तक नहीं जमा हुआ है। जीवन बीमा और आय कर की कटौती भी कहीं जमा नहीं की गयी है। इतना गम्भीर आरोप होने के बावजूद भी आज तक इस मामले के ऊपर कहीं कोई विचार सरकार करने को नहीं जा रही है।

मान्यवर, आप देखिये, मैंने कहा था कि इस पत्र का सम्बन्ध केवल कार्यालय के कर्मचारियों एवं डायरेक्टरों आदि से ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा सम्बन्ध जन-जीवन के साथ भी है। हाई स्कूल और इन्टर का परीक्षाफल, जो इन पत्रों में प्रकाशित होता था, अखबारों पर तालाबंदी के कारण प्रकाशित नहीं हुआ। मान्यवर, यह बिल्कुल दयनीय स्थिति है। हाई स्कूल और इन्टर के छात्र परीक्षाफल के लिए सड़कों पर घूमते रहे और निकम्मे शासन के लोग उनको सड़कों पर भागता देखते रहे, किन्तु कोई कारगर कदम नहीं उठा सके। यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति आज इतनी दयनीय हो गयी है कि वहां पर कर्मचारियों के पास पैसा नहीं है। भोजन के लिए पैसा नहीं है, तो चिकित्सा के लिए कहां से पैसा आएगा। मान्यवर, चिकित्सा के अभाव में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पांच कर्मचारियों की पत्नियों की मौत हो चुकी है। तीन कर्मचारियों के बच्चों की मौत हो चुकी है फिर भी प्रशासन मौन बैठा हुआ है। एक व्यक्ति कर्मचारियों को गुन्डों से पिटवाने का काम कर रहा है। यशपाल कपूर गुन्डा-गर्दी के माध्यम से कर्मचारियों को घरों से जबरदस्ती निकलवा रहा है। फिर भी शासन मौन बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, इस लोकमहत्व के विषय पर माननीय राणा जी ने बड़े ही उत्साह से सारी बातें बतायी हैं। मान्यवर, नेशनल हेरल्ड समूह की जो स्थिति है इसके बारे में पिछले काफी समय से, प्रत्येक वर्ष लगातार इसकी दयनीय स्थिति के बारे में सवाल उठते रहे हैं जो बातें राणा जी ने बतायी हैं... ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, प्रक्रिया सम्बन्धी करण संख्या 15, 16, 17 की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें स्पष्ट दिया गया है कि एक उपवेशन में तीन कार्यस्थगन की सूचनाओं से अधिक नहीं ली जाएगी। इसमें यह भी है कि यदि एक सूचना पर एक से अधिक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे या दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, तो उनमें एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि उधर के माननीय सदस्य कार्यस्थगन की सूचना दे देते हैं, तो उस पर उनको बात कहने का मौका मिलता है...

(व्यवधान)

मान्यवर, आप द्वारा जारी करणों के विपरीत उधर के माननीय सदस्य विस्तार से चर्चा करते हैं और सदन का समय जो और कार्यों के लिए भी निर्धारित है, जिसमें सारे माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन है कि आप इन्हीं कारणों के अन्दर अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है, वैसे तो यह सरकार जो कर्मचारी हैं या समाचार पत्रों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए आचार संहिता की बात करती है, लेकिन उन कर्मचारियों के लिए श्रम कानून को लागू नहीं करवा पाती है । मान्यवर, मुझे जानकारी है वहां कर्मचारियों को मकानों से निकाला जा रहा है ।

(शोर)

मान्यवर, मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा । सरकार किसानों की विरोधी है, श्रमिकों की विरोधी है....

श्री हुकुम सिंह--

आपकी विरोधी तो नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

तो मान्यवर, उन काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधा दिलाने का काम सरकार को करना चाहिए । हम चाहते हैं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे बीच में हस्तक्षेप करने के लिये खड़ा होना पड़ा । माननीय सदस्य बरेली जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और करण का उल्लेख किया । आपकी आज्ञा हो तो करण पढ़ना चाहता हूं ।

एक सदस्य--

व्यवस्था हो गयी ।

श्री हुकुम सिंह--

व्यवस्था नहीं हुई । आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और करण का उल्लेख किया । मैं अनुग्रहीत हूंगा यदि इन करणों का पालन किया जाय । यह करण मान्यवर, हम सब की सहायता के लिये और इस सदन को चलाने के लिए बनाये गये हैं । जो माननीय सदस्य बरेली ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और करण का उल्लेख किया है, उसमें जो सीमा बांधी गई है उसका पालन किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

नियम और करण सदन को चलाने में सहायक होते हैं, इनका पालन होना चाहिए ।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा अन्य कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं सबको सुन रहा हूं आप चिन्तित क्यों हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आजम जी, एक व्यवस्था का प्रश्न उठा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे इस पर व्यवस्था दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है और हमें सुनने का अधिकार है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

हमें सुन लीजिये । नियम 56, 52, 300, 301 वगैरह इसलिये हैं कि यह सारे मामले इन दफात के तहत आ सके यह आपका अधिकार है कि आप हमको सुनें या न सुनें । किसी काम चलाने वाले मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि दखलन्दाजी करें । अगर आपकी कुर्सी का फैसला भी वहां से होने लगेगा तो हम लोगों को संरक्षण नहीं मिल पायेगा । यह अधिकार आपका है नाकि उनका । क्या यह अधिकार आप मंत्री को सौंपने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह मेरा अधिकार है और उसी अधिकार से आपकी बात सुन रहा हूं माननीय बरार ने और संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रश्न उठाये हैं । मेरे पूर्व के अध्यक्ष जी इसको सस्पेन्ड कर चुके हैं।

(तालियां और मेंजे पीटी गयी)

जहां तक नेशनल हेराल्ड का प्रश्न है । यह निजी संस्थान का मामला है । सरकार यह कोशिश कर सकती है कि इसको सुलझाने का प्रयास करें । मैंने सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मेरी बात सुन लें :

श्री अध्यक्ष—

किरनपाल सिंह जी निर्णय हो चुका है आप व्यवस्था में बाधा न पैदा करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश —

एक सूचना मैंने दी थी । आपने सबको सुना है एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर उठा लीजियेगा ।

आप सब लोग बैठ जायें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आपने मुझे इजाजत दी है मैं उसी के अनुसार बोल रहा हूं ।

(बोलने की इजाजत मिलने पर)

बनारस में एक सर सुन्दर लाल अस्पताल है पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कोई अस्पताल नहीं है । यह राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल है और देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं सारे जिले के लोगों को वहां पर ही इलाज मिलता है । पिछले 10 दिनों से वहां पर डाक्टरों की हड़ताल चल रही है । आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि करीब 150 मरीजों की मृत्यु अस्पताल के अन्दर हो गयी है । वहां पर गुर्दे का इलाज होता है, वहां पर फेफड़े का इलाज होता है, वहां पर हृदय के रोग का इलाज होता है और पिछले 10 रोज से जिनकी किडनी खराब है उनको डाक्टर नहीं देख रहे हैं । इस तरह से करीब डेढ़ सौ मरीज मर चुके हैं और डाक्टरों के न देखने से साढ़े तीन सौ मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल के अन्दर कभी भी मर सकते हैं ।

वहां की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है और सारा अस्पताल एक अनाथालय में बदल चुका है, यह अनाथालय एक दिन मरघट में बदल जायेगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और

इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यदि सरकार ने ध्यान नही दिया तो नागरिकों और डाक्टरों में एक दिन खून खराबा हो जायेगा। मैं चाहूंगा कि या तो मुख्यमंत्री स्वयं या उनके कोई वरिष्ठ मंत्री बनारस जायं और वहां जो हड़ताल चल रही है उसको खत्म करावे नही तो वहां विद्यार्थियों में नागरिकों में और डाक्टरों में बहुत बड़ा विवाद हो जायेगा। अगर इस पर सरकार का ध्यान नही जायेगा तो डेढ़ सौ लोगों की मौतें हुई हैं और साढ़े तीन सौ लोग और मर जायेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप सरकार को निर्देश दें कि उनके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य तुरन्त बनारस जाकर इसका समाधान करावे वरना स्थिति विस्फोटक हो जायेगी और सरकार के नियंत्रण में नही रह जायेगी।

(शोर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शतरूद्र प्रकाश ने जो मामला उठाया वह बहुत गम्भीर है। यह बताया गया है कि डेढ़ सौ लोगों की मौतें हो चुकी हैं, इलाज बन्द है सारे डाक्टर हड़ताल पर हैं और साढ़े तीन सौ मरीज मरने वाले हैं। मान्यवर, बनारस स्वास्थ्य मंत्री जी का जिला है उनके रहते हुए इतनी बड़ी व गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है इस पर चर्चा की जाय। दूसरा माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि किसी एक मंत्री को तत्काल भेजकर वहां की जांच करायें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो स्थिति आपने बतायी है उसकी जानकारी है और जानकारी कराने के बाद जो भी स्थिति है उसका समाधान किया जायेगा। बाहर से भी डाक्टर भेजे जा सकते हैं और जो हैं उनको भी काम पर लगाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना मैंने अस्वीकार की।

(श्री राजेन्द्र गुप्त व अन्य सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र गुप्त जी, आप तो सुलझे हुए काफी विद्वान आदमी हैं, आपसे तो मैं सहायता चाहता हूं। एक दिन में इतना संभव नहीं हो सकता है। मेरी भी कठिनाई आप देखा करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, यह सत्तारूढ़ दल जीत कर इसी बात पर आया है, आप इसको सुन लें, आपने कहा था कि इसको सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इस तरह से व्यवस्था चलायेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप अपने सदस्यों से कह दें कि वे बैठ जायं. मैं आपको सुन लेता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों ने हड़ताल कर रखी है। सारे उद्योग, व्यापार, बाजार सब बन्द हैं। इसका एक मात्र कारण है कि उनकी यह मांग है, और उनकी मांग के साथ हम भी सहानुभूति प्रकट करते हैं कि बिक्रीकर की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। इसी के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, बांट-माप और न जाने कितने तरीकों से व्यापारियों का शोषण हो रहा है। कांग्रेस दल चुनाते समय दौड़-दौड़ कर इसी बात को कहता फिरता था, श्री राजीव गांधी तक ने वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जायेगा। आज केन्द्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक सरकार ने कोई नीति इस सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं की

हैं। इसीलिए आज व्यापारियों ने बिक्रीकर, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के खिलाफ, जो उनका शोषण हो रहा है बिक्रीकर विभाग में उसके खिलाफ हड़ताल कर रखी है....

कई सदस्य—

कोई बाजार बन्द नहीं है, सारी दुकानें खुली हैं, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

उपभोक्ता भी इससे परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि शासन इस पर अपनी नीति स्पष्ट कर दे। यह नीति विषयक मामला है। इससे इधर और उधर दोनों तरफ के लोग सहमत होंगे, सभी ने चुनाव में वादा कर रखा है कि बिक्रीकर का वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिये मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि शासन इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करे, जिससे हम और स्पष्टीकरण मांग सकें। केवल व्यापारी ही परेशान नहीं हैं, छोटे व्यापारी और उपभोक्ता भी परेशान हैं भ्रष्टाचार के कारण। हर आदमी इससे परेशान है। इसीलिए इस मामले को मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के तहत उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

मित्रसेन जी अब आप बैठें, अब और कोई बात नहीं सुनी जायगी।

श्री मित्रसेन—

आप सदस्यों की बात नहीं सुनते यह आपको शोभा नहीं देता।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा†

श्री कल्याण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट की चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, दो दिन से बजट पर चर्चा हो रही है। कितने ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं ऐसा समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से टुकड़ों में विचार करने के बजाय समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, यह तो ठीक है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया तो उसमें आंकड़ों की बड़ी भारी भरमार कर दी है। अगर एक वाक्य में कहूं तो यह कह सकता हूं कि यह बजट आंकड़ों का तो अच्छा खासा अंकगणित है लेकिन विकास की व्यवहारगणित से इसका कोई साम्य नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

मान्यवर, प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, परियोजनाओं पर परिव्यय भी बढ़ता चला जा रहा है कहावत चरितार्थ हो रही है कि ठाक वैसे हो रहा है कि हिसाब ज्यों का त्यों पर मुख्यमंत्री जी बतायें कि उत्तर प्रदेश डूबा क्यों। यह बजट मात्र आंकड़ों की बाजीगरी है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार मुद्रास्फीति की ही शिकार नहीं है, आंकड़ास्फीति की भी बड़ी भारी शिकार है। आंकड़ास्फीति के कारण प्रदेश का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो पा रहा है। मैं मान्यवर, कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि माननीय मुख्यमन्त्री जी इन बुनियादी सवालों पर अपना स्पष्टीकरण दें। मैं आंकड़ों के जंगल में नहीं जाना चाहता हूं। आंकड़े बहुत दे दिये गये हैं दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन ध्यान न देने के कारण इस प्रदेश के विकास की गति घट रही है, इन बुनियादी सवालों पर मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी का उत्तर अवश्य चाहूंगा।

†दिनांक 16 जुलाई, 1985 की कार्यवाही से।

मान्यवर, वैसे इस बजट की मढ़ाई, मढ़ाई की आय तो भूसा ज्यादा निकलेगा, दाना कम निकलेगा। आज प्रदेश को आंकड़े की आवश्यकता नहीं है, आज प्रदेश को आवश्यकता आजीविका की है। यह बजट आंकड़े दे रहा है, आजीविका देने में विफल सिद्ध हो रहा है।

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण बड़े ध्यान से सुना था। मैं चाहता था कि कुछ उन बुनियादी सवालों की ओर भी कुछ प्रकाश डालेंगे, जिनके कारण से इस प्रदेश की विकास की गति आगे नहीं बढ़ रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा खेद हुआ इस बात को देखकर कि दो चीजें ऐसी छोड़ दी उन्होंने जिसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला है। एक कालेधन के बारे में एक शब्द नहीं है। दूसरे भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में कोई शब्द नहीं है।

मान्यवर, दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो सरकार कालेधन के आगे घुटने टेक चुकी है, उसे समाप्त नहीं कर सकती भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक चुकी है, उसे भी समाप्त नहीं कर सकती या सरकार को खामख्याली पैदा हुई है कि इस प्रदेश में न तो कालेधन की समस्या ही बाकी है और न भ्रष्टाचार की समस्या बाकी है। पूरे बजट भाषण में इन दो ज्वलन्त समस्याओं की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक शब्द नहीं कहा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार का कालानाग जनजीवन को डस रहा है। कालेधन की समानान्तर व्यवस्था प्रदेश को ही नहीं, देश को चौपट किये जा रही है। इस कालेधन के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। जब वे उत्तर देने के लिये खड़े हों, तो मैं चाहूंगा कि यह ओमीशन कैसे हुये हैं, इसका स्पष्टीकरण वे अवश्य दें।

एक सार्वजनिक वित्त संस्था की रिपोर्ट है, इस 601 पेज की रिपोर्ट को केन्द्र के वित्त मन्त्री ने प्रकाशित किया। जिसमें उल्लेख है कि 1983–84 में 3 खरब, 15 अरब 84 करोड़ रु0 का कालधन आंका गया है, जो बढ़कर 1984–85 में 3 खरब 67 अरब, 84 करोड़ का होगा। कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय सकल आय है उसके प्रतिशत के हिसाब से कालेधन का प्रतिशत 18 से लेकर 21 तक है। 1975–76 में 70 से लेकर 72 प्रतिशत आय पर कोई कर नहीं लग पाया है। 1980–81 में 74 से लेकर 76 प्रतिशत आय पर कोई कर नहीं लगा है। यह कालाधन कहां जा रहा है। जिसकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा आरोप है कि कालेधन के बारे में एक शब्द भी न कहना इस सरकार के दिवालियेपन का प्रतीक है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कालेधन को समाप्त नहीं करना चाहती है। केन्द्र सरकार कितना ही ऐलान करे कि कालाधन समाप्त करने जा रहे हैं, प्रदेश सरकार कितना भी ऐलान करे कि वह कालाधन समाप्त करने जा रही है।

किन्तु यह कांग्रेस की सरकार कालेधन को समाप्त नहीं करेगी क्योंकि इसी कालेधन पर ही कांग्रेस की राजनीति टिकी हुई है। जिस दिन इस धरती से कालाधन समाप्त हो जायेगा उसी दिन से इस धरती पर कांग्रेस भी समाप्त हो जायेगी। कालाधन और कांग्रेस का चोली–दामन का साथ है।

मान्यवर, हमारे कुछ मित्रों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कुछ शब्दों का प्रयोग किया है कि यह कांग्रेस राज्य की संस्कृत का प्रतीक है। मैं इन शब्दों को काट नहीं रहा हूं। मैं इसके लिये दूसरा शब्द बनाता हूं। जो बजट हमारे सामने आये हैं वह कुल मिलाकर कांग्रेस राज्य की विकृति और कांग्रेस राज्य की परम्परागत नियोजन की विसंगतियों का एक लम्बा सिलसिला चल रहा है, उसी श्रृंखला में यह बजट भी एक कड़ी है। यह कोई अन्तिम कड़ी

नहीं है बल्कि कड़ियों पर कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। पूरे प्रदेश में भुखमरी यह सरकार बढ़ाती जायेगी।

गरीब और गरीब होता चला जायेगा। इस विकृति और कांग्रेस राज्य की परम्परागत नियोजन की विसंगतियों के कुछ नमूने में आपके सामने रखना चाहता हूं। विकृति है नियोजन की विसंगतियां, घाटे की अर्थ-व्यवस्था, अनुत्पादक चीजों पर व्यय, फिजूल खर्ची, काला धन, भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी बढ़ती हुई गरीबी, अमीर और गरीब के बीच की खाई।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मलिन बस्तियों के रहने वाले असंख्य लोग जो नारकीय ढंग से जीवन-यापन कर रहे हैं उनकी ओर दुर्लक्ष आदि से सब संक्षिप्त विकृतियां हैं। इन विकृति का परिणाम है कि गलत नीतियां गलत नियोजन और गलत प्राथमिकतायें। कारण साफ है इनकी प्राथमिकताओं की ओर जरा आप ध्यान दें। टेलीवीजन और रेफ्रीजिरेटर पर 90 करोड़ रुपये की छूट देना लेकिन किसान के उर्वरकों के मामले में कोई छूट नहीं। 1600 करोड़ रुपये की होली एशियाड के नाम पर खेल देना लेकिन गांवों को तरक्की नहीं।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 80 प्रतिशत लोगों को टेलीवीजन सेवा उपलब्ध कराना इनकी प्राथमिकता है, लेकिन 80 प्रतिशत प्यासे लोगों को पानी देने को नहीं, भूखे को अन्न देने को नहीं, नंगे को कपड़ा मुहैया कराने को नहीं और गांवों में बिजली पहुंचाने को नहीं। हम तो मांगते हैं रोजगार, सरकार कहती है टेलीवीजन देखिये, हम मांगते हैं कपड़ा, सरकार कहती है टेलीवीजन देखिये - गांवों में तो यह भी नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। जब नंगे लोग कपड़ा मांगेंगे तो सरकार कहेगी टेलीवीजन का खोल देखिये, काम मांगेंगे तो कहेगी टेलीवीजन का खोल देखिये। वहां पर न तो टेलीवीजन में सोनिया का चित्र आयेगा और न ही राजीव जी का चित्र आयेगा क्योंकि वहां पर तो बिजली है ही नहीं।

प्राथमिकता है मंत्रियों के सुसज्जीकरण को। 70 लाख रुपए खर्च होना है सुसज्जीकरण पर। कारपेट इनको पसन्द नहीं आती है तो कहते हैं डेकोरा कारपेट चाहिए लेकिन गांवों में पढ़ने वाले बच्चों के पास बैठने के लिए फर्श भी नहीं है। यदि यह पैसा उन पर खर्च किया जाता तो हम आपके बजट का स्वागत करते। इन्हीं गलत नीतियों व गलत नियोजन व गलत प्राथमिकताओं के कारण ही आज देश दो वर्गों में बंट गया है। और ऐसा लगता है कि इस देश में दो देश बन गये हैं। एक 20 फीसदी का और दूसरा 80 फीसदी लोगों का। 20 फीसदी में वे आते हैं जिनकी टेलीविजन, रेफ्रीजरेटर खरीदने की क्षमता है और 80 फीसदी उन लोगों की है जिनकी क्षमता आम आवश्यकता की चीजें भी खरीदने की नहीं है। अब मान्यवर, मैं इनकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। मूल मुद्दा तो इनकी सारी पंचवर्षीय योजनाओं का है। यह तो इनका वार्षिक बजट है ही नहीं। इसलिए इसमें कुछ विशेष कहना नहीं है। यह केवल 5 महीने का बजट है। टुकड़ों में विचार ही नहीं करना है बल्कि समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं तक के परिव्ययों की समीक्षा कर लें, हर योजना में दो गुने से ज्यादा का फर्क होता जा रहा है लेकिन विकास की दर नहीं बढ़ रही है। खर्चा दोगुना हो रहा है। उदाहरण के रूप में पहली योजना में 153.37 करोड़ का खर्चा हुआ और विकास की दर 1.97 प्रतिशत।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में 233.34 करोड़ का खर्चा हुआ और विकास की दर 1.8 प्रतिशत। इसी प्रकार तीसरी

योजना में 560.63 करोड़ खर्च हुआ और विकास की दर 1.6 प्रतिशत। चौथी योजना में 1165.49 करोड़ का खर्च हुआ और विकास की दर 2.03 प्रशित। 5 वीं योजना में 2,924.46 करोड़ खर्च हुआ और विकास की दर 5.7 प्रतिशत। इसमें कुछ बढ़ा है। छठी योजना में 5,850 करोड़ का खर्च और विकास की दर 6 प्रतिशत और मान्यवर, 7वीं पचवर्षीय योजना में 11 हजार करोड़ का परिव्यय आंका गया है और विकास की दर वही प्रस्तावित है 6 प्रतिशत।

गाडगिल फार्मूला के अन्तर्गत सहायता मिलता है हमारे प्रदेश को, यह अन्याय-पूर्ण है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो हमें सहायता मिलनी चाहिए वह नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा गरीबी, कंगाली, गरीबी की रेखा से नीचे जिन्दगी जीने वाले लोगों की तादाद है। केन्द्र से क्यों नहीं झगड़ पाये हमारे मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं ज्यादा सहायता ले पाये ? अधिक धनराशि केन्द्र से क्यों नहीं प्राप्त कर सके ? आखिर डर क्या है ? क्या यहां की कुर्सी छिन जाने का ? मान्यवर, आज कल कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों की हालत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से भी ज्यादा बदतर है। जैसे किसी कम्पनी का डेलीवेजेज का कर्मचारी शाम को अपने मालिक से पूछता है कि मालिक हमें कल काम पर आना है या नहीं। उसी प्रकार दिन भर काम करने के बाद शाम को टेलीफोन पर यह दिल्ली के दरबार से बात करते हैं कि हुजूर कल भी हम मुख्य मंत्री बने रहेंगे या प्रातः कोई अन्य व्यक्ति मुख्य मंत्री के रूप में दिल्ली से भेजा जा रहा है।

(हंसी)

और मान्यवर, इसी वजह से हमारी जायज मांग, हक भी हमको नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश ने केन्द्र से सातवीं योजना के लिए 16,842 करोड़ की मांग की थी और 11 हजार करोड़ रुपया मिला। यानी 5,842 करोड़ का घाटा हुआ। यह घाटा ही मान्यवर, पूरा 6ठीं पंचवर्षीय योजना के आकार के बराबर है।

इसके बावजूद सरकार यह कहती है कि विकास की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सातवीं योजना का प्रारूप है इनके पृष्ठ 61 के पैरा 337 पर सरकार ने कहा है कि 6ठीं पंच-वर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मुकाबले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 205 रुपये कम है और यह भी कहा है कि 16,842 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 210 रुपये का अन्तर रहेगा। मान्यवर, पृष्ठ 61 के 337 अनुच्छेद में कहते हैं कि अगर इतना रुपया मिल जाय तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 210 रुपये की कमी रहेगी और सदन में सरकार कहती है कि इस कटौती के बावजूद भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मैं उनका कोटेशन लाया हूं, अंग्रेजी में है, पढ़ूंगा नहीं।

अब मैं इनके बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1985-86 का बजट भाषण पढ़ा। कुछ समझने की कोशिश की। मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कुल घाटा 178 करोड़ 60 लाख का है। इसकी पूर्ति के लिए मंत्री जी ने 6 उपाय बताये हैं। उन्होंने कहा कि बकाये की वसूली, दूसरे मितव्ययता तीसरे अनुत्पादक व्यय में कटौती, चौथे कार्यों में कुशलता, पांचवें अल्प बचत योजना में और आय। अन्त में बड़ी दबी जबान में कहते हैं कि कराधान समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गयी हैं। उनके द्वारा कुछ कराधान भी करेंगे। 6 सौ करोड़ से भी ज्यादा बकाया पड़ा हुआ है।

हम जानना चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े लोगों पर बकाया चला आ रहा है, 6ठीं पंचवर्षीय योजना में उसमें कितनी वसूली हुई, जो यह वायदा कर रहे हैं

कि वह वसूली करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी मजबूरियां हैं, कौन सी बाधायें हैं कि बकाया बढ़ता चला गया और आज यह कौन से उपाय करने जा रहे हैं। बकाये की वसूली, घाटे की पूर्ति का वायदा अपत्य है, यह पिछला अनुभव बताता है। मितव्ययता का ले लीजिये। 7 लाख रुपये गलीचे बदल कर, डेकोरा-कारपेट डालेंगे। मितव्ययता कैसे आयेगी? 7 लाख रुपये की बात जहां करोड़ों का बजट हो, कुछ मायने नहीं रखता लेकिन आदर्श की बात है। यह आदर्श का प्रश्न है मान्यवर, कि सरकार के मंत्री, सचिव और विशेष सचिव का कालीन पर चलने में तकलीफ होने लगी है और अब डेकोरा पर चलेंगे। तो क्या इससे जिले के अधिकारी खर्च कम करने में कोई कटौती करने के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत करेंगे? यह समझने वाली बात है।

मैं आज ही भविष्यवाणी किये दे रहा हूं कि एक प्रतिशत भी मितव्ययता नहीं कर पायेंगे। यह मितव्ययता कैसे करेंगे। कोई उपाय, मेजर्स नहीं बताये गये कि मितव्ययता कैसे करेंगे। मान्यवर, यह समस्या का कोई समाधान नहीं है। शब्द तो बहुत बड़े-बड़े बोले जा सकते हैं, लेकिन जिस शब्द के साथ कृति नहीं होती, उन शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। इस सरकार के शब्दों और कृतियों में कोई मेल नहीं है।

अनुत्पादक व्यय में कटौती करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि करेंगे कहां-कहां। जितना कुल व्यय किया जायगा वह 5,383.92 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 1,799.94 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा 3,583 98 करोड़ रुपये का आयोजनेतर पक्ष में अनुमानित है। यही क्या अनुत्पादक व्यय में कमी करने का प्रतीक है? यह अनुत्पादक व्यय में कमी नहीं कर पायेंगे। प्रशासन का खर्चा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।

कार्य कुशलता का जहां तक प्रश्न है, उसकी हालत यह है कि जो निगम चल रहे हैं, इसमें लगातार घाटे पर घाटा चलता चला जा रहा है। 57 निगम हैं, जिनमें 35 अरब रु0 की पूंजी लगी है। वर्ष 1982-83 में 64.33 करोड़ रु0 का घाटा दे चुके हैं। 35 अरब की पूंजी पर यदि 15 प्रतिशत का भी लाभ अर्जित किया जाता तो 5 अरब रु0 की आमदनी हो सकती थी। एक ओर 35 अरब रु0 की पूंजी में 5 अरब रु0 का भी मुनाफा न हो तो प्रदेश की गरीब जनता की हालत तो पतली होगी ही। निर्यात निगम के ऊपर एक ही सौदे में 12 करोड़ रु0 का घाटा चला गया। बाघ के बिचौलिये खा गये। इस हिसाब से आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी? खाली बिजली बोर्ड पर और परिवहन निगम पर 1982-83 में 62.16 करोड़ रु0 का घाटा आया है। यह भी आया है कि वर्ष 80 से 85 तक बसों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़ा हुआ किराया अलग है और घाटा अलग है। स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बस खरीदता है और बस चलाना शुरू करता है तो पांच सालों में एक की तीन कर लेता है, लेकिन सरकारी तंत्र की हालत यह है कि इनके यहां तीन बसें खरीदी जाती हैं तो साल भर में घटकर तीन की एक रह जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कल्याण सिंह--

बस मान्यवर, दो मिनट और लूंगा। बिजली की जितनी आवश्यकता है, नहीं मिल पा रही है। 4024 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है, उसके मुकाबले 1500 मेगावाट बन रही है। बजट में नहीं बताया गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी नहीं बताया गया की बिजली आपूर्ति कैसे की जायेगी। बोर्ड के ऊपर 35 अरब की लागत लगी है

और 2 अरब 26 करोड़ रु0 का बकाया है, 14 करोड़ 24 लाख का घाटा आ गया।

सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो योजना बनायी थी, वह लक्ष्य से 4 लाख हेक्टेयर कम रह गयी है। किसानों ने अपने निजी साधनों से साढ़े चार लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी कर दी है। दोनों को जोड़कर सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति दिखायी है।

खाद्यान्न के मामले में किसानों ने चमत्कार कर दिया। लक्ष्य से कहीं ज्यादा अनाज पैदा किया। इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार ने जो किया है वह यह है कि किसानों को उनके द्वारा उत्पादित गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार को जो काम करना चाहिये था, उसमें यह सरकार फेल है। गेहूं रखने तक को सरकार के पास स्थान नहीं है। जहां तक सड़कों का मामला है, 70,458 कि0 मी0 सड़क बननी थी, किन्तु बनी है 66,287 कि0 मी0। यह चार हजार कि0 मी0 से अधिक की कमी कैसे हो गयी, जबकि 8,12,526 गांव ऐसे हैं जहां की आबादी 1,500 से ज्यादा है, लेकिन वहां से सड़कें किसी मुख्य मार्ग से जुड़ी नहीं हैं।

आज बेरोजगारी की समस्या जैसी की तैसी है। बेरोजगारी नहीं घट रही है। छठे प्लान प्रारम्भ में इससे 13 लाख का बैक लाग था छठे प्लान के पूरा होते समय तक इसमें 40 लाख की संख्या पहुंच गयी। बजट भाषण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि इस समस्या का हल कैसे किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता —

अब आपका समय हो गया है।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अन्त में इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार श्री डी0 डी0 कोसाम्बी ने कहा है कि "उत्तर प्रदेश के यदि गांवों की यात्रा की जाय तो उन वस्तुओं को, मसलन पुराने उपकरण बैलगाड़ियां, झोपड़े और भूख से पीड़ित चेहरों को देखा जा सकता है जो ईसा पूर्व 150 और 200 ईसवी के कुषाण सामाग्री की मूर्तियों की शक्ल में अमर हो चुके हैं।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब कि गांव के गरीब और किसान, काम पाने के तरसते बेरोजगार नौजवान और मलिन बस्तियों तथा झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीने वाले असंख्य इन्सान हमारे नियोजन के केन्द्र बिन्दु बनें। यह नहीं कि थोड़े से सम्पन्न आदमियों को केन्द्र बिन्दु बना कर योजना बनाई जाय, उससे प्रदेश को आगे नहीं ले जाय जा सकता है।

नियोजन ऐसा हो जो रोजगार दे सके।

रोजगार ऐसा हो जो उत्पादन दे सके।

उत्पादन ऐसा हो जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

आवश्यकतायें ऐसी हों जो समूचे समाज की हो।

जिससे जन समाज का कल्याण हो, पूरे वर्ग का उत्थान हो, किसी एक क्लास विशेष को ही उससे लाभ न पहुंचे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभारी हूं।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो माननीय मुख्य मंत्री जी का 1985–86 का बजट रखा गया है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह बजट भाषण जो एक पूरी किताब है। इस बजट भाषण में सारे विभागों को शामिल किया गया है

चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे सड़क से सम्बन्धित विभाग हो, चाहे ग्राम्य विकास विभाग हो, सारे विभाग इसमें शामिल किये गये हैं। हर विभाग के हर क्षेत्र में विकास की तरफ ध्यान दिया गया है, इसमें खाली आंकड़े नहीं हैं। आप इससे पहले के वर्षों के भाषण को देखिये तो आप को मालूम होगा कि 1984-85 के बजट के मुकाबिले में 1985-86 के बजट में विकास का कार्य तेजी से चलेगा।

अगर आप विकास के कार्यक्रमों की फीगर देखे होते तो आज जो इतना ज्यादा रुपया दिल्ली से आ रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चाहे वह एन0 आर0 ई0 पी0 योजना हो, चाहे आर0 एल0 ई0 पी0 योजना हो, चाहे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान हो, सारी योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए आ रही हैं। केन्द्र से 50 प्रतिशत छूट की या यों कहिये कि 100 प्रतिशत छूट की योजनायें यहां केलिए आ रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास के कार्यक्रमों के लेते हुये आज जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बजट पेश किया है इसमें विकास के साथ ही साथ डाइरेक्ट जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया है।

मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश की जनता का पूरा ध्यान रखा है और इसी कारण सबसे ज्यादा कर नहीं लगाया है। वे सारी योजनाओं को विकास की तरफ ले गये हैं और जो कर नहीं लगाये गये हैं उसकी वजह से घाटा 178 करोड़ 60 लाख रुपये का जो आया है वह बड़े-बड़े उद्योगों से और स्टाम्प ड्यूटी आदि को बढ़ कर 147 करोड़ 60 लाख रु0 को कम किया गया है। इस बजट में बड़े संसाधन जुटाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। यह बजट बिल्कुल कर-रहित पेश किया गया है। इन बातों के होते हुये भी नेता विरोधी दल ने इस बजट पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है और जो उन्होंने आलोचना की है उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि तमाम लोगों के सामने और प्रदेश की जनता के सामने उनकी छवि गिरी है, क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा इस विकास के आवाहन पर जो बजट रखा गया है, उसकी आलोचना की है। उन्होंने एक अच्छे काम की सराहना नहीं की है, बल्कि उसकी आलोचना की है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उन्होंने आलोचना कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा विभाग है जो विकास की तरफ नहीं है। एक भी मुद्दा उठाकर देखें। 11 हजार करोड़ रुपये की सातवीं योजना में प्राविधान किया गया है जो छठी योजना के मुकाबले में 77.4 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना में 750 करोड़ का निर्धारण किया गया है जो 1984-85 की योजना थी उससे 9.3 प्रतिशत अधिक है। हर प्रकार से यही प्वाइन्ट था, जिस पर कहा जा सकता था कि बहुत ज्यादा इस योजना पर खर्च करने का प्राविधान किया गया है। मगर इस पर भी नेता विरोधी दल ने विरोध जाहिर किया है, मैं तो कहता हूं कि उनको तो इस पर खुश होना चाहिये था। 17 हजार करोड़ रुपया मांगा गया और 11 हजार करोड़ रुपया मिला। छठी योजना में 6 हजार करोड़ ही मिला था और इस साल 11 हजार करोड़ रुपया मिला। हम ज्यादा रुपया मांग कर पिछले साल से ज्यादा रुपया लाये।

इस प्रदेश के गरीब मजदूरों, किसानों, हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों की तरक्की करने का प्रयास कर रहे हैं उनके स्टैन्डर्ड को ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता विरोधी दल ने उसकी आलोचना कर दी। तो आप विश्वास रखें कि इस प्रदेश की जनता ने आपकी भावनाओं को अखबार में पढ़ा, और उससे यह धारणा बनायी कि जो अच्छी बात हैं उनकी भी आलोचना की है और जो बजट में कमियां हैं उनकी ओर नजर नहीं डाला। आपको

बजट की कमियों पर नजर डालना चाहिये था। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस जगह पर विकास नहीं हो रहा है। आप देखें कि 1984-85 में 25 हजार मकान बनाने का प्राविधान था और इस वर्ष 30 हजार मकान बनाने का प्राविधान है। हम पिछले साल से इस साल अधिक सुविधा देने जा रहे हैं।

मान्यवर, सेल्स टैक्स से छूट देने की बात कही गयी है, तो हम छूट दे रहे हैं। जो कृषि यन्त्र हैं और उपकरण हैं उन पर सेल्स टैक्स से छूट दे रहे हैं। मैदा से बिस्कुट जो बनाये जायेंगे उस पर भी बिक्री कर नहीं लगेगा और जो नये उद्योग हैं उन पर भी बिक्री कर नहीं लगेगा। इन सारी सुविधाओं के साथ इस प्रदेश के गरीब लोगों के विकास के लिये और उनकी सेवा करने के लिये यह बजट तैयार किया गया है। इससे गरीब लोगों की वास्तव में उन्नति होगी और उनको राहत पहुंचेगी, इसीलिये यह बजट पेश किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को विकास के महायज्ञ की संज्ञा दी है, तो यह बिलकुल ही ठीक है और अपनी जगह पर सही है। यह बजट विकास का महायज्ञ है और उसमें हम सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिये और उसमें सहयोग देना चाहिये, लेकिन नेता विरोधी दल ने उल्टे बता दिया कि कुछ नहीं हो रहा है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो प्रशासनिक खर्च है उसमें कमी की जानी चाहिये, फिजूल खर्च नहीं किया जाना चाहिये। जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें प्रशासनिक खर्च अधिक होने के कारण उतना लाभ जनता को नहीं पहुंच रहा है जितना कि जनता को मिलना चाहिये। यह मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक खर्चे को कम किया जाये। जो अधिकारी फिजूल खर्चा करते हैं उस पर रोक लगनी चाहिये।

मान्यवर, बहुत सा पैसा आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत आता है जिससे देहात के मजदूरों को रोजगार मिल जाये और जिस मौसम में उनको काम करने का समय नहीं मिलता है तो उनको मजदूरी मिल जाये और उसमें वह काम करें। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो लक्ष्य प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने इस प्रदेश की गरीब जनता को ऊपर उठाने का रखा है उसकी पूर्ति के लिये इन अधिकारियों को चाहिये कि वह सारी योजनायें उसी रूप में लागू करें। अगर योजनायें सही रूप में लागू नहीं होंगी तो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। इस पूरे बजट में न्याय विभाग से सबन्धित कोई बात नहीं रखी गई है जब कि न्याय विभाग लीगल एड देकर लोक अदालत लगाकर, उससे 24 हजार लोगों को राहत दिलाई और मुकदमों से छुटकारा दिलाया है। इस तरह से हमारा न्याय विभाग काम कर रहा है। उसके बारे में इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है और कोई बात नहीं कही गई है। अन्त में जो यह बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल जो कि हर बात में बिना सोचे समझे विरोध करते हैं, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद।

*श्री वदन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 1985-86 का जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुख्य मन्त्री द्वारा रखा गया बजट एक तरह से तो बजट है ही नहीं। यह तो औपचारिकता निभाने और खाना पूरी करने के लिये रखा गया है। नहीं तो विधान सभा का चुनाव 3 और 5 मार्च को सम्पन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो जाने के बाद काम चलाऊ ढंग से पैसा लेने के लिये 1-2 महीने का लेखानुदान ले सकते थे और तत्पश्चात् पूरा बजट ला सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 5 महीने का लेखानुदान ले लिया गया और उसके पश्चात् खानापूरी करने के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया।

मान्यवर, इस बजट में किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, श्रमिकों का नंगे, भूखे और भूमिहीन व्यक्तियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ध्यान रखा गया है तो केवल दो वर्गों का। एक तो सरकारी नौकरशाही का ध्यान रखा गया है और दूसरा पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया है। आज प्रदेश की ऐसी दशा हो गई है कि नौकरशाही चाहे जितनी लूट कर ले और पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो जाय। लेकिन यह सरकार उनके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा सकती है और न ही कोई रोक लगा रही है। अगर सरकार कुछ कर सकती है तो भूखे के पेट को काट सकती है, अर्द्धवस्त्र पहनने वाले का वस्त्र उतार सकती है, उन्हें बेघरबार कर सकती है। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग कर सकती है।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना इस सरकार ने ऐसी नहीं चलाई जिनके द्वारा प्राकृतिक विषमताओं पर यह सरकार मुकाबला कर सके। जब बाढ़ आयेगी तो उसे यह सरकार रोक नहीं सकेगी, अकाल पड़ेगा तो उसको बचा नहीं सकेगी, आग लगेगी तो आग से प्रभावित लोगों की रक्षा नहीं कर सकेगी। यह तो कुदरत के ऊपर है कि ईश्वर करे बाढ़ न आये उससे प्रदेश की जनता का हित हो जायेगा, आग न लगे तो प्रदेश की जनता आराम से रहेगी, सूखा और अकाल न पड़े तो प्रदेश की जनता अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है लेकिन सरकार द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचायी जा सकती। इस बजट की सार्थकता तब समझते जब प्रकृति की विषमताओं के ऊपर नियन्त्रण करने वाली योजनायें बन सकती। बाढ़ आने पर इस प्रकार की योजनायें होतीं कि उस बाढ़ के पानी को जनता के हित में किस तरह से योजनायें बनाकर प्रयोग में लाया जाता। सूखा पड़ने पर ऐसी योजनायें होतीं कि जनता को पानी दे सकते, अकाल पड़ने पर अपने सरकारी यांत्रिक तरीकों से जनता की सहायता की जाती। इस बजट में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। मैं कहूंगा कि यह बजट उस अंधी सरकार का बनाया हुआ बजट है जिसके पिसे-पिसाये को कुत्ते खाते हैं।

मान्यवर, हमारे देहात में एक कहावत है--अंधी पीसे कुत्ता खाय तो ऐसे ही इस अंधी सरकार द्वारा जो बजट बनाया जा रहा है उसे इनके

[× × ×]

द्वारा खाया जायेगा। आप जानते हैं कि 12 जुलाई को यह बजट प्रस्तुत किया गया है जिसकी अनुदानों पर यह स्वीकृति लेंगे।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य ने कहा अंधी पीसे कुत्ता खाय वहां तक तो ठीक है लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा

[× × ×]

खायेंगे। तो सरकारी लोग भी हमारे समाज के अंग हैं। क्या किसी को यह इस प्रकार कह सकते हैं।

(व्यवधान)

नोट :—[× ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बदन सिंह--

आपके यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है

(व्यवधान)

श्रीमती कमला साहनी--

आप यह नहीं कह सकते हैं।

श्री सतीश अजमानी--

यह संसदीय भाषा नहीं है। आप संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिये। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है माननीय अधिष्ठाता को निर्णय देने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

इसको प्रोसिडिंग से देख लिया जायेगा अगर कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इसमें कोई असंसदीय शब्द नहीं है। मैं कह रहा हूं कि किस प्रकार इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई को खर्च किया जा रहा है। योजनाओं के लिए जो धनराशि मन्जूर की जाती है वह नौकरशाही की जेब में जा रही है, उसका 60 फीसदी पैसा नौकरशाही की जेब में चला जा रहा है। आप सिंचाई विभाग को ही देख लीजिये आज नहरों की मरम्मत और सफाई का कोई काम नहीं हो रहा है। नहरों की पटारियां बनाने के लिए पैसा दिया गया लेकिन आप दो वर्ष बाद देख लीजिये वह पैसा कागज में खर्च किया हुआ दिखा दिया जाता है। नहर की मरम्मत या खुदाई न हो कर पैसा सरकारी अफसरों की जेब में चला जाता है। इसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे यहां कीटम झील है जो 7.3 कि0 मी0 की परिधि में है। इसका पानी आगरे में गर्मी के मौसम में जब वहां पानी की कमी हो जाती है तो ले जाया जाता है। लेकिन उसमें जलकुंभी पैदा हो गयी है और उसके लिए 8 लाख रुपये जिला योजना के अन्तर्गत मन्जूर किये गये। सरकारी अंधेपन का मैं प्रमाण दे रहा हूं। इस पर 4 लाख 70 हजार रुपया खर्च होना है जिससे 10 फीट में भी जल कुंभी नहीं निकाली गयी है। इस काम के लिए डेली वेजेज पर लोग रखे गये उन्होंने एक-एक डाल को उठाया और वह जल कुंभी को नहीं निकाल सके।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं सरकार द्वारा चलायी गयी एक बाल विकास योजना है जो 125 विकास खंडों के लिए है। अगले वर्ष 25 विकास खंडों में चलाने के लिए प्रस्तावित है। तो जो यह 125 विकास खंडों के लिए योजना चलाई गयी है उसको देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत जो गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सामान दिया जाता है वह परियोजना का पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है। आधे से अधिक पैसा वह खा जाते हैं। जो सामान उनके पोषण और आहार बांटा जाता है उसमें बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को मई और जून के महीनों में गुड़, मूंगफली और तिल जैसी चीजें दी जाती हैं जिसका कुप्रभाव उनके स्वास्थ पर पड़ रहा है। हजारों महिलाओं और बच्चों को खतरा हो गया है और गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो गया है इस प्रकार की सामग्री को उनमें बांटने से।...

तो यह योजनायें जिन पर यह गर्व करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि यह योजनायें जन कल्याण के लिये नहीं बल्कि अधिकारियों के लिये हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आज का सरकारी तन्त्र राजस्व की चोरी करने में नहीं चूक रहा है और सरकार उन पर नियन्त्रण नहीं रख पा रही है। फतेहपुर सीकरी में पुरातत्व विभाग की इमारतों की सुरक्षा के कारण आस-पास खनन कार्य रोका गया है, ऐसा नियम बनाया गया है, लेकिन फतेहपुर-सीकरी से 4-5 किलोमीटर दूर तेरारावत, जौताना,

खेड़ाभोपुर, डाबर, सिरोली, सांथा, बहरावती में कागज पर काम रोका गया है किन्तु सरकारी अधिकारियों से मिलकर सब पहाड़ों पर खनन का कार्य जारी है। इससे अच्छा होगा कि इन सम्पूर्ण पहाड़ों का खनन कार्य कायदे से खोल करके सरकारी राजस्व की प्राप्ति करनी चाहिए और इनके आंखें हैं तो वहां जाकर देखें और पत्थर के रोजगार को, चालू वर्ष में चूंकि उद्योगों को बढ़ावा देने का लक्ष्य बनाया है, तो वहां पत्थर के लघु उद्योग को बढ़ावा दें जिससे लाखों मजदूर जो बेकार हो रहे हैं उनको रोजगार मिल सके।

मान्यवर, इन्होंने बजट में दिखाया है कि कृषि में उत्पादन दर बढ़ी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह दर इनके द्वारा नहीं बल्कि किसान ने अपने आप बढ़ाया है। मान्यवर, किसानों ने अच्छे बीज राष्ट्रीय बीज निगम से 5 रुपये किलो में ले रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने बीज राष्ट्रीय बीज निगम को दिया तो उनकी लूट किस प्रकार हुई उसको मैं बताना चाहता हूं कि बीज प्रमाणीकरण संस्था सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसने किसानों से 50-60 रुपये प्रति बोरा रिश्वत लेकर बीज प्रमाणित किया। किसान जब अपना बीज राष्ट्रीय बीज निगम को देने के लिये ले गये तो 100 क्विंटल में 20 क्विंटल बीज छानन में निकाल देते हैं जिससे उसका मूल्य किसानों को नहीं मिलता है। इसलिये यह किसान विरोधी सरकार है और किसान का खून नोच-नोच कर खा रही है। तो इस प्रकार की लूट आज किसानों की हो रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जायें।

कर्नल केसरी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज इस सदन के सामने हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। इतना ही नहीं यह पहली बार है जब भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधि इस सदन में कुछ बोल रहा है, इसलिये मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के 15 लाख भूतपूर्व सैनिक परिवार आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे।

मान्यवर, हम सैनिक वृन्द बातें कम और काम अधिक करना चाहते हैं लेकिन तीन दिनों से इस बजट प्रस्ताव पर हर वर्ग की बातें सुनने के बाद अपने विचारों को न व्यक्त करूं तो मैं अपने कर्तव्य से वंचित हो जाऊंगा। माननीय मुख्य मन्त्री ने जो अत्यन्त संतुलित कर रहित बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है जो हर प्रकार से विकासोन्मुखी है, जो किसानों और मजदूरों के पक्ष में है, हर प्रकार की योजनाओं से परिपूर्ण है, इस बजट को देखकर उसके विरोध में बोलना कुछ भ्रामक सा प्रतीत होता है। सदन के हर माननीय सदस्य को मालूम है कि 1979-80 की तुलना में 1984-85 में खाद्यान्न के उत्पादन में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से चना उत्पादन में भी 35.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीमेन्ट के उत्पादन में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसी प्रकार हर क्षेत्र में बराबर विकास करते हुए हम विकास की ओर जा रहे हैं तो इसमें आपको खुशी क्यों नहीं होती है। यह हम विकास नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं, यह आपके सोचने की बात है।

पिछली पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश में 102 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचित भूमि की क्षमता का सृजन हो चुका है और इस सातवीं अगली योजना में 14 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचित भूमि करने की और क्षमता सृजित करने का हमारा विचार है। सवा सौ वर्ष से अधिक पुरानी ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण का हमारा पक्का

इरादा है और इस योजना पर हम करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी धनराशि से उसका आधुनिकीकरण करने का हमारा उद्देश्य है, जिससे हमारे किसानों को अधिकाधिक सिंचाई सुविधा सुलभ हो सके।

अब तक इस प्रदेश में 17.95 लाख आवास भूखंड आबंटित हो चुके हैं और सातवीं योजना में हमारा प्रयास होगा कि ग्रामीण आवास भी अधिक से अधिक संख्या में बनाए जायें। भारत सरकार की मदद से 1985-86 में 20 हजार ग्रामीण आवास बनाने का प्राविधान किया गया है। यह सब विकास नहीं है तो क्या है, यह साफ चीज हमारे उधर के सदस्यों को क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में बीस सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत कामों के कार्यान्वयन में बड़ी तेजी से प्रगति की है और इस दिशा में किये गये कार्यों के लिए हमारे प्रदेश का पूरे देश में छठा स्थान रहा है।

माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमारी बीस सूत्री योजना का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उसमें हमने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार औद्योगीकरणों के विकास में हमारे प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। इन सबके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इस वर्ष की योजना वर्ष 1984-85 की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक की है। इस प्रकार विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। इतना करने पर भी यदि हमारे विरोधी पक्ष के भाई हमें समाज विरोधी या किसान विरोधी कहते हैं तो यह भ्रम पैदा करने वाली बात है।

अगले वर्ष में हमारे प्रदेश में कृषि उत्पादन में क्रान्तिकारी वृद्धि करने के लिए एक नई योजना का प्रारम्भ किया जाएगा, समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। जिससे कृषि की आधुनिकतम तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाया जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय के बारे में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह हमारी मांग से कम है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि यह छठी पंचवर्षीय योजना से 77.4 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने केन्द्र सरकार योजना आयोग से इतना बड़ा बजट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसमें किसानों के लिए और मजदूरों के लिए सिंचाई और बिजली को उपलब्ध कराने के लिए अगली पंचवर्षीय योजना में 51.4 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की गयी है। अर्थात् 5648.50 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह किसानों के लिए नहीं है तो किसके लिए है, फिर भी हमारे सामने के माननीय सदस्य कहते हैं कि किसानों के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

इसी प्रकार से विकास की दर जो पिछली पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत थी, उसे सातवीं योजना में भी 6 प्रतिशत बनाये रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार 20 नये पालीटेक्निक स्कूल हम इस वर्ष में खोलने जा रहे हैं, जिनके खुल जाने से हमारे पास करीब करीब हर जिले में एक औद्योगिक संस्थान हो जाएगा और हर जिले के बच्चे उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। एक लाख उद्योग लगाने का प्राविधान है। 4--खाद के कारखाने 6--नई चीनी की मिलें खोलने का प्राविधान किया गया है और 4 नये कताई व स्पिनिंग मिलें भी लगायी जाएंगी। टेल्को यहां टाटा का कारखाना औद्योगिक गाड़ियों को बनाने का कुछ कारखाना लगाने जा रहा है। लघु और सीमान्त सिंचाई के लिए भी इस बजट में साढ़े 33 और 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है, जो पिछले वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक है। मान्यवर, सबसे प्रसन्नता की बात है कि गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिये

एक रचनात्मक कदम उठाया गया है, और यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिये हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी सक्रिय हैं कि केन्द्र से यमुना के प्रदूषण को रोकने के लिए योजना स्वीकृत करा लायें और यमुना का भी प्रदूषण दूर होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं । इसी तरह से पिछले वर्ष जैसा कि बजट में सूचित किया गया है 19 हजार 400 कि0मी0 सड़कें बनाना प्रारम्भ किया गया था । अगली पंचवर्षीय योजना में निश्चित है कि जितने भी 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांव हैं उन सबको पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायगा ।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रदेश में 4 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं । इस समय 200 हरिजन बच्चे हर 3 महीने में शिक्षित होकर यहां से निकलते हैं । उनको तैयार किया जाता है कि वह किसी भी फोर्स या नौकरी में कम्पटीशन के द्वारा आ सकें। मान्यवर, इसी के साथ-साथ में आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में और वहां की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, बस्ती जिला पहले से ही उद्योग शून्य जिला है । बस्ती में उद्योग नाममात्र को नहीं है । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में विशेषकर कोई उद्योग नहीं है । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगली पंचवर्षीय योजना में जो उद्योगों का प्राविधान है उसमें से कम से कम एक कृषि पर आधारित उद्योग हमारे क्षेत्र में लगाया जाय ।

शिक्षा के क्षेत्र में बस्ती जिला विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है और शिक्षा में पिछड़ता चला जा रहा है । आज से 40 वर्ष पहले बस्ती जिले में केवल 2 हाई स्कूल थे । लड़कियों की शिक्षा के लिए मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 2 जूनियर हाई स्कूल हैं और एक भी हाई स्कूल या इंटर कालेज नहीं है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो 12 हाई स्कूल खोलने का प्राविधान है उसमें से कम से कम 2 हाई स्कूल मेरे क्षेत्र में खोले जायं । मेरे क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज नहीं है और मैं अनुरोध करूंगा कि इस शताब्दी वर्ष में हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कालेज का प्राविधान अवश्य कर दिया जाय । मान्यवर, मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं, ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं जो भूतपूर्व सैनिक कहलाता है । भूतपूर्व सैनिक एक अनुशासित वर्ग है, एक कर्तव्यनिष्ठ वर्ग है, राष्ट्रवादी वर्ग है, जाति विहीन वर्ग है और परिश्रमी तथा ईमानदार वर्ग है दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में 15 लाख भूतपूर्व सैनिक परिवार जो हैं वह उपेक्षित हो रहे हैं । मैं इनके विषय में 2-4 बातें कहना चाहता हूं । भूतपूर्व सैनिकों के प्रति 1977-79 के दौरान कुछ ज्यादतियां की गयीं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

कर्नल केसरी सिंह--

जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका पुनर्योजन रि-सेटिलमेन्ट इस प्रदेश की जिम्मेदारी है । उनके लिए पहले 10 परसेन्ट का आरक्षण था लेकिन जनता शासनकाल के दौरान यह काट कर 3 परसेन्ट कर दिया गया । इसी तरह से आवास के लिए 15 परसेन्ट का आरक्षण था जो कम करके 4 परसेन्ट कर दिया गया है । इसी तरह से कैंटीन की जो सुविधा थी उसको छीन करके उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सुविधायें वापस की जायं और आरक्षण पूरा किया जाय और सुनियोजित ढंग से उनके पुनर्नियोजन की योजना बनायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बजट के बारे में सूत्र रूप में कहा जा सकता है कि यह बजट यथास्थितिवादी, पूंजीवादी, निराशावादी और कुल मिलाकर प्रतिक्रियावादी बजट है । 37 पन्नों के बजट भाषण में और 5 किलो वजन के बजट पत्रों में लफ्फाजी का जो तुमार बांधा गया है, जैसे स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का ठेका ले लिया गया है, लेकिन खुद जो आंकड़े मुख्य मंत्री जी ने पेश किया था, उसको जरा पैनी दृष्टि से देखा जाय, तो उसकी कलई स्वतः खुल जाती है कि इससे क्या मंशा इस शासन की और मुख्य मंत्री जी की है ।

इस प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा घाटे का बजट पेश करने की परम्परा सी चली आ रही है और वह जो घाटा वह पहले रखते हैं, अन्त में वह उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है । 1983-84 में अनुमानित घाटा था 211.42 करोड़ रुपया, बाद में पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार यह घाटा हुआ 526.62 करोड़ रुपया हो गया यानि लगभग दूना । इसी तरह से 1984-85 में अनुमानित घाटा 272.72 करोड़ रुपया था और पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार यह हुआ 726.53 करोड़ रुपया यानी करीब-करीब तीन गुना ।

पिछले वर्ष प्राप्तियों का अन्तिम अनुमान निकला था 5543.13 करोड़ रुपया और चालू वर्ष के लिए रखा गया है 5644.14 करोड़ रुपया, अर्थात् पिछले वर्ष से 102.50 करोड़ रुपया अधिक। व्यय के सम्बन्ध में पिछले वर्ष का अन्तिम अनुमान था 6270.17 करोड़ रुपया, इस वर्ष व्यय का अनुमान है 5383.92 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष से 886.25 करोड़ रुपया कम है, प्राप्तियों की राशि में मामूली वृद्धि और व्यय के मद में भारी कमी, पिछले वर्ष के घाटे को पाटने के लिए रखी गयी । हिसाब यह लगाया गया है कि पिछले वर्ष से चला आ रहा घाटा जो चालू वर्ष के आरम्भ में 474.40 करोड़ रुपया था, घटकर 178.60 करोड़ रुपया रह जायगा। मान्यवर, यह घाटा जो दिखाया गया और है, यह बढ़ेगा, वर्तमान मूल्यों के आधार पर घाटे की कुल रकम जो 178.60 करोड़ रुपया आंकी गयी है, वह निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और कीमतों पर अंकुश लगाना सदैव से सरकार के बूते से बाहर रहा है। भ्रष्टाचार की महामारी के कारण भी यह घाटा निश्चित रूप से कहीं अधिक हो जायगा । यह जो टैक्स न लगाने की वाहवाही सरकार लूट रही है, इससे प्रदेश को कोई फायदा नहीं है ।

हमारा मत है कि टैक्स जरूर लगना चाहिए और प्रदेश के लिये संसाधन जुटाये जाने चाहिए, तभी प्रदेश का विकास सम्भव होगा । लेकिन टैक्स बड़े लोगों पर लगाये जाने चाहिए, न कि मेहनतकश आम जनता पर । उद्योगपतियों और कारखाने के मालिकों के विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी रियायतें और छूट दी जाती हैं, लेकिन इससे प्रदेश का कोई फायदा नहीं है । जरा और गहराई से विचार किया जाय, तो पता चलता है कि चालू वर्ष में कुल व्यय की रकम 5,383.92 करोड़ रुपया में से केवल 1799.94 करोड़ रुपया आयोजनागत मदों पर तथा 2,732.97 करोड़ रुपया आयोजनेतर मदों पर रखा गया है यानी वित्त मंत्री ने जिसे विकास महायज्ञ की संज्ञा दी है, उसमें अपने स्रोतों का मात्र 34 प्रतिशत अंश रखा है । क्या प्रदेश के विकास के बारे में इससे भी अधिक खोखली बात हो सकती है ?

प्रदेश की गरीबी, अशिक्षा, बिजली की कमी, सिंचाई अव्यवस्था, किसानों की खस्ता हालत, इन सब चीजों को सम्यक रूप में देखने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि प्रदेश आगे बढ़ा है कि पीछे जा रहा है। इसके लिए सरकार को उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाने पड़ेंगे जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, कारखानों के मालिक हैं और जो मेहनतकश जनता को लूटते हैं। अगर प्रदेश का विकास करना है तथा संसाधन जुटाना है, तो वह संसाधन कहां से आवेंगे ? टैक्स लगने चाहिए।

मान्यवर, हमारे दल की यह मांग है। लेकिन यह सरकार पूंजीवाद को बढ़ा रही है। जिन लोगों के पास धन है उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहती है। उद्योगपतियों को बराबर छूट दी जा रही है। हमारी मांग है अगर प्रदेश का विकास करना है, तो संसाधन जुटाने पड़ेंगे। उनके ऊपर भारी टैक्स लगाइए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। खाली यह कह देना कि कर नहीं लगाए गए, यह ठीक नहीं है। मितव्ययता की बात कही गई, तो तब लोग जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। पहले पुलिस विभाग में एक आई0 जी0 और कुछ डी0 आई0 जी0 और जनपद में एक एस0 पी0 हुआ करता था, जिससे प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहा करता था। अब डायरेक्टर जनरल और आई0 जी0 तथा डी0 आई0 जी0 की पोस्ट बढ़ गई है। हर दो तीन जिलों पर एक आई0 जी0 और डी0 आई0 जी और दर्जनों आई0 पी0 एस0 हैं।

मान्यवर, मुझे एक पुलिस अफसर मिला था वह कह रहा था जिस तरह से सिविल सर्विसेज में एस0 डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 हुआ करते हैं उसी तरह से एस0 पी0 के नीचे एडीशनल एस0 पी0 की पोस्ट होनी चाहिए। आप लोग रोजगार की बात करते हैं कि ज्यादा लोगों को रोजगार में लगाया जाए और ऐसे पदों का सृजन करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, यह सरकार नौकरशाही के समक्ष समर्पण कर चुकी है। बड़े-बड़े लोगों की बातें मानकर यह सरकार चल रही है। यह सरकार इस प्रदेश को बरबाद कर रही है। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक उदाहरण दूंगा। पहले जिले में एक चिकित्सा अधिकारी सुपरिन्टेन्डेन्ट हुआ करते थे और मंडलों में ज्वाइन्ट डायरेक्टर होते थे। अब मंडलों में एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट कर दी गई और उसके नीचे ज्वाइन्ट डायरेक्टर को कर दिया गया है। मान्यवर, बलरामपुर अस्पताल में, मैं नाम नहीं लेना चाहता एक डाक्टर को एडजेस्ट करने के लिए जो पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, अब सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट के अतिरिक्त मुख्य अधीक्षक की पोस्ट क्रियेट करके वहां पर लाया गया है।

मान्यवर, खाली बजट भाषण की तारीफ कर देने से या उस पर ताली बजा देने से काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, बड़ी तारीफ की जा रही है कि यह बढ़ गया वह बढ़ यह विकास नहीं तो और क्या है। उत्तर प्रदेश अपने में एक देश है दुनिया भर में इसका नम्बर 11वें 12वें पर है। लेकिन यदि हम पिछड़ेपन में देखें तो नीचे से इसका तीसरा नम्बर है देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में पिछड़ेपन में। इसका कारण क्या है ? आज तक इस प्रदेश में देश में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण किया गया है, जिसकी वजह से हमारी यह हालत है।

मान्यवर, 1983 में तत्कालीन केन्द्रीय योजना मंत्री ने इस प्रदेश के बारे में एक टिप्पणी की थी, वह मैं सबूत के रूप में पेश करना चाहता हूं उनकी टिप्पणी थी कि बिजली, सिंचाई और परिवहन के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। यह मेरी टिप्पणी नहीं है यह 1983 के तत्कालीन योजना मंत्री की

टिप्पणी है। सिर्फ एक-दो आंकड़े में देना चाहूंगा कि प्रदेश में कितनी गरीबी, पिछड़ापन है और विकास नहीं हुआ यह कैसे साबित किया जाए। पूरे प्रदेश के पैमाने पर जो राष्ट्रीय औसत आय है प्रति व्यक्ति उसकी तुलना में अपने प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 202 रुपये कम थी। छठी पंच वर्षीय योजना में यह आय 205 रुपये हो गयी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जैसा कि अनुमान है यह आय 220 रुपया कम हो जायगी देश के प्रति व्यक्ति की तुलना में जहां देश में प्रति एक लाख व्यक्ति की आबादी पर 60 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, तामिलनाडु और पंजाब में इससे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है एक लाख आबादी पर सिर्फ 24 किलोमीटर, वह भी अभी पूरी नहीं है। यह कुछ बातें ऐसी हैं जो नक्शा पेश करती हैं इस प्रदेश का जिसके बारे में हम तारीफ करते हैं।

अब मैं ऊर्जा संकट की बात कहना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लिये बिजली की कोई नई परियोजना नहीं रखी गयी है। आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान, विद्यार्थी और आम जनता ऊर्जा संकट को महसूस करती है कि बिजली का कितना संकट है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की नई परियोजना की बात ही नहीं है।

विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन और माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को कह चुके हैं। विद्युत् विभाग की योजनाओं में कितनी ढीलढाल है। जो योजनायें छठीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जानी चाहिये थीं जैसे मनेरी भाली, टेहरी, टांडा, ऊंचाहार, नानपारा इनमें केवल 53 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है, यह योजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी की जायेंगी। छठीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में बिजली की मांग थी 22 अरब 64 करोड़ यूनिट और उत्पादन लक्ष्य था 22 अरब 65 करोड़ यूनिट का और प्राप्त कितना हुआ ? मात्र 12 अरब यूनिट। देश में प्रति व्यक्ति बिजली का खर्च 180 यूनिट है और उत्तर प्रदेश में मात्र 114 यूनिट, यही नहीं उत्तर प्रदेश के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 75 यूनिट के प्रति व्यक्ति और बुन्देलखंड और उत्तराखंड में 75 यूनिट से भी कम है। इसके बाद भी आप दावा करते हैं कि प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं।

यह बजट प्रदेश को नई दिशा प्रदान करेगा यह बात समझ में नहीं आती है। हम सब की चाहे उधर बैठे हों या इधर, इच्छा यही है कि प्रदेश आगे बढ़े। तर्क-वितर्क करने से प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री के अनुसार इस समय विद्युत् उत्पादन क्षमता 4 हजार 84 मेगावाट है। अगले वर्ष यह बढ़कर 4,294 मेगावाट हो जायेगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यानी सन् 1990 तक वर्तमान गति के अनुसार बिजली की मांग बढ़कर 6 हजार 781 मेगावाट होगी।

श्रीमन्, हर चीज सही हालत में चलती रहे, राज्य विद्युत् परिषद् की गड़बड़ी ठीक हो, आग न लगे तो उत्पादन सन् 1990 तक 5 हजार 722 मेगावाट होगा, जो काफी कम रहेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम देश की तुलना में अपने को अंधकार में डूबा हुआ पायेंगे। यह सर्वमान्य है, सभी जानते हैं कि ऊर्जा के बगैर कोई प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। अगर ऊर्जा का संकट इसी प्रकार बना रहा तो प्रदेश कैसे तरक्की करेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो इस बात को अवश्य बतायें कि कैसे तरक्की करेंगे। अब मैं सिंचाई की बात कहना चाहता हूं। इस प्रदेश में आज भी 50 प्रतिशत भूमि सिंचित नहीं कही जा सकती है। छठीं पंचवर्षीय योजना में 64 लाख हेक्टेयर भूमि को

अतिरिक्त सिंचाई साधन उपलब्ध करने का लक्ष्य था लेकिन यह लक्ष्य का 83 प्रतिशत ही काम पूरा कर सके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी योजनायें इस प्रकार क्रियान्वित की जाती हैं कि काम बने कम, बिगड़े ज्यादा।

इस सम्बन्ध में शारदा सहायक जिसे इन्दिरा कैनाल कहा जाता है उसका उदाहरण देना चाहता हूं। यह लखीमपुर से निकली है। कल माननीय सदस्य खीरी रिजवी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो नहर के किनारे जमीन है उसे सरकार ले ले और मुआवजा दे दे। हजारों एकड़ जमीन नहर के किनारे एक-एक दो-दो किलो मीटर तक सीपेज से प्रभावित है, पानी भरा रहता है। नहर के किनारे के जो गांव हैं उनके मकान गिर रहे हैं आधे गिर गये हैं, दो चार साल में सब गिर जायेंगे। फसल पैदा नहीं होती है। रबी की फसल होता है आम भर का। जमीन ऊसर हो रही है। आज मैंने एक तारांकित प्रश्न भी किया था, दुर्भाग्य से नम्बर नहीं आ पाया। जवाब आया था सिंचाई मन्त्री का कि छिछले नालों को गहरा कराया जा रहा है और प्राकृतिक अवरोधों को हटाया जा रहा है। मान्यवर, सवाल क्या है और जवाब क्या है। यह शासन को जो समझदारी है इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्दिरा नहर से सीपेज है और सीपेज के रोकने के लिए छिछले नाले गहरे कराये जा रहे हैं।

मान्यवर, इस समस्या से जो शारदा सहायक की है, इससे हजारों-हजारों किसान बेकार हो जायेंगे और हजारों-हजारों एकड़ जमीन बेकार हो जायेगी। परन्तु इस घाटे की बजट वाली सरकार इस समस्या का निराकरण क्या कर पायेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप शिक्षा के मामले को देख लीजिये। देहातों के अन्दर आम तरीके से तीन चौथाई लोग अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं और शिक्षा व्यवस्था जो है साफ तरीके से तीन वर्गों में विभक्त है।

इस सरकार में बड़े लोगों के लिए, नौकरशाहों और धन्ना सेठों के लिए पब्लिक स्कूल और सेन्ट्रल स्कूल, मध्यम वर्ग के लिए निजी सहायता प्राप्त स्कूल हैं उसमें वह अपने बच्चों को पढ़ावें लेकिन जो प्रदेश की 70-75 फीसदी गरीब जनता है उसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल हैं। जहां पर न भवन है, न टाट पट्टी है और न टीचर ही हैं। उसके बाद भी यह दावा किया जाय कि प्रदेश विकास पर जायेगा, कैसे सम्भव है। 25 फीसदी इस प्रदेश के लोग साक्षर हैं। जहां 25 फीसदी साक्षरता है उस प्रदेश को कैसे विकसित कहा जायेगा।

एक समस्या बेरोजगारी की है। सन् 1982 के अन्त में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारी की संख्या जो 16 लाख थी अब इस समय बढ़ कर 38 लाख हो गयी है। इस सम्बन्ध में मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में आज ही शासन द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें शासन ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में एक लाख तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार बेरोजगारी के रजिस्टर में दर्ज हैं। 2 लाख 58 हजार ग्रेजुएट और 76 हजार पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारी के रजिस्टर में दर्ज हैं।

मान्यवर, इतने ही बेरोजगार नहीं हैं। यह सब लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में साक्षरता के अभाव में तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वह अपना नाम नहीं पंजीकृत करा पाते हैं। लेकिन यह बेरोजगारी का मर्ज वह सब जगह नुमायां है। बनारस से और गोरखपुर से पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों पर फसल कटाई के समय नजर डाली जाय तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि रेलों के ऊपर सवार हो कर कितने लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। इस प्रदेश में एक करोड़ आदमी

बेरोजगार हैं, हर घर का एक आदमी बरोजगार है। इसके बाद भी यह कहा जाय कि यह प्रदेश विकास की ओर जा रहा है तो गलत होगा। बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई बात नहीं कही गयी है। बेरोजगारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इस ओर भी मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें।

अब मान्यवर, अन्त में किसानों के बारे में कहूंगा। यह बात शासन द्वारा कही जाती है कि खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ गयी, आलू की पैदावार बढ़ गयी। गन्ने की पैदावार बढ़ गयी। इन किसानों ने नये नये कीर्तिमान स्थापित किये। लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार ने किसानों को अधिक उत्पादन की सजा दी है। धान के मामले में जिस तरह से किसानों की लूट की गयी यह सर्वविदित है। गेहूं के क्रय केन्द्रों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया और किसानों का शोषण किया गया, यह बात भी सर्वविदित है। खाद्य एवं रसद मन्त्री और उनके राज्य मन्त्री ने जाकर जो चेकिंग की उसमें अनियमितताये पायी गयीं। रुपयों का भुगतान नहीं हुआ। गन्ना किसान पैदा करता है, उसका गन्ना ले लिया लेकिन पैसे का भुगतान नहीं हुआ। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, खाद के दाम बढ़े हैं, तमाम कृषि के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं। आलू ज्यादा पैदा किया गया तो खेतों में सड़ा। आज तक आलू की खपत के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। किसान आलू पैदा करे और शासन अपनी पीठ थपथपाए। जैसा कि मैंने कहा, यह बजट प्रतिक्रियावादी बजट है और घोर किसान-विरोधी और जन विरोधी बजट है। इस बजट का मैं घोर विरोध करता हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से और माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस बजट की मांगों का विरोध करें और इस जट को पास न होने दें।

*श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का यह जो भाषण है, इसमें पूरे प्रदेश की प्रगति है। मान्यवर, इस बजट से निश्चित रूप से प्रदेश का बहुमुखी विकास होगा, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का और उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम का, समाज में रहने वाले हर वर्ग का विकास इस बजट से निश्चित है।

सर्वप्रथम कृषि की बात है। कृषि उत्तर प्रदेश का नींव है। उसकी बात आती है तो बजट को देखने से पता लगता है कि किसानों के लिए बजट में काफी प्राविधान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये ट्रेनिंग एन्ड विजिट सिस्टम की व्यवस्था है। इसके द्वारा वे लोग खेती में आगे बढ़े हैं। यह पूरा प्रदेश, पूरा हिन्दुस्तान जानता है, विपक्ष में बैठे लोग जानते हैं कि हम लोग पहले बाहर से आयात करके गेहूं खाते थे, लेकिन हरित क्रांति के द्वारा कांग्रेस के, हमारी सरकार के प्रयास से खेती में काफी उन्नति हुई है। आज हम अपने यहां बोयी हुई फसलों का निर्यात करते हैं।

तो मान्यवर, खेती-बाड़ी के लिये, उसकी उन्नति के लिए खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था और साथ ही साथ सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था आज होने जा रही है। ट्यूबवेल के साथ रामगंगा, शारदा सहायक योजना, सरयू योजना आदि अनेक योजनाओं द्वारा सिंचाई के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश का विकास होगा। यह तो हुई किसानों की बात। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, घर बनाने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये जमीन नहीं है। ऐसे लोगों के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया है। गांव में बेकार पड़ी सीलिंग की जमीन उनको बांट दी और आज उनमें अपनी जमीन कहलाने वाले लोग हैं जिससे वे खेती करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। मजदूरी से उनके बच्चों का पालन-पोषण होता है। उनके लिए तमाम योजनायें इस सरकार ने बनाई जिनमें महत्वपूर्ण बात माइक्रो प्लानिंग की कही गयी है। इसमें हमारे समाज के गरीब लोगों के आंकड़े एकत्र किये जायेंगे, विवरण एकत्र किया जायेगा और यह पता लगाया जायगा कि उनका स्तर ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है।

मैं इस बजट के लिये मुख्य मन्त्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने गरीब वर्ग के उत्थान के लिये माइक्रो प्लानिंग की योजना बनाई। मान्यवर, हमारे देश में शिक्षा बढ़ी है। इसके साथ ही साथ बहुत से बेरोजगार युवक हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या के साथ-साथ शिक्षा भी बढ़ेगी तो इसके हिसाब से नौकरियां तो पैदा नहीं होंगी। पेड़ तो है नहीं कि बोया और उग गया। हमारी सरकार की उनकी तरक्की में दिलचस्पी है। वह चाहती है कि लोग अपने अपने रोजगार धंधा करके अपना पालन-पोषण करें। इसके लिये हमारी नेता स्व0 इंदिरा गांधी ने इन बेरोजगार युवकों के लिये एक स्वतः रोजगार योजना बनायी थी। जिसमें 25 हजार रु0 देने की बात थी। आज भी वह योजना चल रही है और उस योजना के तहत तमाम बेरोजगार युवक अपने काम धंधे में लग गये हैं।

मान्यवर, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आवागमन के साधन नहीं थे। इधर हमारी सरकार की योजनाओं के द्वारा तमाम सड़कें बनी और तमाम रास्ते बने जिससे कि लोग अपने घर आराम से पहुंच सकें। यह भी तय किया गया है कि 1,500 आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जायगा और वह योजना कार्यान्वित भी हो रही है। क्योंकि आवागमन के साधन सुगम होने पर ही विकास सम्भव है। बिना आवागमन के साधन के किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हर स्तर की शिक्षा के लिये विद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन विद्यालयों के साथ-साथ उनके भवनों पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। आप देहातों में देखें कई स्कूल पेड़ों के नीचे लगते हैं भवन के अभाव में। विद्यालय के लिये सर्वप्रथम भवन की व्यवस्था अवश्य की जाय।

मान्यवर, शिक्षा का स्तर निरन्तर घटता जा रहा है। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार-विमर्श होगा, यह तो आगे की बात है। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा का स्तर गिरने का क्या कारण है? प्राइमरी शिक्षक अपने गांव के अपने घर के पास स्कूल में नियुक्त रहता है, जिस कारण वह स्कूल के बच्चों से खेती-बाड़ी का काम करता है। खुद तो चारपाई पर चादर तान कर सोता है और स्कूल का कोई बच्चा और बच्चों से कहलाता है दो का दो, दो दुनी चार। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहती हूं कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वह शिक्षक, जिस तहसील में उसका घर है, उस तहसील में न रह कर उसे जिले की दूसरी तहसील में नियुक्त करें। ताकि वह शिक्षक बच्चों से अपनी जमीन पर मजदूरी न कराये और न ही चादर तानकर चारपाई पर सो सके। इसके अलावा वहां के ग्राम प्रधान को अधिकार दिया जाय कि वह उस प्राइमरी

स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों का करेक्टर रोल लिखें । जैसे कि ब्लाक प्रमुख के लिये व्यवस्था है कि वह बी0 डी0 ओ0 का करेक्टर रोल लिखता है और, उस करेक्टर रोल में इंट्री की वजह से ही बी0 डी0 ओ0 अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार करता है । मान्यवर, प्रधान को यह अधिकार मिल जाने से इस व्यवस्था में अवश्य सुधार होगा । प्रधान कभी भी ऐसे अध्यापक का करेक्टर रोल अच्छा नहीं लिखेगा जिसकी वजह से उस गांव के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा हो । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने जो विधवा, वृद्ध तथा विकलांग पेंशन की व्यवस्था की है, उसके लिये वे बधाई की पात्र हैं । मान्यवर, ऐसे लोगों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारी सरकार इनकी तरफ ध्यान दे रही है । गांव गांव से खोज कर ऐसे लोगों की रोजी-रोटी की समस्या हल कर रही है ।

मान्यवर, अन्त में मैं जनपद बस्ती के शोहरतगढ़ क्षेत्र की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । शोहरतगढ़ में कोई भी उद्योग नहीं है । कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं है, जिससे वहां की जनता लाभान्वित हो सके। मान्यवर, जैसे आगरा में चर्म उद्योग है, मिर्जापुर में पीतल उद्योग है, अलीगढ़ में ताला उद्योग है वैसे ही बस्ती जनपद के शोहरतगढ़ क्षेत्र में चर्म उद्योग की व्यवस्था की जाय । वहां से बहुत सा चमड़ा कानपुर ले जाना पड़ता है । धान की उपज भी वहां अच्छी है, धान पर आधारित उद्योग की भी व्यवस्था वहां की जा सकती है । ताकि वहां पर भी कुछ लोग काम पा सकें और क्षेत्र में विकास का कार्य और तेजी से हो सके। इसी के साथ ही मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । जैसे कि माननीय सदस्या ने बताया कि बजट जो है वह सीमित है और कई क्षेत्रों में बड़ा पक्षपात किया है । शिक्षा के ऊपर उधर के बैठे लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में घोर अनियमिततायें है, अव्यवस्था है । इस प्रदेश का 80 प्रतिशत जनता खेती के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन-यापन करती है, परन्तु उस खेती के मद में, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सबसे कम पैसा एलाट किया गया है, सिर्फ 10 प्रतिशत । औसतन एक किसान पर एक वर्ष में सिर्फ 11 रुपये व्यय आता है । इससे ज्यादा चिन्ताजनक और दुःखद बात और क्या हो सकती है । किसान हम सब के लिए अन्न का उत्पादन करता है । सारे देश के लिए भोजन की समस्या का समाधान करता है । वहीं पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है बावजूद इसके कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि किसानों के उत्पादन सहायता के लिए किसी भी योजना का न होना इस बात का द्योतक है कि यह सरकार किसानों की समस्या को देखने में विफल हो गई है ।

यही हालत परिवहन विभाग, ग्रामीण व सहकारिता के ऊपर भी है । इस पर मात्र 10·9 प्रतिशत खर्च किया गया है । सहकारिता जो एक महत्वपूर्ण विभाग है, जहां से किसान को खाद व बीज के लिए लोन मिलता है । परिवहन, जहां पर जाकर प्रत्येक आदमी इनकी बसों पर बैठता है, मात्र 10 प्रतिशत खर्च किया गया है जो बहुत ही निराशाजनक बात है । 1985-86 का जो यह बजट है जिसमें योजनाओं पर केवल 1750 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्राविधान किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है यह 1984-85 की तुलना में सिर्फ 9·3 प्रतिशत बढ़ा है ।

अनुत्पादक व्ययों में वृद्धि हुई है । इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा । किसानों के लिए और उनके अनाज के लिए उचित मूल्य देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जब जनता पार्टी का शासन आया था तो उसने सारे प्रदेश के किसानों के लिए एक उर्वरक नीति बनाई थी और यह निर्णय लिया था कि उनकी पैदावार बढ़ाने के लिये 25 से 33 प्रतिशत तक उन्हें सामान्य सबसिडी दी जायेगी लेकिन उनकी व्यवस्था को अग्रग्रामी योजनाओं तक इस सरकार ने सीमित कर दिया । भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नौकरशाही का बोलबाला है । खाद के नाम पर, दवाइयों के नाम पर बड़े-बड़े अधिकारी कमीशन तय कर लेते हैं और जो दवा की आपूर्ति की जाती है, उसे ब्लैक कर दिया जाता है ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामान्य योजनायें बनाई जानी चाहिए और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए । इस बजट में पूरे प्रदेश के विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं है । इस बजट में 12 प्रतिशत भाग बजट का पहाड़ी इलाकों के लिए खर्च किया गया है । सामान्य योजना से भी खर्च किया जा रहा है और विशेष योजनायें भी कार्यान्वित हो रही हैं लेकिन देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, जहां हर जिले में 30 लाख से ज्यादा आबादी है, आबादी के औसत अनुपात में बजट न देना ज्यादती है उन लोगों के साथ । पढ़े-लिखे नौजवान, बेरोजगारों के साथ यह ज्यादती है । अभी माननीय सदस्या, बस्ती ने भी बहुत हिमायत की लेकिन अल्मोड़ा, नैनीताल, सुल्तानपुर और अमेठी में तमाम उद्योग हैं । मैं कहना चाहता हूं कि माउन्ट एवरेस्ट से उतर कर धरती पर सीधे रायबरेली और अमेठी में सीमित हो गये हैं ।

शिक्षा के सम्बन्ध में मान्यवर, जो इन्टरमीडिएट कालेजेज हैं, वहां सहायता देने की बात है । अभी माननीय सदस्य बाराबंकी ने कहा कि बालिका विद्यालय में एक साइंस की प्रयोगशाला खोलने की बात है, लेकिन वहां के लिए कोई धन एलाट नहीं हो सकता । पहाड़ी क्षेत्रों में और जायस के विद्यालयों में लाखों-लाख रुपया एलाट किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीयता की भावना से यह बजट ओत-प्रोत है । यह आम जनता, आम किसान के लिए नहीं है ।

विद्युत् उत्पादन की भी वही स्थिति है । जहां राष्ट्रीय स्तर उत्पादन की 50·8 से भी अधिक है वहां यह 31·6 प्रतिशत ही उत्पादन की क्षमता का काम कर रहे हैं । एक लाख बारह हजार 561 गांवों में मात्र 63 हजार गांवों में विद्युतीकरण की योजना तक यह पहुंच पाये हैं और वहां भी विद्युतीकरण का तात्पर्य इनका है कि अगर 200 मीटर के अन्दर कोई खम्भा इनका चला गया तो कहा जाता है कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया ।

यही हालत पम्पों के विद्युतीकरण किये जाने का है । जितना लक्ष्य था उसका मात्र 25 प्रतिशत यह कर पाये हैं । आज भी एक लाख से ज्यादा नलकूप विद्युत् के अभाव में बन्द पड़े हैं ।

बकाये की बात है । बड़े लोगों के साथ बड़ी नम्रता बरती जाती है । पिछली बार सदन में यह मामला उपस्थित हुआ था । एक एक्साइज के मामले में एक व्यक्ति पर 18 करोड़ का बकाया था । ऐसे ही विद्युत् के सम्बन्ध में 10-10 करोड़ से ज्यादा बकाये के कितने मामले हैं ? कितने पूंजीपति हैं ? लेकिन उन सब को समय-समय पर तमाम छूट दी जाती है । वहीं किसानों का राजस्व वसूलने में किसी तरह की छूट नहीं होती और वसूली के बाद भी उन्हें खेती में कोई मदद नहीं दी जाती ।

चिकित्सालय के सम्बन्ध में भी वही हालत है । दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं । जो यह साहित्य मिला है, खंड एक है, इसमें सेवा सरकार के लिए एक

लाख 72 हजार का व्यय दिया गया है। इसी तरह की फिजूलखर्ची, अनुत्पादक मदों में खर्चा, हवाई पट्टी के निर्माण में खर्चा, सिविल जजों और मुंसिफ, जो तीन साल से ज्यादा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

बस मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। 500 स्टील की आलमारियों का खरीद-फरोख्त, 25 लाख के टाइप राइटर, आशुलिपिकों की व्यवस्था, इसी तरह से बहुत सी फिजूलखर्ची की है। रोगी शय्याओं में वृद्धि। और मान्यवर, दवा --14 लाख में मात्र 21 हजार रुपये दवा पर खर्च करेंगे बाकी सब वेतन, महंगाई भत्ते, मोटर गाड़ियों पर खर्च करने वाले हैं। इस प्रकार यह पूरा बजट किसान विरोधी, आम जनता का विरोधी है--मान्यवर, उत्तर प्रदेश का बजट कुछ भारी है, किसान, मजदूरों के लिए नहीं, लूटने की तैयारी है। इसके निर्माता को जरा झांक कर देखो यारों, पद की महत्ता और गरिमा के नाम पर नौकरशाही की सवारी है।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने इस बजट को पढ़ा और कई माननीय सदस्यों के भाषणों को भी मैंने सुना। लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह बजट अच्छा है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। यह घाटे का बजट जरूर है। लेकिन कोई टैक्स जनता पर नहीं डाला गया है, कोई बोझ जनता पर नहीं डाला गया है। जिसकी वजह से मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं।

विरोध पक्ष की तरफ से अभी तक जितने भी भाषण हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बजट में कोई न कोई कमी रही है, यह हो सकता है लेकिन कोई न कोई तो अच्छी बात रही ही होगी। लेकिन विरोधी नेताओं ने ऐसा नहीं कहा कि इसमें कोई बात अच्छी भी है। यह एक दुःख की बात है। जहां हम देश और प्रदेश का फैसला करने बैठे हैं, हम नहीं कहते कि बजट भला ही है, लेकिन अगर पूरा का पूरा बजट बुरा ही बुरा बने तो भी कोई न कोई अच्छी बात तो हो ही सकती है। दो दिन बाद वोटिंग होगी। मैंने 80, 82, 84 का बजट देखा। हर बजट में लगभग यह चार्जेज लगाते रहे हैं। इसके बाद बजट पर वोटिंग होने वाली है। एक और वोटिंग हुई थी। उसमें 84 लड़े और 82 कांग्रेस को मिली..

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि जब भी बजट आया है...

(व्यवधान)

एक सदस्य--

बरेली से आये हैं।

एक अन्य सदस्य--

आगरा से आये हैं।

(हंसी व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

बोलने दें इन्हें।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

पिछड़े वर्ग की बात आयी। शिड्यूल कास्ट की बात आयी। हम शिड्यूल कास्ट की बात करना चाहते हैं। उनकी हिफाजत करना, उनके हकों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। विरोध पक्ष की भी उतनी है जितनी हमारी है।

हमारे यहां पिछले जुलाई के पहले हफ्ते में रात के 10 बजे मनोहर सिंह आये। उन्होंने बताया कि बुधौली में शिड्यूलकास्ट के लोगों को मारा गया। उनसे कहा गया कि कम पैसों में मजदूरी करें। मैंने कहा कि आप अपने अध्यक्ष को ले जाइये, वे अपने अध्यक्ष को ले गये। यहां पर इतना ज्यादा आतंक था कि कोई कहने के लिए तैयार नहीं था कि वारदात हुई है। दो दिन के बाद शिड्यूलकास्ट के दो आदमी फिर पकड़े गये। उनको इतना मारा-पीटा गया कि एक आदमी ऐसी हालत में आ गया कि उसका बचना मुश्किल हो गया, अस्पताल में मर गया, बाद में उसकी लाश को गायब कर दिया गया, कहते हैं कि उसको जल दिया गया। कोई भी आदमी एफ0 आई0 आर0 कराने की हिम्मत नहीं कर सका। ऐसे में पता चला कि लोकदल के अध्यक्ष का इसमें हाथ है तो और भी आतंक हो गया। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। आज भी टेरर है। कोई भी आदमी कहने के लिए तैयार नहीं है। जब जिला युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य लोग पहुंचे तो पता चला कि जब वह व्यक्ति जख्मी हो गया तो जिला अस्पताल ले गये। जब जिला अस्पताल वालों ने मना कर दिया तो सीधे गंगा घाट ले गये और जला दिया गया।

मेरी दरख्वास्त है कि इस सम्बन्ध में जांच तो हो ही रही है, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाय, किन्तु उसकी जो बेवा है, जिसके पास 6 महीने का एक बच्चा है, उसको जैसा कि डकैती में लोग मारे गये हैं, उनको जो सुविधायें दी गयी हैं, वैसी ही सुविधायें दी जानी चाहिये। बरेली में यह चर्चा का विषय है कि लोकदल के अध्यक्ष और उनके भाई मुलिजम हैं और उन्होंने लाश को भी गायब कर दिया है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, कुछ गिरफ्तार हो गये हैं, कुछ भाग हुए हैं।

अपने क्षेत्र की एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में दो सड़कें हैं जो पी0 डब्लू0 डी0 के अन्तर्गत आती हैं। इन सड़कों पर बीस-बीस और बाइस-बाइस लाख रु0 का खर्चा है, वे टाउन प्लान से तो बन नहीं सकती। आपसे मांग करता हूं कि उनके लिए जो भी व्यवस्था सम्भव हो, करें और उनको बनवाने का कष्ट करें। पुलिस का जो मैस वहां पर चलता है उसमें ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती है, 1.20 रु0 और 1.30 रु0 प्रति डाइट का खाना खाते हैं। उनको अनुदान दिया जाय ताकि उनका मेस ठीक से चल सके। उनको मेस की जरूरत है।

[समय 3 बजकर 15 मिनट]

श्री गोपाल दास यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि यह पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय बजट और रेलवे बजट जनता के ऊपर थोपा गया था। उस भार को जनता सह भी नहीं पायी थी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार न आंकड़ों के माध्यम से जनता को भ्रम में डालने का प्रयास किया है। मेरा यह कहना है कि यह बजट केवल संख्यात्मक रूप से है, कोई गुणात्मक बजट नहीं पेश किया गया है। जिसमें आज आंकड़ों की सहायता से छलावा देकर फुसलाने का प्रयास किया गया है। कहने को तो यह बजट कर-मुक्त कहा गया है और विकास के नाम पर जैसा कि कहा गया है कि कृषि उत्पादक के वितरण के लिए मंडियां और उप मंडियां खोली जायेंगी, गोदाम बनाये जायेंगे और इसके साथ ही साथ गांव के अन्दर आवासीय व्यवस्था की सुविधा दी जायेगी। यह सरकार गांव की बात तो बहुत करती है और खास करके उत्तर प्रदेश में जो 80 प्रतिशत लोग जो किसान हैं यह उनको गुमराह करने की

कोशिश कर रही है, इसके अतिरिक्त इस बजट में कोई खास बात देखने को नहीं मिली ।

मान्यवर, मैं कहूंगा कि जो यह घाटे की बात कही गयी है कि 32 करोड़ रु0 का जो घाटा है उसकी वे पूर्ति करेंगे । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिक्री-कर से और अन्य करों से इसका समन्वीकरण करूंगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि एक बार आप कर मुक्त बजट की बात करते हैं और दूसरी तरफ करों के समन्वीकरण की बात करते हैं ।

इसी प्रकार से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कहा गया है कि उन्हें दो पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देंगे । मान्यवर, इसमें भी गुमराह किया गया है । आप देख लें कि जो यह दो पैसे की दर औद्योगिक केन्द्रों के लिए कही गयी है, यह भी औद्योगिक केन्द्रों से नहीं जायेगा बल्कि यह भी जनता की जेबों से लिया जायगा यह केवल । गुमराह करने की साजिश की गयी है । आप कहते हैं कि हम घाटा को अल्प बचत के माध्यम से पूरा करेंगे । यह 146 करोड़ रुपया का घाटा इससे कैसे पूरा हो सकता है ? हमारे देश के राष्ट्रीय नेता जो कि प्रधान मंत्री भी हैं श्री राजीव गांधी, वह भी नहीं जानते होंगे कि यह राष्ट्रीय अल्प बजट योजना कैसे बजट के घाटे को पूरा कर सकती है ।

मान्यवर, यह अल्प बचत की योजना इसलिए चलायी गयी थी कि हमारे बच्चों में संचय करने की भावना आयेगी, अच्छी आदत बनेगी । आप देखें कि आज अल्प बचत योजना का न कोई कार्यालय है, न भवन है, न कोई बैठने की जगह है । आज जो इसकी वसूली हो रही है वह पोस्ट आफिस में बैठकर होती है । मेरे यहां इनायतपुर में इसका कार्यालय है जिसमें बार-बार अल्प बचत के नाम पर करोड़ों रुपए फूंके जाते हैं । हमने सोचा था कि बच्चे इसके द्वारा संचय की आदत डालेंगे लेकिन मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने साबित कर दिया है कि तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है और कहते हैं कि अल्प बचत के माध्यम से 164 करोड़ रु0 का घाटा पूरा कर लेंगे, यह भी जनता को गुमराह करने के लिये षड़यन्त्र है और काले धन को अल्प बचत के माध्यम से जमा कराया जायगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा ।

यहां पर सिंचाई के विकास की बात कही गयी । इलाहाबाद में रसूलगंगा नहर में आज भी पानी नहीं आता है । वहां हर साल सफाई का काम होता है जिसमें करोड़ों रुपया सफाई के नाम पर खर्च किया जाता है । माननीय मुख्य मन्त्री जी को कोई खबर नहीं है कि कहां पानी आ रहा है और कहां नहीं आ रहा है परन्तु वे विकास की बात जरूर करते हैं ।

इलाहाबाद के अन्दर माननीय अमिताभ बच्चन गये थे और उन्होंने दावा किया हम यहां के लिये 18 करोड़ रु0 लाये हैं । लेकिन इलाहाबाद के नगर पश्चिम क्षेत्र के अन्दर अभी तक पानी नहीं आया है, वह वैसे ही पिछड़ा हुआ है वहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, हरिजन रहते हैं । आजादी के बाद जैसे यहां पर उर्दू भाषा को नगण्य कर दिया गया है उसी प्रकार उस क्षेत्र को भी दोआबा के लिये कोई काम नहीं हुआ है जब कि गंगा और जमुना पार क्षेत्र के लिये बहुत से काम हुए हैं ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट के माध्यम से जो बातें की गयी उनमें शिक्षा के क्षेत्र को ठुकरा दिया गया है । जो नवजवान हैं उनके लिये रोजगार की बात इस बजट में नहीं की गयी है, यह बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट है । मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में यह कहा गया है कि जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा, परन्तु जहां 6 महीने हुये, जनता पर टैक्स लगने शुरू हो जायेंगे और नये

नये कर जनता पर थोपे जायेंगे । इस प्रकार से इस बजट में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गयी है । मान्यवर, इसमें बचत की बात की जा रही है । डाक्टरों के 3000 ट्रान्सफर कर दिये गये हैं । उनके ट्रान्सफर को रोकने और करने के लिये हजारों रुपया लिया जाता है ।

इस समय अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं रह गया है । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इस विभाग में एक आई0 ए0 एस0 को थोप दिया है । एम0बी0-बी0 एस0 डाक्टर का जो अधिकार है, उससे छीन लिया गया है और एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी ट्रान्सफर का काम कर रहा है । इस व्यवस्था से डाक्टर परेशान हैं । उनकी पोस्टिंग में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का निजी स्वार्थ है । यह मेरा आरोप है । अगर सरकार चाहती है कि हमारा प्रदेश उन्नति करे तो उसे फिजूल खर्ची को रोकना होगा । इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, 3 दिन से जो बजट पर चर्चा हो रही थी उसको तथा इस बजट को गौर से देख रहा था और सभी की बातें भी सुन रहा था । मान्यवर, पहले मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है । जो विचार यहां पर आये हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि बजट कैसा भी आये, उसकी आलोचना ही करनी है । माननीय विरोधी दल के एक सदस्य ने अपने बयान में कह दिया कि यह एक दिशाहीन बजट है । बजट 5 बजे प्रस्तुत हुआ और 12 बजे दोपहर को, एक सदस्य जो मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं, कह दिया कि यह दिशाहीन बजट है जब कि बजट में स्पष्ट दिशा का निर्देश है ।

आप देखें तो इस में मिलेगा कि स्पष्ट दिशा की ओर संकेत किया गया है और हमारे विरोधी दल के साथी कहते हैं कि इसमें कोई दिशा ही नहीं है । कुछ लोगों ने कहा कि यह बजट घाटे का है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह घाटे का बजट नहीं है । इस वर्ष जितनी आय और खर्च है, उस पर बचत का बजट है । पिछले वर्ष का जो डेफिसिट है उससे कुछ घाटा है । तो यह प्रदेश का जो बजट है, वह मितव्ययिता की ओर इशारा करता है । यह कर रहित बजट बनाया गया है । जो राजकोष धन है, जनता का धन है जो करों और दूसरे माध्यमों से एकत्र होता है, उसका सदुपयोग हो । इसके लिये यह किया गया है कि हम अपने कार्य की गति को थोड़ा कम करके मितव्ययिता लावें और कहीं पर कोई गलत खर्च न हो और अगर कोई फिजूल खर्च हो रहा है तो उसको रोका जाये तो यह दिशा इस बजट में है ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि बजट बैलेन्स शीट नहीं होती है कि जमा और नफा देखा जाये । सरकार की क्या दिशा है और उसकी क्या उपलब्धियां हैं इसको देखा जायें । मैं उनसे सहमत हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी कार्य हैं, सुझाव हैं और कार्य कलाप हैं उनको भी एक बैलेन्स शीट की तरह देखा जाये और इनका हम विधान सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि जनता इसका आंकलन करती है ।

इसका आंकलन वे करते हैं और तब निर्णय किया जाता है कि कौन लोग बजट बनायेंगे और कौन खर्च करेंगे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इस बजट में आयोजनागत और आयोजनेत्तर व्यय के बारे में आंकड़े दिये गये हैं। उनके अनुसार लगभग 2/3 खर्च आयोजनेत्तर है और 1/3 आयोजनागत है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान बजट के सम्बन्ध में जो लिटरेचर मिला है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि बजट में पिछले वर्ष के चालू खर्चे भी सम्मिलित होते हैं। इस बजट साहित्य में जो इसका खण्ड 3 है उ में व्यय की नई मदें दी गई हैं जो कि 1985-86 में सम्मिलित की गई हैं। व्यय की जो नई मदें हैं उनमें हमें यह देखना है कि जितने पहले के कार्य हैं उनको समाप्त करने के लिये जो धन बचता है, उसका उपयोग कैसे हो। इन आंकड़ों को देखने से हमें मालूम होगा कि हमारा जो आयोजनागत व्यय है वह 2,82,36,84,000 है और पूंजी लेखे का जो व्यय है वह 1,47,85,66,000 रुपये हैं जिसका कुल योग 4,30,22,50,000 रु0 है। इसके अतिरिक्त जो आयोजनेत्तर व्यय की नई मदें हैं उसमें 4,33,03,000 और 55,41,000 रुपये हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि जो नई मदें हैं उनमें आयोजनागत में 430 करोड़ रुपये और जो आयोजनेत्तर की नई मदें हैं उनमें 4 करोड़ 88 लाख रुपया रखा गया है जो 1 प्रतिशत से भी कम है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार इससे कम नही रख सकती है।

इसके अतिरिक्त बैलेंस शीट का भी यहां पर जिक्र हुआ है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा। यह तो हो सकता है कि आप बजट की आलोचना करें लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि आप खुले दिल से नहीं कह सकते हैं, दबी जबान से कह सकते हैं और इसकी आलोचना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि गन्ना किसानों को जो आज तक 16/17 प्रतिशत ब्याज की दर थी उसे घटाकर साढ़े 11 और साढ़े 12 प्रतिशत कर दिया। 6 प्रतिशत ब्याज की दर में कमी हुई है। पिछले पांच वर्षों में 1979-80 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा, यह हम मानते हैं-1984-85 से प्रति एकड़ उत्पादकता में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रति वर्ष वृद्धि हुई है चाहे सूखे का समय हो या बाढ़ का समय हो। धान की उत्पादकता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक सदस्य ने कहा कि यह आंकड़े तो बनाये गये हैं। लेकिन खाद के वितरण की बात तो नहीं छिपायी जा सकती। खाद तो पैसे से खरीदी जाती है। इसके वितरण में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में हमने कितनी प्रगति की है। माननीय सदस्य यह कहना चाहेंगे कि यह तो किसानों ने स्वयं किया है। किसानों को तो करना ही है, सरकार तो उनके खेतों में हल नहीं चलायेगी।

सरकार का फर्ज यह था कि किसानों को समय-समय पर सिंचाई, बीज, खाद पहुंचाने की कोशिश करें और अगर वह कामयाबी न होती तो ये आंकड़े आपके सामने नही आ सकते थे। किसान तो 1979-80 में भी मेहनत कर रहा था। उस समय उसकी उत्पादकता क्यों गिरी? इसलिये गिरी कि उस समय जो सरकार थी वह किसानों की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं थी क्योंकि उसको किसानों की नहीं, कुर्सी की चिन्ता ज्यादा थी। श्रीमन, अगर आप देखें तो इस बजट के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने की बात की गयी है। जिला स्तर पर योजनाओं को चलाया जा रहा है और उसके लिए डी0 आर0 डी0 ए0 की स्थापना हुई। लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए ही इस व0 20 करोड़ रुपया क्षेत्र समितियों को दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अभी तक क्षेत्र समितियों के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं थे जिस संस्था को वित्तीय अधिकार न हों, भले ही वह अपने यहां प्रस्ताव पास कर लें, काम नहीं करा सकती हैं।

तो आप सरकार की नियत समझ सकते हैं कि विकास कार्य करने और लोकतन्त्र के ढांचे को मजबूत करने की इस सरकार की तीव्र इच्छा है ।

आज तक जो आइ0 आर0 डी0 या दूसरी ग्रामीण उत्थान की योजनाओं को चलाने के लिए शिकायतें आती थीं उसके लिए भी रजिस्टर रखा जा रहा है जिसमें उन परिवारों के नाम होंगे जिनको सहायता दी गई है । इससे यह मालूम हो जायेगा कि जो परिवार चयन किये गये हैं वह उस योग्य थे या नहीं । उस रजिस्टर में उनका नाम अंकित होगा । अगर किसी काम को करने में कोई कमी रह जाती है उसको ठीक करने का कुछ दायित्व हम पर भी आता है । हमें उन कमियों को शासन के समक्ष लाना चाहिये ।

श्रीमन्, कुछ नहीं तो कम से कम हमारे विपक्षी साथी इस बात के लिए मुख्य मन्त्री जी को बधाई दे सकते थे कि जो हजारों लाखों रिक्शा चालक कुछ लोगों के शोषण के शिकार होते थे उससे उनको छुटकारा दिलाया जा रहा है । कोई भी आदमी हजार 15सौ रुपया लगाकर शाम को उनसे रुपया वसूल करता था । उन रिक्शा चालकों को स्वामित्व देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

अब मैं आपका ध्यान उद्योगों की तरफ ले जाना चाहता हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने आंकड़े पहले ही दे दिये हैं । आज जो यहां पूंजी निवेश हो रहा है उसको इस बजट में नहीं दिखाया जा सका है क्योंकि वह कारखाने निजी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के माध्यम से लगाये जा रहे हैं । तो उससे प्रदेश में 5 हजार करोड़ पूंजी निवेश आने वाले समय में हमारे यहां होने जा रहा है । बजट में वह न होते हुये भी उससे हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । वह अवश्य ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा ।

इसमें कोई शक नहीं सब कुछ करने के बाद भी हमारी कुछ समस्यायें हैं । इसमें हमें गर्व है कि कमियां हमारे लिए समस्या नहीं हैं बल्कि अधिक पैदावार हमारी समस्यायें हैं जिस अधिक पैदावार को हम सम्भाल नहीं पा रहे हैं चाहे वह गेहूं की पैदावार हो या आलू की पैदावार हो परन्तु फिर भी हम उनसे जूझ रहे हैं । (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, यह लाल बत्ती बुझा दें, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । दो सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उल्लेख किया है कि हम अल्पबचत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा संसाधन एकत्र करेंगे और केन्द्रीय सरकार से जो 60 परसेंट हिस्सा मिलता है उसको 75 परसेंट करवाने की कोशिश करेंगे । मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि यह अल्प बचत का धन जो शासन को जिलों से प्राप्त होता है उसमें उन जिलों को उसी अनुपात में पैसा दीजिये जिस अनुपात में पैसा जमा हुआ है ताकि उन्हें यह बात महसूस हो कि हमने कितना पैसा एकत्रित किया है ।

दूसरा सुझाव मेरा परिवार नियोजन के बारे में है जिसमें कुछ घोषणायें की गयी हैं । इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है । अगर कोई परिवार बड़ा हो जाय और उसके संसाधन सीमित हैं तो वह तरक्की नहीं कर सकता है । उसी तरह हम अपने प्रदेश को एक परिवार मान लें ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

हमें अपने संसाधन बढ़ाने हैं तभी हम तरक्की कर सकेंगे । आज सबसे अधिक हमें आवश्यकता है तो वह है बिजली और दूसरा सिंचाई की, यह दोनों हमारी तरक्की से जुड़ी हुई हैं । जहां तक सिंचाई की बात है, वह पूर्णतया कृषि से सम्बन्धित है लेकिन विद्युत कृषि

और उद्योग दोनों से जुड़ी हुई है। अगर इनकी परफारमेंस हम सही नहीं कर पायेंगे तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर सकते हैं और जो विकास के लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं वह प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्री प्रकाश--

माननीय अधिष्ठात महोदय, आपने बजट भाषण पर बोलने का समय जो दिया है उसके लिये मैं आपका अभारी हूं। जिस ढंग से सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है उससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि अगर घाटे के बजट के बिना सरकार हमारे राहत के लिये कुछ नहीं कर पायी तो घाटे का बजट पेश किया है जिससे आने वाले दिनों में सरकार प्रदेश की जनता के लिए क्या कर पायेगी, यह साबित करती है।

श्रीमन्, हमारे जिले में जो भी सरकारी योजनायें चल रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार हर कार्य करने में अक्षम है। हमारे क्षेत्र में विकास के कार्यों को देखा जाये, जैसे सड़क निर्माण का जो कार्य हो रहा है उसमें सरकारी धन का जिस तरीके से दुरुपयोग सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं उसको मिसाल नहीं मिलेगी क्योंकि जनता सरकार ने जो सड़कें हमारे क्षेत्रों में बनायी थीं उन्हीं पर आई0 आर0 डी0 स्कीम में निर्माण का कार्य हो रहा है और पैसे का दुरूपयोग किया जा रहा है। बारबार मेरे ध्यान आकर्षित करने के बावजूद किसी भी अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और जो भी सड़क एक बार हमारे क्षेत्र में बनायी गयी उस पर दो साल में जो टूट-फूट हुई उस पर मरम्मत कराने की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। आने वाले दिनों में, जो पैसा उस पर खर्च हुआ था, दो-चार साल बाद फिर उतना ही खर्च करना पड़ेगा।

इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इस तरह के निर्माण कार्य जो विकास के नाम पर प्रदेश में हो रहे हैं उन पर टूट-फूट होने पर मरम्मत के लिए थोड़ा सा धन बजट में देना चाहिये था लेकिन हमारे यहां इस तरह का कोई भी प्रविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मेरे आजमगढ़ जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम में उनके सामने इस तरह की बातें आयीं कि जो सड़कें आई0 आर0 डी0 में बन रही हैं वही सार्वजनिक निर्माण विभाग और वही आर0 ई0 ए0 विभाग में बनायी जा रही हैं। इस तरह के घपले के काम विकास के नाम पर हो रहे हैं जिनको रोकने में सरकार सक्षम नहीं है।

मान्यवर, अब मैं अपने जिले आजमगढ़ की तमाम समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में बड़ी दुर्व्यवस्था व्याप्त है और सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को नियन्त्रित करने में अक्षम है। आये दिन देखा जा रहा है कि धन बटोरने का काम जिला और गांव स्तर पर थाने के लोग गरीब लोगों को फंसा-फंसा कर रहे हैं जिस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है।

मान्यवर, अभी हमारे जिले में एक घटना हमारे क्षेत्र में थाने पर हुई जिसकी सूचना वहां के पुलिस अधिकारी को दिया लेकिन पुलिस अधिकारी (दरोगा) वहां के अल्पसंख्यक लोगों को पकड़कर थाने ले गये और पैसा लेने का सौदा करना शुरू किया किन्तु मेरे हस्तक्षेप करने से सौदा नहीं हुआ तो उन लोगों को दरोगा ने धारा 151 में चालान कर दिया। कोई भी सुनवायी हमारी सरकार किसी मसले पर ठीक से नहीं कर पा रही है। मैं आपका ध्यान किसानों की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में किसानों को जो

दुर्दशा हो रही है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गरीब किसान जितनी लागत लगाकर खेती करता है, उतना भी उसको अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है, अधिक की बात कौन कहे। बिजली विभाग की हालत बहुत खराब है, जाड़ों की रात में रात-रात भर जगकर वह गेहूं और धान की फसलों की सिंचाई करता है, लेकिन उसकी लागत का दाम भी यह सरकार दिलाने में अक्षम है। जितनी लागत लगती है उसका 75 प्रतिशत ही यह सरकार उन्हें दिला पा रही है। उस गेहूं का मूल्य जो 157 रु0 प्रति कुन्तल की दर से मिलना चाहिये, उसको बिचौलिए और सरकार के लोग खाये जा रहे हैं। उनपर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। किसानों के साथ हर स्तर के अधिकारी जो व्यवहार करते हैं वह भी बहुत निन्दनीय है। उसकी आज हर जगह पर दुर्दशा हो रही है। मैं चाहूंगा कि किसानों की तरफ इस सरकार का ध्यान आवश्यक रूप से आकर्षित हो और विद्युत् आपूर्ति में जो भी सुधार आप कर सकते हैं, उसे करने का कष्ट करें।

श्री आर0 एन0 पाठक--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1985-86 का 11 हजार करोड़ का सातवीं प्लान में बजट रखा गया है, मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि धन के अभाव के होते हुए भी एक बहुत अच्छी रकम इसमें लगाने का मुख्य मन्त्री जी ने निश्चय किया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। एग्रीकल्चर, सिंचाई, लैण्ड रिक्लेमेशन और हिल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने प्रयत्न किया है या धन का एलोकेशन किया है, उससे आशा है कि पहले से ज्यादा प्रगति इस प्रदेश की हो सकेगी। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हिल डेवलपमेंट में जो इन्होंने ज्यादा रुचि ली है, उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। यह हमारे वह स्थान हैं, जहां पर हमारी सरहदें विदेशों से मिलती हैं।

हमारे देश की पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उनमें हमें आशंका हो रही है कि जो पावर जनरेशन की आज इंस्टाल कैपिसिटी 4084 मेगावाट है, उसके आधे से भी कम बिजली पैदा हो रही है, फिर यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे सम्भव हो सकता है। सरकार का बयान आया कि लाखों स्माल स्केल इंडस्ट्री प्रदेश में लगाई जाएंगी, लेकिन आज बिजली के अभाव में प्रदेश में बीसों कारखाने बन्द पड़े हैं और प्रदेश में बहुत काम बिजली के अभाव में रुका हुआ है। तो जब वर्तमान उद्योगों को ही क्षमताभर बिजली नहीं मिल पा रही है तो जो लाखों कारखाने लगाने की बात सोच रहे हैं, उनको बिजली कैसे मिल पाएगी। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। यदि बिजली की क्षमता को बढ़ाने का पुरजोर प्रयास नहीं किया गया तो यह कदापि सम्भव नहीं हो पायेगा। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मान्यवर, ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा गया है कि काफी प्रयत्न हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। अगर आप कानपुर को ले लें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है। 40 लाख से ऊपर इसकी आबादी है। वहां पर ट्रांसपोर्ट की दुर्दशा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहां पर ढाई लाख मजदूर काम करते हैं, उनको 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उनके लिये ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आशा करता हूं कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर कानपुर के लिये विशेष ध्यान दिया जायगा।

मान्यवर, गंगा के पोल्यूशन के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्राविधान किया है, तो मैं माननीय

मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानपुर के साथ खुला अन्याय हो रहा है। आज से बरसों पहले कहा गया कि वहां पर गंगा बैराज बनायेंगे। कई बार कोशिश हुयी लेकिन बैराज नहीं बना। प्रधान मंत्री जी कानपुर आये तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझसे यह कहा कि 5 करोड़ रुपया दे दिया गया है और गंगा बैराज का काम शुरू हो गया है।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई शहर गंदे से गंदा है तो वह कानपुर है। गंगा का जल प्रदूषण सबसे ज्यादा अगर कहीं हिन्दुस्तान में है तो वह कानपुर के अन्दर है। तो क्यों नहीं कानपुर में गंगा बैराज बनाने में प्रायरिटी दी गयी और क्यों नहीं जल प्रदूषण को रोका गया। कानपुर की गलियां और कानपुर की सड़कें गंदी हैं, कीड़ों से बजबजा रही हैं। सीवर जाम हो गये हैं कोई मंत्री देखने नहीं गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां जायेंगे और यह देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिला है उससे कोई भी सुधार या ठीक करने का काम नहीं हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि जो गंदा पानी नालियों का गंगा में गिरता है यही पानी लेकर महापालिका पीने के लिये दे रही है।

(शेम-शेम की आवाजें।)

इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं पीलियां रोग से। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस पर क्या काम कर रही है।

मान्यवर, ला-एंड-आर्डर के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को कि घल्लू धारा सप्ताह के समय बड़ी आशंका थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की और ला-एंड-आर्डर की ऐसी व्यवस्था की कि शांति बनी रही और कोई घटना नहीं हुई। मान्यवर, लेबर वेलफेयर के बारे में कहा गया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 35 हजार करोड़ रुपये देश के मजदूरों ने ई0 एस0 आई0 और प्रावीडेंट फंड में कांट्रीब्यूशन दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रांत है, 35 हजार करोड़ रुपये में से कितना धन उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिये, उनके वेलफेयर और हेल्थ के लिये दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी भारत सरकार से मांग करें कि इसमें से जो हिस्सा उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिये होता हो वह उनको मिलना चाहिये।

मान्यवर, मेडिकल हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक कोलोरेक्टल यूनिट कानपुर में स्थापित हुई है। उसके लिये ढाई लाख रुपये की जरूरत है। यह एक विशेष कार्य शुरू हुआ है। मशीन लग गयी है लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। मैं आशा करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जायगा। मान्यवर, एक कैंसर का कानपुर में अस्पताल है। मैं स्वयं वहां पर गया था। आज भी बरसात में वहां पर गरीब लोग पेड़ के नीचे पड़े हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे पूछने पर वहां के डायरेक्टर ने बताया कि दो मशीनों में से एक मशीन खराब है। जबकि वहां पर 6 मशीनों की आवश्यकता है तब जाकर सही इलाज हो सकता है। मैं आशा करूंगा कि कम से कम 4 मशीनों की वहां पर व्यवस्था की जायगी। कोई हेल्थ मिनिस्टर जाकर देखे कि वहां के कैंसर हास्पिटल की क्या हालत है। वहां पर मशीनें न होने से मरीज मर रहे हैं, सड़ रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर कम से कम 4 मशीनें लगायी जायं ताकि मरीजों का इलाज हो सके।

मान्यवर, एरियर सब टैक्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि एरियर

सब टैक्स 559.43 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा भी काफी धन टैक्स को बाकी है। यह धन वसूलने के लिये क्या किया जायगा इसका जिक्र नहीं है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा और मुझे तो यह दुःख है कि हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने इसके बारे में कोई सुझाव भी नहीं दिया, मुख्य मंत्री जी को क्या यह टैक्स जो सैकड़ों करोड़ रुपये में पड़ा हुआ है, इसमें वह कौन लोग हैं? इसमें वह बड़े-बड़े लोग हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि बड़े-बड़े मगरमच्छ को पकड़ो। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? मान्यवर, टैक्स रिलीफ एग्रिकल्चर में दिया है, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे नवजवान प्रधान मंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि देश के अन्दर स्वच्छ प्रशासन होगा और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जायगा।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बजट के प्रस्ताव में इस तरह के स्वच्छ प्रशासन को बनाने के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई प्राविधान होना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारे प्रधान मंत्री जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह प्राविधान कर दें, तो आप विश्वास रखें कि अपोजीशन तो खत्म हो गया है, आगे भी कोई अपोजीशन का नाम नहीं लेगा। यही बीमारी है। आप थाने में जाइये, दरोगा के रिश्वत से लोग त्रस्त हैं। जब मैंने दरोगा से बात किया, तो दरोगा ने कहा कि हमको ऊपर को देना पड़ता है, इसलिए हमको रिश्वत लेना पड़ता है। क्या स्वच्छ प्रशासन के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

कानपुर के एस0 डी0 एम0 को, जमीनों को जो नाजायज रूप से आजादनगर में कब्जा कर लिया है, उसके लिए इन्क्वायरी के लिए बैठाया गया है, वह उस करप्शन में खुद शामिल है, उसके द्वारा न्याय नहीं हो सकेगा। वहां पर वह लाखों रुपया कमाने के लिए वह कानपुर का एस0 डी0 एम0 योजना बना रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए कोई व्यवस्था करने की कृपा करें। हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि देश में स्वच्छ प्रशासन होगा और भ्रष्टाचार को मिटाया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई योजना बनावें जिससे कि स्वच्छ प्रशासन प्रदेश को मिल सके।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मैं 1984-85 के आय-व्ययक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी मुझसे पहले एक माननीय सदस्य कानपुर सामान्य बजट की चर्चा में अपना सुझाव दे रहे थे। मान्यवर, आज सामान्य बजट की जो स्थिति है, जो हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनका जो भाव है, वास्तव में सही भाव है, उनका विचार सुनकर उनका भाव सुन कर मैं उस तरफ के कुछ पहले के सदस्यों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह से स्पष्ट कहने वाले हमारे जनपद के माननीय श्याम लाल बाजपेयी थे, वह इतना स्पष्ट बोलते थे कि उन्हें दुबारा टिकट नहीं दिया गया मुझसे पहले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उससे उस तरफ के सारे लोगों को अनुकरण करना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। लेकिन उधर के लोगों में एक भय-आतंक बना हुआ है।

इसलिए उनमें स्पष्ट कहने की भी हिम्मत नहीं है। हमारे नेता विरोधी दल ने जो बजट भाषण दिया है, उसकी जनता प्रशंसा कर रही है और यह

आम चर्चा है विरोध पक्ष के सदस्य अच्छे सुझाव दे रहे हैं। सत्तापक्ष के लोग डर के मारे सरकार की बंदना कर रहे हैं। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसे किराये पर कीर्तन करने वाले लोग आते हैं, वैसे ये लोग सरकार का कीर्तन कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सामान्य बजट में जनता को देने की बात कही गयी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उससे किसानों को, गांव के लोगों को और बेरोजगारों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, जो कहते हैं कि गांव के लोगों को और बेरोजगारों को फायदा मिला है। उसके उदाहरण के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, पहली बार 1981-82 से बेरोजगारी दूर करने के लिए स्पेशल कम्पनेन्ट प्लान चल रही है, स्वतः रोजगार योजना चल रही है। आई0 आर0 डी0 योजना चल रही है। इन्होंने उसमें कहा है मुर्गी पालन करायेंगे, खड़खड़ा चलवायेंगे, ठेला चलवायेंगे, पशुपालन करवायेंगे, बैलगाड़ी चलवायेंगे।

मान्यवर, पिछले सालों की सारी सूची मौजूद है मैं इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कितने बेरोजगार लोगों को पांच साल में रोजगार दिया है? मान्यवर, किसी भी ब्लाक की जांच करा लें, 20 प्रतिशत लोगों को भी जो लाभ मिलना चाहिए, जो योजना से लाभ होना चाहिए वह नहीं हुआ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगार लोग, जिनका चयन होता है, उनको तीस प्रतिशत तक घूस देना पड़ता है। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि 30 प्रतिशत घूस, मैनेजर जो संस्तुति करते हैं उनको देना पड़ता है।

मान्यवर, आप मेरी बात से सहमत होंगे, ऐसा आजकल बैंकों में हो रहा है। जो बजट पेश हुआ है इससे केवल दो लोग खुश हैं एक तो बड़े अफसर खुश हैं कि एक साल तक अब खाने लूटने का काम होगा। दूसरी तरफ पूंजीपति खुश हैं कि हमारी प्रगति बढ़ेगी, लेकिन सामान्य जनता चाहे बेरोजगार हों, चाहे मजदूर हों, उनको इस बजट से कुछ मिलने वाला नहीं है।

मान्यवर, अभी हमारे बाराबंकी में असन्धरा बैंक में एक गरीब आदमी का चयन किया गया था, बकरी पालन के लिए। मान्यवर, तो जो गारन्टर हैं पैसा लेने पर जो गारन्टी लेते हैं, उन्होंने कहा यह जो पैसा है इसकी हमने गारन्टी ली है, पैसा हम ले जायेंगे और पैसा लेकर चले गए। अधिकारी देखते रहे और कर्मचारी देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यह मामला जब मेरे पास आया तो मैंने कोशिश की तब कहीं 10 दिन बाद बकरी पालन के लिए पैसा दिलाया गया।

सिंचाई की समस्या कही गई, कृषि की समस्या कही गई मान्यवर, किसानों ने खून-पसीना एक करके गेहूं का उत्पादन किया सुविधा तो आप लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब उनकी फसल हुई तो इस तरह से लूटा गया। एक तो यह घाटे का बजट दे रहे हैं और जो दाम निर्धारित किए हैं, वह भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो इनके सरकारी ट्यूबवेल हैं, जनपदों में और मंडल स्तर पर मीटिंग होती है सारी जानकारी मंत्रियों के पास होती है, जो इनके सरकारी ट्यूबवेल हैं, वह 50 फीसदी नहीं चल रहे हैं। यह ट्यूबवेल लगवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे कोई फायदा किसानों को नहीं पहुंचा। यही नहीं जब दुनौली पम्प नहर चला तो 20 सूत्री कमेटी में तय किए गये, उसको देखें।

मान्यवर, काश्तकारों ने बताया कि पिछले तीन महीनों से यह नहर बन्द पड़ी है। पिछले तीन महीनों से अधिकारियों को लिखा जा रहा है लेकिन

उसको ठीक नहीं कराया गया। एक भी बिसवा किसान धान की सींच नहीं कर पाया। दूसरी नहर भी खराब है, तो इस बजट से किसानों को क्या फायदा मिलेगा। चाहे बेरोजगार हों, चाहे किसान हो इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। परिवहन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे यहां 1979–80 में हैदरगढ़ से बाराबंकी के लिये सरकारी बसें चलती थी। 1980 में कांग्रेस की सरकार बन गई तो इन्होंने परिवहन की बसों को बन्द कर दिया और पुलिस की साजिश से तथा सरकार की साजिश से प्राइवेट बसें 300 रुपया प्रतिमाह लेकर चलाई जा रही हैं। 32 गाड़ियां प्राइवेट हमारे यहां चल रही हैं और उनसे 300 रुपया प्रतिमाह लेते हैं। यह गाड़ियां पुलिस की इच्छा पर चल रही हैं जब तक वह चाहते हैं तब तक चलती हैं और जब पैसा नहीं मिलता है तो चक्का जाम कर देते हैं। पुलिस की कृपा जब नहीं होती है तो यह बसें नहीं चलती हैं और हैदरगढ़ से बाराबंकी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। परिवहन विभाग के अन्दर यह लूट-खसोट है।

मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा आप परिवहन विभाग को दे रहे हैं उसका सदुपयोग कैसे हो पायेगा। मुझे यह भी बताया गया है कि इस पैसे में यहां के लोगों की भी हिस्सेदारी है। इसको आप कबूल करें, न करें। इसी प्रकार शिक्षा का मामला है। जो स्कूल आज से 10–15 साल पहले खुले थे चाहे जूनियर हाई स्कूल हों या प्राइमरी स्कूल हों, 25–25 साल इन स्कूलों को खुले हो गया लेकिन इनके बच्चे पेड़ों की नीचे बैठकर पढ़ते हैं। उन स्कूलों को बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। यह कहा गया कि हरिजनों को इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। हरिजन इस बजट को आशा की स्थिति से देख रहा था।

हरिजनों के जो मकान बनाये जाते उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे धरगुइयां गांव में एक कालोनी बनी थी उसमें उद्घाटन का एक पत्थर लगा है, उसी को छोड़कर सारी कालोनी ध्वस्त हो गई। इस प्रकार से यह हरिजनों का मकान बना रहे हैं। हमारे यहां त्रिवेदीगंज में एक स्कूल है उसमें कई हजार घपला पकड़ा गया अखबारों में आपने पढ़ा होगा। यह पैसा हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का है जिसको अधिकारी खा गये। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट से बेरोजगारों को कुछ मिलने वाला नहीं है, किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है, गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है और न ही इससे प्रदेश का कल्याण होने वाला है।

आप प्रदेश को चौपट कर रहे हैं। अभी माननीय सदस्य कानपुर बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये। सत्ता पक्ष के लोग डर के मारे भले कह दें कि यह बजट बहुत अच्छा है लेकिन इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा सामान्य बजट की घोर निन्दा करता हूं।

चौधरी भगवती प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का और इस बजट का समर्थन करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त जी ने जो बजट सदन के समक्ष रखा है निश्चित रूप से बजट को बनाते समय अपने प्रशासनिक, लोकतांत्रिक और वित्तीय विवेक का परिचय दिया है। न केवल सदन में माननीय मुख्य मन्त्री को बजट 8 बार पेश करने का मौका मिला है बल्कि उत्तर प्रदेश के आवाम का आशीर्वाद और विश्वास भी मिला है। उन्होंने वास्तव में करमुक्त और विकासशील बजट तथा प्रशंसनीय बजट रखा है। निश्चित रूप से इस बजट की प्रशंसा करनी चाहिए।

यह बजट आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश का जो 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आर्थिक विकास में बलकारक औषधि का काम यह बजट करेगा। जब हम इस बजट पर किसान की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से यह पाते हैं कि किसानों की दशा को सुधारने के लिये उनकी जरूरत की चीजों को मुहैया कराने के लिये, बिजली, पानी और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला यह बजट है। किसानों की खेती के लिए नये तकनीकी उपकरण उपलब्ध हों इसका प्राविधान बजट में रखा गया है। मैं निश्चित रूप से किसानों की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं।

आज प्रदेश के किसान सदन के बाहर भी मुख्य मंत्री जी को सराह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जब मैं इस बजट को एक हरिजन आदिवासी की दृष्टि से देखता हूं और एक बंधुवा मजदूर और खेतिहर मजदूर की दृष्टि से देखता हूं तो पाता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने निश्चित रूप से इन तमाम मजदूरों को, बंधुवा मजदूरों को जिनको शासन ने मुक्ति दिलायी है, के पुर्नवास की व्यवस्था के लिए तथा खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए तहसील स्तर पर 28 श्रम निरीक्षक कार्यालय बनाने की व्यवस्था की है। जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल सके। जो मुक्ति प्राप्त बंधुवा मजदूर हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था का प्राविधान भी इस बजट में है उसका भी पालन हो सके।

जब मैं इस बजट को एक युवक की दृष्टि से देखता हूं तो यह पाता हूं कि सरकार ने नौजवानों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया है और खास तौर से उन लोगों के लिए भी बजट में प्राविधान है जिन युवकों के मन में संकल्प है कठिन परिश्रम करने का, जिनकी आंखों में सपना है तरक्की, उत्थान और विकास का उन्हें भी रोजगार के अवसर मुहैया करने का प्राविधान भी इस बजट में किया गया है। युवकों को गांवों में युवक मंगल दल बनाकर व महिला मंगल दल बनाकर गांवों के गुणात्मक विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान किया गया है।

जब मैं हरिजन और आदिवासी की दृष्टि से इस बजट को देखता हूं तो यह पाता हूं कि हरिजनों के उत्थान और विकास के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मौजूदा बजट में 270 करोड़ 38 लाख के परिव्यय का प्राविधान है। निश्चित रूप से सदन के बाहर हरिजन और आदिवासी इन्टीरियर के गांवों में जो बसे हैं या दूरदराज के गांवों में बसे हैं, वह उनकी प्रशंसा करते हैं।

मान्यवर, जब मैं इस बजट को एक अल्पसंख्यक की दृष्टि से देखता हूं तो निश्चित रूप से यह पाता हूं कि सरकार ने अकलियत के हितों का भी विशेष ध्यान रखा है। सरकार ने यह महसूस किया कि औद्योगिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को अवसर कम मिल रहे हैं इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में उनको अवसर प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए वित्त एवं विकास निगम की व्यवस्था सरकार ने किया है। इस प्रकार से सरकार ने सबके हितों का ध्यान इस बजट में किया है।

जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वहां की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मिर्जापुर के छानवे क्षेत्र से चुनकर आया हूं। सरकार ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया है, किसानों को उत्तम बीज व खाद व अन्य कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं उससे सिंचाई की आवश्यकता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे क्षेत्र में जो सिंचाई के साधन हैं जैसे हरगढ़ पम्प योजना,

ईनपुर पम्प योजना, नारायन घाट योजना, माण्डा लिफ्ट योजना और लिफ्ट योजना है उनकी क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि किसानों को टेल तक पानी मिल सके ।

विरोधी पक्ष के लोगों को 2 दिन से सुनने पर ऐसा महसूस हुआ कि ये जुबान से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दलील से नहीं । क्योंकि उनके पास दलील नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके लिए कोई चीज छोड़ी नहीं है । मैं विरोधीपक्ष के सदस्यों को इस बजट चर्चा के अवसर पर एक शेर समर्पित करना चाहता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि तमाम विरोधी दल के सदस्य अपने जेहन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे ।

"सिर्फ विरोधी आंखों से ही
बजट देखना काफी नहीं,
सबकी आंखे अपनी आंखों से
मिला कर देखिये"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे यहां हलिया और लालगंज के बीच में एक डिग्री कालेज के खोलने की सख्त आवश्यकता है क्योंकि 50 से 60 किमी0 की दूरी तय करके या तो लोग मध्य प्रदेश जाते हैं या 60 कि0 मी0 की दूरी तय करके मिर्जापुर आते हैं । ऐसी सूरत में लालगंज में डिग्री कालेज का होना अति आवश्यक है । मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं, उसमें तीन ब्लाक हैं । सरकार की लगातार कोशिश के बावजूद और सहायता प्रदान करने के बावजूद ये तीनों ब्लाक दैवीय आपदाओं से बराबर ग्रसित होते आए हैं । तीन ब्लाक में से दो सूखे से ग्रसित रहते हैं और एक ब्लाक छानबे बाढ़ से ग्रसित रहता है । सरकार ने 1985-86 की योजना में 20 किलो मीटर बांध की योजना बाढ़ से बचने के लिए बनाई है । हमारा छानबे ब्लाक पूर्ण रूप से बाढ़ से ग्रसित रहता है । यह गंगा की बाढ़ से डूबा रहता है । वहां बाढ़ से सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा लालगंज और हलिया ब्लाक सूखे से ग्रसित रहता है, वहां पेय जल की बड़ी परेशानी है । पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए । सरकार वहां पेयजल की व्यवस्था मुहैया करावे । हमारा मिर्जापुर एशिया की विद्युत राजधानी माना जाता है । हम वन सम्पदा के बीच में रहते हैं, लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर सर्वे करावें कि वहां पर कौन सा उद्योग लग सकता है और वहां की जमीन किस काम आ सकती है । वहां रोजगार के अवसर मुहैया कराए जांय जिससे उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके ।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बाढ़ के समय जो गांव नगवासी, तिलई, जोपा, परवा, बबुरा, अकौठी, बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, गांव के कटान को रोकना है तथा कार्णावती नदी पर ग्राम अकोढ़ी में एक पुल का निर्माण होना चाहिये । यह पुल जिला योजना में नहीं बन सकता, इसे स्टेट सेक्टर से बनाना होगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको स्टेट प्लान में लें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

[समय 4 बजकर 15 मिनट]

श्री राज किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बहुत देर के बाद अवसर दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह सन् 1985-86 का बजट पेश किया है और जो 178 करोड़ 7 लाख का जो बजट पेश किया है, यह कोई नयी

बात नहीं है । वह हमारे प्रदेश के पूर्व शासकों की परम्परा के आधार पर ही यह बजट प्रस्तुत है । इस बजट में जो उन्होंने शुरू में अपनी प्रस्तावना में कहा और जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों के आधार पर यह कहने का प्रयास किया है कि हमने प्रदेश में बहुत ही प्रगति की है और बहुत ही विकास यहां पर हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की स्थिति इसके ठीक विपरीत है । यहां पर गरीबी बढ़ी है, यहां पर बेकारी बढ़ी है । यहां तक कि इस वर्ष के अन्त तक हमारे प्रदेश के 85 लाख से ज्यादा लोग बेकार हो जाएंगे । किसानों की हालत बदतर हुई है, कानून व्यवस्था की हालत बदतर हुई है और साथ ही हमारे प्रदेश में तालाबन्दी की जो भरमार हुई है, उसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है । अब मैं सिलसिलेवार कुछ कहना चाहूंगा जो इस बजट में गिनाए गये हैं । इसमें हमारे मुख्य मंत्री साहब ने जो पर्वतीय विकास के बारे में कहा है, चूंकि वे पर्वतीय इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए पर्वतीय विकास होना बहुत जरूरी है ।

उन्होंने कृषि के बारे में कहा कि हमने प्रदेश में कृषि में बहुत तरक्की की है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो प्रदेश है वह कृषि उत्पादन के मामले में और प्रदेशों से बहुत पीछे है मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । हमारे यहां गेहूं का जो उत्पादन रेट है वह है 1641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और, पश्चिम बंगाल जो चावल ज्यादा पैदा करता है, वहां गेहूं का उत्पादन 2275 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है । इसी से आप अंदाजा लगाइये कि हमारे सूबे में जहां गेहूं अधिक पैदा होता है, वहां पर गेहूं का पैदावार का रेट यह है और जो प्रदेश धान पैदा करने वाला है, वहां पर गेहूं के उत्पादन का रेट यहां से कितना ज्यादा है, पंजाब में तो गेहूं के उत्पादन रेट की बाबत क्या कहना पंजाब में 3144 किलोग्राम चावल पैदा होता है ।

इसी से आप अंदाज लगाइये कि यहां पैदावार का रेट क्यों घट रहा है । कहा गया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 18 करोड़ टन तक पैदा कर ले जायेंगे : तो, यह कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रदेश में जहां पर खेतों इतने बड़े हिस्से में हो रही हैं । आप अपने तक ही तो संतुष्ट हो जाते हैं । कहा जाता है कि गल्ला रखने के लिये जगह नहीं है । लेकिन, अगर वास्तविकता देखी जाय तो तमाम जगह उत्तर प्रदेश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है । कई जगह से रिपोर्ट आयी है कि लोग भूसा खा रहे हैं । अभी माननीय राजीव जी मध्य प्रदेश गये थे, उन्होंने जब आदिवासियों से बात की, तो उन लोगों ने बताया कि वे अभी भी भूसा खाते हैं । इस प्रदेश में न जाने क्या-क्या खाने वाले लोग हैं ।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, 1982-83 में अल्प सिंचाई साधन की क्षमता 31 लाख 20 हेक्टेयर की थी, जबकि सिंचाई केवल 16 हजार हेक्टेयर की हुई । यानि आधी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है । दूसरे, बृहद और मध्यम सिंचाई साधनों से यहां जो सिंचाई हुई है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसके सींचने की क्षमता 67 लाख 13 हजार हेक्टेयर थी, जबकि सिंचाई 52 लाख 34 हजार हेक्टेयर की हुई । यानि चौथाई क्षमता गायब है सातवीं पंचवर्षीय योजना की बाबत कहा गया कि इसमें अब ट्यूबवेल लगायेंगे । लेकिन, जो ट्यूबवेल लगे हुये हैं, उनकी हालत सर्वविदित है । जो शहरों से चुने हुए विधायक हैं, उनके लिये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गांव से चुने हुए जो विधायक हैं, वह इनसे भलीभांति अवगत होंगे । जो प्रथम पंच-वर्षीय योजना के ट्यूबवेल लगे हुये हैं, उसमें हमारे सिंचाई मंत्री समझते हैं कि 200 एकड़ की सिंचाई होती है । जबकि

उसकी क्षमता घटकर 50 एकड़ तक नहीं है। इसके बावजूद भी ट्यूबवेल वही काम कर रहे हैं।

आप वर्ल्ड बैंक आदि से कर्ज लेकर ट्यूबवेल गाड़ते हैं, लेकिन ट्यूबवेल चला नहीं सकते हैं। कहीं उर्जा के अभाव की वजह से या कहीं बिजली के कनेक्शन न होने के कारण। वक्ताओं ने बताया कि नहरें जो 10-10 साल से बनी हुई हैं, उनमें जो किसानों की जमीन ली गयीं, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, और आज तक स्थिति यह है कि तमाम प्रयास के बावजूद वह नहरें नहीं चल पायी हैं। किसानों को न ट्यूबवेल मिलें और न कोई साधन मिलें। मैं बनारस जिले का बता रहा हूं वहां पर 3 नहरें एक तहसील में बन रही हैं लेकिन आज 12 वर्ष हो गये हैं, वे नहरें नहीं बन पाई हैं। किसानों की सारी जमीन ले ली गई है, उनकी फसल नष्ट हुई है। वहां पर ट्यूबवेल खड़े किये गये, वे भी खत्म हो गये। जो उदावार होनी चाहिए थी, वह भी नहीं हो पाई। जब मैंने वहां के इन्जीनियरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो रुपया नहीं मिल पा रहा है। 11 करोड़ रुपये की योजना आप बनाते हैं लेकिन नतीजा यह है कि वहां पर नहरें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। वहां पर एक आदमी आपका कांग्रेसी है जो 100 मीटर पर नहर नहीं बनने दे रहा है। वहां का जो जिलाधिकारी है और जो पुलिस विभाग है, वह सब खामोश बैठा हुआ है। वह कालीन का बहुत बड़ा उद्योगपति है और कांग्रेस को बहुत बड़ा चन्दा देता है। यह तो आपके सिंचाई संसाधनों की स्थिति है।

गांव के विकास की बात कही गयी। कहा गया है कि 1500 से अधिक आबादी के गांवों के सड़कों से जोड़ा जायेगा और जोड़ा जा रहा है। अधिकांश गांव आज उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, जहां लोग पीने के पानी के लिए मर रहे हैं। किसी मैन्यूफैक्चरर से सांठ-गांठ करके इन्डिया पम्प निकलवा लिया और उसे लगा दिया, जो 4-5 दिन के बाद बेकार हो गया। केन्द्र का एक अध्ययन दल आया था। वे कहने लगे कि हमने तो 22 करोड़ रुपये दिया हुआ है पीने के पानी के लिए। आज इस देश को आजादी प्राप्त किये हुए 37 साल हो गये हैं, जब आप पानी नहीं दे सके तो जनता के लिए आप खाने की क्या व्यवस्था कर पायेंगे। सड़कें बन रही हैं।

मैंने पी0 डब्लू0 डी0 के एक इन्जीनियर से तथा आपके ग्रामीण अभियन्त्रण से पूछा कि इस ग्रामीण अभियन्त्रण योजना के तहत जो ईटों में सोलिंग लगायी गयी है, वह तृतीय श्रेणी की है। मैंने इसका एक नमूना चीफ इन्जीनियर पूर्वी जोन को दिखाया लेकिन आज तक मौके पर किसी भी इन्जीनियर से इसकी जांच नहीं की है। इस प्रकार सड़कों के लिए जो योजनायें बन रहीं हैं, उनका आधा पैसा खाकर ये लोग मोटे होते जा रहे हैं। आपने कहा है कि 178·60 लाख रुपए का घाटा हुआ है, उसे हम पूरा करेंगे। उसे पूरा करने के लिए आप 32 करोड़ रुपए का इन्तजाम कर रहे हैं। वह भी जो विदेशी शराब की तस्करी होती है, उससे यह सरकार इसे पूरा करेगी। आपकी यह योजना है तो आप सभी गांव के लोगों से कहें कि वे शराब की भट्टियां बनायें और पुलिस से आप कहें कि यह गांव में जाकर लोगों से पैसा वसूल करें। आप लोग सामने देखें, जहां पर गांधी जी की फोटो लगी हुई है। क्या उन्होंने आपको यही सिखाया था। आप कहते हैं कि हम टैक्स नहीं लगायेंगे। आप टैक्स लगायेंगे। पहले भी आपने यही कहा था, परन्तु जब आप यहां से बाहर गये तो आपने बसों का 2 बार किराया बढ़ाया और लोगों के ऊपर कर लगाये। मान्यवर, जब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी से पूछा गया था कि जब आपका राज्य आयेगा तो आप कितना लेंगे। उन्होंने कहा केवल 500 रुपये लेंगे और सादे ढंग से रहेंगे। आज

मंत्रियों के घरों के सुसज्जीकरण पर पैसा खर्च किया जा रहा है। वे मकान खरीद रहे हैं। रुपया कमाने में ये मंत्री लगे हुये हैं। क्या महात्मा गांधी जी ने आपको यही शिक्षा दी थी। आप उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बड़े भारी भक्त बनते हैं। इसलिए कहता हूं कि विलासिता की तरफ जाने का नाम न लो। टी0 एन0 सिंह थे, मोहन लाल गौतम, आचार्य जुगल किशोर थे, कितने पवित्र आदमी थे लेकिन आप लोग गांधी जी के नाम पर कमा खा रहे हैं। इस बजट के अन्दर जो बातें कही गयी हैं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, इसकी हालत जो है वह शायद कभी भी नहीं रही। औसान सिंह ने क्या बताया? जो मीटिंग हुई थी, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी उसमें थे, इन लोगों ने कहा कि आप लोग थानों पर न जाइये। इसलिए कि आप थानेदारों को और खुली छूट देना चाहते हैं, निरंकुश बनाना चाहते हैं। अगर सबसे बड़ा अफसर कोई है तो वह है दरोगा। वह न तो मंत्री के कब्जे में है और न किसी अफसर के। वह थाने पर राज कर रहा है।

कुछ महिलायें अभी बोल गयीं यहां पर। उनको यह नहीं दिखायी देता कि प्रदेश के अन्दर बलात्कार कितने होते हैं, कितनी बहू-बेटियां जिन्दा जलायी जाती हैं? दरोगा पैसा खा कर बैठ जाता है कोई कार्यवाही नहीं करता। किसी महिला ने इस पर कोई आवाज नहीं उठायी और न अपने भाषण में ही यह कहा। पूरे देश के आंकड़े उठा कर देख लें जितनी घटनायें बलात्कार की इस प्रदेश में होती हैं, कहीं नहीं होतीं। उस दिन चर्चा हो रही थी आदमी को मार कर कुएं में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आत्महत्या कर ली। उसका पोस्ट मार्टम भी नहीं होता। रिपोर्ट तक नहीं होती। प्रदेश में कोई थाना ऐसा नहीं जहां इस तरह की शिकायतें न हों। यह स्थिति है कानून और व्यवस्था की। कोई जनप्रतिनिधि थानों में जा कर कोई बात कह नहीं सकता।

आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में यही हो रहा है। हमारे जिले में तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्यायें होने लगी हैं। अगर दरोगा के खिलाफ बोले, गुन्डे-बदमाशों के खिलाफ बोले, डकैतों के खिलाफ बोले तो साजिश होती है अपराधी तत्व और पुलिस मिल कर हत्यायें करवाने की। राम दुलारे सिंह हमारी पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता था। कचेहरी के अन्दर, दरोगा के खिलाफ बोला, गुण्डे-बदमाश थे, दूसरे दिन 14 अप्रैल को उसकी हत्या हो गई। इसमें कांग्रेस के गुण्डे और पुलिस का खुला हाथ था। आवाज उठायी गयी थी केवल थानेदार को वहां से हटाने दिया गया।

दूसरी तरफ मुख्य मंत्री कहते हैं हम समाजवादी हैं। समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। हमारा बजट समाजवादी है? अरे आप जब समाजवादी थे, तब थे अब तो आप पूंजीवादी हो गये हैं। केन्द्र से कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो आर्थिक कार्यक्रम चल रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप इसके मने समझते हैं या नहीं, नहीं मालूम। लेकिन इसमें खुली छूट है टाटा को, बिड़ला को कि चाहे जितना लूटें। इसीलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि समाजवाद का नाम मत लिया करिये। यह समाजवाद दाल-भात नहीं है। बिड़ला की सम्पत्ति 1980 में 1,431 करोड़ रु0 थी, जो कि 1983 में 28 सौ 30 करोड़ और 94 लाख रु0 हो गयी। इसी प्रकार टाटा की सम्पत्ति जो कि 1,538 करोड़ 97 लाख रु0 थी, वह 2,632 करोड़ 40 लाख रु0 हो गयी। ऐसा ही हमारे प्रदेश में भी हो रहा है। इस बजट के अन्दर श्रमिकों के बारे में बात कही गयी है। आज श्रमिकों की क्या हालत है?

मुख्य मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक लाख छोटे उद्योग और ग्रामीण

उद्योग लगने वाले हैं कि एक तरफ मिलें बन्द हो रही हैं। कानपुर में और मोदीनगर में मिलें बन्द हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि एक लाख उद्योग लगा रहे हैं। जो मिलें बन्द हैं उनको खोल दीजिये पहले। कितनी मिलें आज बन्द हैं, उनके इम्प्लायर्स को खुली छूट है कि जब चाहें तब तालाबन्दी कर दें। सईदुल हसन साहब को पता नहीं श्रमिकों के बारे में, श्रम कानून के बारे में मालूम है या नहीं, इसीलिए जवाब भी वैसा ही देते हैं।

कानपुर में जे0 के0 ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज की 4 मिलें एकदम बन्द हैं और उनको खुलवाने के लिए सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया है और जो अधिग्रहीत थीं, उनसे भी कह दिया है कि ले लो और खूब लूटो। कानपुर में श्रमिकों की कालोनी के लिए जमीन ली गयी, लेकिन वह चली गयी मालिकों के पेट में। सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर सकी। क्या श्रमिकों के कल्याण की बात करते हैं?

पर्यावरण की बात की गयी है, अच्छी बात है। बनारस में भी काफी लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, वहां पर गंगा जी का पानी बहुत अपवित्र हो गया है। अभी हमारे साथी ने कहा कि कानपुर में गंगा बैराज बनाने की योजना है, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं किया गया। यह एक चिन्ताजनक बात है। इस बैराज का बनना जितना जरूरी है, उतना ही पर्यावरण का कार्य जरूरी है, तभी कानपुर नगर को लाभ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ म इस बजट का सख्त विरोध करता हूं।

*श्री फूल सिंह सोदाई--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता हूं और उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका भी स्वागत करता हूं। इसका कारण मैं मानता हूं कि यह किसानों का बजट है, यह किसान मजदूरों का बजट है, यह बजट उद्योगों का बजट है, गरीबों का, हरिजनों का, अल्पसंख्यकों का बजट है, नौजवानों का बजट है, विद्यार्थियों का बजट है और इतना ही नहीं यह प्रदेश की जनता का बजट है।

जहां तक किसानों का सवाल है, एक विपक्षी सज्जन बोल रहे थे कि किसानों का ख्याल नहीं रखा गया है या उनके लिए ज्यादा अंश नहीं रखा गया है। मैं बताना चाहता हूं कि कृषि केवल एक चीज नहीं है। यह एक सामूहिक रूप का नाम है। जहां आप कहते हैं कृषि को 14 प्रतिशत दिया गया है, तो उसके साथ जुड़ी हुई बिजली, सिंचाई और उपज से सम्बन्धित खाद, ये सारी चीजें उसके साथ मिली हुई हैं। उन सब के लिए अलग-अलग जो धन उसमें रखा गया है उससे आप देखेंगे कि यह एक प्रगतिशील बजट है। जहां तक उपज का सवाल है उसको बढ़ाने के लिए इस बजट में दिशा प्रदर्शित की गयी है जहां तक सिंचाई का सवाल है उसके लिए गंगा नहर, जमुना नहर, इन्दिरा नहर, मध्य गंगानहर बनायी जा रही है। माइनर इर्रीगेशन के लिए नलकूपों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इस बजट में नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

आपने किसानों के लिए कहा कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। आप जरा थोड़ा पीछे की ओर देखने का कष्ट कर तो आपको पता चलेगा कि पहले किसानों की हालत क्या थी। अब वह लक्ष्य से ज्यादा अन्न पैदा कर रहा है। यह सब कैसे हो रहा है? इसके लिए सरकार ने उसके हित में संसाधन जुटाये हैं। श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप क्या कहते हैं ? आप तो दो-दो बार मंत्री रहे हैं, उस समय आप किसानों के लिए क्या कर पाये ? आपने किसानों के हित की कितनी बात की है यह पिछला इतिहास बतलाता है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस सरकार हमेशा से किसानों की हमदर्द रही है किसानों को सुविधा देने के लिए सरकार गांव को शहर से जोड़ने का प्रयास कर रही है और इसके लिए परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और बसें बढ़ायी जा रही हैं, ट्रान्सपोर्टेशन का प्रबन्ध किया जा रहा है। प्रदेश के 57 जिलों को बसों के द्वारा जोड़ा जा रहा है। इस तरह से गांव और शहर को आपस में मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि बहुत पहले आपने गांव में झोपड़ियां देखी होंगी और वहां मिट्टी के तेल के दिये जलते देखे होंगे। लेकिन आज उन्हीं गांवों में दुमहले भवन बन गये हैं और रोशनी के लिए वहां पर बिजली के बल्ब जलाये जाते हैं।

एक सदस्य--

गांव में बिजली तो देते नहीं हैं और इनको बल्ब जलते दिखाई देते हैं।

श्री फूल सिंह सोदाई--

आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गयी है। आज किसान का बच्चा जोकि गांव में रहता था लन्दन चला गया है, डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कमिश्नर बन गया है और आज यहां आकर भी बैठा है। एक गांव का हमारे प्रदेश में इस युग में कितना प्रभाव है वह आपके सामने है और हम कह सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं।

यहां अभी विद्युत् क्षमता के बारे में बात की गयी थी। तो विद्युत् क्षमता हमारे पास है और हम उसको और बढ़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है और वह ठप्प पड़ गया है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना में इसको और आगे बढ़ाया जायेगा। विद्युत् वितरण प्रणाली को अब तीन भागों में बांटने का विचार हो रहा है जिससे कि हर जगह सुविधापूर्वक बिजली पहुंच सके।

यहां श्रमिकों के बारे में भी बात कही गयी तो हमारे जो श्रमिक खेतों में काम करते हैं वहां उनको न्यूनतम वेतन देने की बात इस बजट में रखी गयी है और उसको कन्ट्रोल करने के लिये, देखभाल करने के लिये हर जिले में श्रम निरीक्षक हैं और उनको मजदूरी दिलाने का प्रयास किया जाता है। उनको आगे और सुविधायें देने का प्राविधान भी इस बजट में है। मान्यवर, उद्योगों के जो श्रमिक हैं उनकी सहूलियतों को भी नकारा नहीं गया है, उनकी सुविधाओं पर विचार किया गया है और उनकी वेतन दर तथा रहन-सहन के स्तर की व्यवस्था तथा उनकी सेवा शर्तों को भी बैठ कर सुलझाने की बात की गयी है। उनकी और अन्य सुविधाओं के बारे में आगे विचार किया जायेगा।

मान्यवर, सातवीं पंच वर्षीय योजना में बताया गया है कि एक लाख उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे, यह बहुत ही अच्छा कदम है और सराहनीय काम है। इससे गांव इतने विकसित हो जायेंगे कि शहर और गांवों में कोई फर्क नहीं रह जायेगा। इसलिये उद्योगों का विकास गांवों में किया जाय। मैं एकबार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। इन शब्दों के साथ में इस बजट का जो एक जनहित का बजट है, स्वागत करता हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस बजट पर बोलने का अवसर

प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह जन विरोधी है, किसान विरोधी है। इस बजट में बुन्देलखंड की कोई बात नहीं कही गयी है और न वहां के लोगों को राहत दिलाने की कोई बात कही गई है और न उसका कोई आधार रखा गया है। पिछले तीन वर्षों में अगर हम देखें तो ललितपुर में 1982 में 1416, 1983 में 1149 और 1984 में 856 मिली लीटर वर्षा हुई है। इस प्रकार से यह विदित होता है कि वर्षा में कमी हुई है और गिरावट आई है, इसके कारण फसल के उत्पादन में भी गिरावट आई है। ज्वार की 40,537 टन उपज थी, जो कि 1984 में केवल 712 टन रह गयी। इसी प्रकार से गेहूं की पैदावार 23,615 टन से घटकर 9943 टन रह गयी। चना की पैदावार 1,89,543 टन से घटकर 90,554 टन रह गयी। इस प्रकार से 1 लाख टन चने की कमी हो गयी है, जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कुछ भी नहीं कहा है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह बजट जनता की राहत के लिये नहीं रखा गया है।

मान्यवर, एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पानी की बहुत कमी है। हमारे यहां पर जामनी बांध है, जिसका दरवाजा 1983 में टूट गया था, उसके कारण सारा पानी निकल गया था और ऊपर के जो गांव हैं वह पानी के बिना मनुष्य त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। शासन द्वारा दो लिफ्ट कैनाल दोनों साइड में ऊपरी क्षेत्र में स्वीकार की गयी थी, वह आज तक चालू नहीं की गयी है, जिससे वहां की जनता परेशान है।

मान्यवर, खाद और बीज समय से किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके बारे में बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। बिजली के लिये उपभोक्ता पैसा समय से जमा कर देते हैं परन्तु वर्षों तक उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। गरीब लोग 20-20 किलोमीटर से दवा लेने के लिये आते हैं परन्तु उनको दवा नहीं मिलती है और शहर अथवा जिला अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। इसी तरह से प्रति वर्ष वनों में वृक्षारोपण होता है और अगले वर्ष के लिये जहां वृक्षारोपण करना होता है, उसके लिये जो क्षेत्र चुना जाता है उसमें आग लगा कर उसे बरबाद कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि प्लांटेशन सक्सेस-फुल नहीं हुआ। इस तरह से शासन तंत्र के अधिकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं।

परिवहन के क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। लेकिन यह बड़े दुख का विषय है कि प्रदेश से 56 जिलों में ललितपुर एक ऐसा अभागा जिला है जहां राज्य परिवहन निगम की एक भी बस नहीं चल रही है। दूर दराज और डकैतों का क्षेत्र होने की वजह से, जो व्यक्ति आते-जाते हैं, उनके लिये सड़कें नहीं हैं। उनकी बीच में ही डकैतों द्वारा हत्या कर दी जाती है। मान्यवर, सन् 1962 में मेरी मां और पिता के ऊपर गोली चली जिसके परिणाम स्वरूप मेरा नौकर मारा गया। वहां पर आज भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां पर पुलिस थाना कायम नहीं है। आज भी वहां की जनता अपने को असुरक्षित महसूस करती है। हम वहां पर अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। एक छोटी सी पुलिस चौकी वहां पर कायम की गई है जिसका थानेदार अपनी सुरक्षा के लिये हमारी शरण में आता है।

शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति यह है कि सन् 1974 में बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापक अनिश्चितता की स्थित में घूम रहे हैं। अभी पिछले माह कुछ बरोजगारों को साक्षात्कार के लिये

बुलवाया गया था लेकिन वहां जिला विद्यालय निरीक्षक के निहित स्वार्थ की वजह से उस साक्षात्कार को कैंसिल कर दिया गया। दो व्यक्तियों के लिये वह साक्षात्कार कैंसिल किया गया और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। इन शिक्षित बेरोजगारों के लिये भी इस बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है।

पेय जल के सम्बन्ध में हमारे शासन ने कहा था कि वह हर गांव के लिये पेय जल की व्यवस्था करेगा। वहां पर कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां आज भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बालावेहट एक क्षेत्र है जहां सर्वेक्षण करने के पश्चात् भी एक भी बूंद नहीं निकला है। वहां पर शासन द्वारा कोई व्यवस्था पेय जल की नहीं की गई है। यहां 42 जानवर मरे हैं और तीन व्यक्तियों की पानी के अभाव में मृत्यु हुई है। इसी तरह से मिल्टौरा क्षेत्र में तेंदू पत्ता की बात है। यह एक आय का स्रोत है। इस तेंदू पत्ते की लाखों रुपये की चोरी हो रही है। इसके सम्बन्ध में कोई बयान नहीं आया। जो हमारे यहां के सांसद हैं उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज की गई लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। हजारों लाखों रुपये के तेंदू पत्ते की चोरी हो रही है। इस तरह से जो सरकार के आय के साधन हैं, उनमें चोरियां न हों तो शासन की आय अधिक होगी।

बजट में जो 178·60 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है उनमें अल्प बचत से 32 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिये कहा गया है। मान्यवर, जो अल्प बचत पत्र हम खरीदते हैं, उनके लिये हमें कंपेल किया जाता है कि 1 हजार रुपये के बांड लाकर दो, तब यह काम होगा। अगर इस तरह से काम करना है तो कैसे काम चलेगा। जब वे जबरदस्ती वसूल करते हैं तो देना पड़ता है। लेकिन अल्प बचत का काम स्वेच्छा से नहीं होता है। इस काम को जनहित के लिए स्वेच्छा से कराया जाना चाहिए ताकि हमारे आय के स्रोत बढ़ सकें। इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिये और उससे घाटे को पूरा करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह जो बजट 12 तारीख को यहां पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, जो वित्तीय मामलों में बहुत योग्य हैं, द्वारा रखा गया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब बजट की किताब हमें मिली तो वास्तव में हम उसके आंकड़ों के जाल में फंस गये और तीन दिन तक अध्ययन करने के बाद वास्तविकता मालूम हुई कि यह बजट विकासशील, क्रांतिकारी और आम जनता के हित का बजट है। इस बजट के द्वारा हमारे प्रदेश की तमाम विकास योजनायें चलेंगी और जो हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम है उसको हम पूरा कर सकेंगे।

इस बजट में प्रदेश के चारों ओर बहुमुखी विकास की योजनायें चलाने के कार्यक्रम हैं। हमारे विपक्षी दलों का कहना है कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया गया है, इससे उनका कहना है कि महंगाई बढ़ेगी। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जो बजट है इससे आम जनता को राहत मिलेगी और हमारी विकास की योजनायें इससे चलेंगी। इस बजट की महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इसमें कितने कर लगाये गये हैं या कितने कर नहीं लगाये गये हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि इससे प्रदेश का विकास होगा। यह भी देखने की बात है कि जो हमारी आमदनी है वह विकास कार्यों में खर्च हो रही है या नहीं।

तो आप देखेंगे कि इस बजट में जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं या जो बहुमुखी योजनायें आम जनता के लिए चल रही हैं वे आज इस बजट के ही नतीजे हैं। आज आप देखते हैं कि आज खेती की पैदावार बढ़ी है जिसके लिए सरकार ने अच्छे बीज और उन्नत किस्म की खाद उपलब्ध कराई है। खेती के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चावल का उत्पादन 1979-80 में 5·06 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जो छठी योजना के अन्त तक बढ़ कर 12·97 क्विंटल हो गया है। इसी तरह से गेहूं की पैदावार 13·14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर 18·67 प्रति हेक्टेयर हो गया है। इससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे यहां विकास अच्छे ढंग से हो रहा है। किसान मेहनत कर रहा है। सरकार उनको खाद देने और सिंचाई का प्रबन्ध, दवाइयों एवं बीज का प्रबन्ध करके देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खेती में 78 प्रतिशत से अधिक विकास 1979-80 से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। गन्ने की उपज अधिक हुई है। अच्छे बाजार की सुविधा और मिलें बनायी गयी हैं ताकि किसानों को उनके उत्पादित वस्तुओं के अच्छे दाम मिल सकें।

पहले किसान जब अनाज बेचने जाते थे तो व्यापारी उनसे सस्ते दामों पर अनाज लेते थे और किसानों को माल एक जगह से दूसरी जगह से जाने में अधिक भाड़ा देना पड़ता था किन्तु अब शासन ने क्रय केन्द्र खोल दिये हैं जिससे किसान अपने माल को सुगमता से वहां पहुंचा सकता है और उसके माल की कीमत वहीं पर उनको प्राप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 17-7-85 को नियम 51 में कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना, जो बांदा जनपद के नरैनी तहसील के 83 किसान परिवारों की लांक जलने के विषय में है, को स्वीकार किया गया है। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
17 जुलाई, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ''''पर ।)

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र के विरुद्ध शिकायतें

1--यह अपना शासकीय कार्य रुचि लेकर नहीं करते हैं और अपनी ड्यूटी से अधिकांशतः गायब रहते हैं ।

2--इन्होंने अपने सेवाकाल में अनियमित रूप से धनोपार्जन किया है ।

3--इनके कार्यालय में अपने सहयोगियों से इनका व्यवहार अति उपेक्षा पूर्ण है ।

4--यह कैशियर होने के नाते सरकारी धन का दुरुपयोग अपने निजी कार्य में करते हैं । अतः इनके कैशचेस्ट की गोपनीय रूप से आकस्मिक जांच की जाये ।

5--हरदोई के निवासी होने के कारण यह राजनीति में खुलकर भाग लेते हैं एवं अपना स्वार्थ क्षेत्र विकसित करने में निरन्तर लिप्त रहते हैं ।

6--यह अपने कार्यालय के कर्मचारियों के भुगतान में अवैध धन की मांग करते हैं और उन्हें अनायास परेशान करते हैं ।

7--कैशियर के पद पर तैनात होने के पूर्व यह लिपिक के पद पर तैनात थे । उस समय इन्होंने भयंकर रूप से अनियमिततायें की हैं । इसकी जांच इनका स्थानान्तरण करने के उपरान्त शासन स्तर से करायी जाय ।

8--इनके एक सगे भाई श्री रामेश्वर दयाल मिश्र, जो कि कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ में सम्भवतः जो0 ओ0 सेक्शन में तैनात हैं जिनकी वजह से यह अपने सहयोगियों पर अवैध रूप से दबाव डालकर काम कराते हैं ।

9--जब से यह हरदोई जनपद में तैनात किये गये हैं तब से अपने उक्त भाई की वजह से हरदोई के बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

10--उक्त विशेश्वर दयाल ने नवम्बर, 1983 में अपनी पत्नी के नाम से एक भूखण्ड 16 हजार रुपये में खरीदा है । क्या शासन इनकी जांच करेगा कि ये रुपया इन्होंने कहां से प्राप्त किया ?

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

टिप्पणी

उ० प्र० राज्य कताई मिल, कम्पनी नं० 1 विशेषकर अकबरपुर कताई मिल फैजाबाद, के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20-4-84 को एक बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन उद्योग एवं सिंचाई मंत्री जी, पंचायत राज मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, श्रम तथा भूतपूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली व श्री शेर बहादुर सिंह एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे। उस बैठक में उठने वाले मुद्दों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय संक्षेप में निम्नवत् थे :—

(1) रार्न खेत एवार्ड के अनुसार नियमित किये जाने के लिये मात्र अकबरपुर कताई मिल में सेवारत श्रमिकों को नियमित किया जाय।

(2) उक्त मिल में 5-3-84 को हुए कुशल श्रमिकों के चयन के सम्बन्ध में न्यायालय के निदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(3) अकबरपुर कताई मिल में दिनांक 10-2-84 को कथित सूत की चोरी की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाय।

(4) बाराबंकी कताई मिल के पद मुक्त 16 श्रमिकों के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य वस्त्र निगम, कम्पनी नं० 1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

(5) भर्ती हेतु स्थानीय समाचार-पत्रों में भी पर्याप्त प्रचार किया जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर ।)

श्री राम शरण, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में कुल 11 वाहन थे, जो निम्नलिखित हैं :—

1—यू0 टी0 सी0 4276 (जीप) ।

2—यू0 टी0 सी0 4278 (जीप) ।

3—यू0 टी0 सी0 4279 (जीप) ।

4—यू0 टी0 सी0 4189 (कार) ।

5—यू0 आर0 एल0 2435 (कार) ।

6—यू0 टी0 सी0 4177 (कार) ।

7—यू0 आर0 एल0 916 (कार) ।

8—यू0 टी0 सी0 3995 (कार) ।

9—यू0 आर0 एल0 1656 (कार) ।

10—यू0 टी0 वाई0 3750 (ट्रैकर) ।

11—यू0 टी0 डी0 9741 (स्टेशन वैगन) ।

श्री वाई0 पी0 सिंह, भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में कुल 22 वाहन थ, जो निम्नलिखित हैं :—

1—यू0 टी0 सी0 4276 (जीप) ।

2—यू0 टी0 सी0 4278 (जीप) ।

3—यू0 टी0 सी0 4279 (जीप) ।

4—यू0 टी0 सी0 4189 (कार) ।

5—यू0 आर0 एल0 2435 (कार) ।

6—यू0 टी0 सी0 3995 (कार) ।

7—यू0 आर0 एल0 1656 (कार) ।

8—यू0 टी0 वाई0 3750 (ट्रैकर) ।

9—यू0 आर0 ए0 9406 (ट्रक) ।

10—यू0 टी0 सी0 4016 (जीप) ।

11—यू0 आर0 एल0 3782 (जीप) ।

12—यू0 एच0 एफ0 8857 (कार) ।

13—यू0एच0 एफ0 2612 (जीप) ।

विधान सभा

14--यू0 आर0 यू0 7099 (कार) ।

15--यू0 आर0 यू0 7116 (कार) ।

16--यू0 आर0 एल0 472 (कार) ।

17--यू0 आर0 एल0 291 (कार) ।

18--यू0 आर0 यू0 7026 (कार) ।

19--यू0 आर0 यू0 736 (कार) ।

20--यू0 आर0 एल0 4074 (कार) ।

21--यू0 एस0 एच0 2882 (कार) ।

22--यू0 आर0 यू0 7903 (जीप) ।

श्री रवि कुमार माथुर वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के कार्यकाल में 23 वाहन हैं, जो निम्नलिखित हैं :--

1--यू0 टी0 सी0 4276 (जीप) ।

2--यू0 टी0 सी0 4278 (जीप) ।

3--यू0 टी0 सी0 4279 (जीप) ।

4--यू0 टी0 सी0 4189 (कार) ।

5--यू0 आर0 एल0 2435 (कार) ।

6--यू0 आर0 एल0 1656 (कार) ।

7--यू0 टी0 वाई0 3750 (ट्रैक्टर) ।

8--यू0 आर0 ए0 9406 (ट्रक) ।

9--यू0 टी0 सी0 4016 (जीप) ।

10--यू0 आर0 यू0 3782 (जीप) ।

11--यू0 एच0 एफ0 8857 (जीप) ।

12--यू0 एच0 एफ0 2618 (जीप) ।

13--यू0 आर0 एल0 291 (कार) ।

14--यू0 आर0 एल0 472 (कार) ।

15--यू0 आर0 क्यू0 7026 (कार) ।

16--यू0 आर0 क्यू0 6736 (कार) ।

17--यू0 आर0 एल0 4074 (कार) ।

18--यू0 एस0 एच0 2882 (कार) ।

19--यू0 एस0 जी0 1761 (कार) ।

20--यू0 आर0 यू0 7363 (कार) ।

21--यू0 आर0 यू0 6993 (कार) ।

22--यू0 आर0 एल0 3096 (कार) ।

23--यू0 आर0 यू0 7903 (जीप) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर।)

गोरखपुर तथा फैजाबाद मंडलों के जिलों के बाढ़ एवं ड्रेनेज खण्डों को वित्तीय वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में आवंटित धन और उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण :—

(लाख रुपयों में)

जनपद	खण्ड का नाम	1983-84		1984-85	
		आवंटित धन	व्यय	आवंटित धन	व्यय
1	2	3	4	5	6
533—बंधों का निर्माण बाढ़ निरोधक कार्य एवं जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण—					
गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	90·02	93·09	156·95	159·33
गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया	बाढ़ खंड, गोरखपुर	117·82	124·20	89·50	133·76
	बाढ़ खंड, देवरिया	46·01	51·43	65·45	67·24
	ड्रेनेज खंड-2, बस्ती	2·01	5·19	44·70	7·52
बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती	56·22	58·93	176·00	168·94
बस्ती एवं फैजाबाद	बाढ़ खंड, फैजाबाद	37·02	42·38	121·80	112·95
	योग ..	349·10	375·22	654·40	649·74

1	2	3	4	5	6
533—सिंचाई कार्य—					
गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	..	..	..	..
गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया	बाढ़ खंड, गोरखपुर	..	..	..	..
	बाढ़ खंड, देवरिया	..	..	..	..
	ड्रेनेज खंड—2, बस्ती	43·50	43·76	20·00	19·26
बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती	..	..	..	..
बस्ती एवं फैजाबाद	बाढ़ खंड, फैजाबाद	10·00	9·39	30·00	29·65
	योग ..	53·50	53·15	50·00	48·91
533—बाढ़ निरोधक कार्यों का अनुरक्षण एवं मरम्मत—					
गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	3·75	6·29	6·35	6·39
गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया	बाढ़ खंड, गोरखपुर	7·61	17·03	8·91	10·23
	बाढ़ खंड, देवरिया	4·00	4·00	3·00	3·06
	ड्रेनेज खंड—2, बस्ती	0·14	0·14	0·20	0·27
बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती	7·46	9·08	6·50	7·18
बस्ती एवं फैजाबाद	बाढ़ खंड, फैजाबाद	4·15	4·30	4·15	4·43
	योग ..	27·11	40·84	29·11	31·56
333—सिंचाई कार्यों का अनुरक्षण एवं मरम्मत—					
गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	2·72	2·72	4·00	4·03
गोरखपुर, बस्ती एवं देवरिया	बाढ़ खंड, गोरखपुर	..	..	..	..
	बाढ़ कार्य, खंड देवरिया	..	..	..	..
	ड्रेनेज खंड—2, बस्ती	8·28	24·34	6·00	16·34

उत्तर प्रदेश गजट

बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती	9·00	9·96	10·00	33·19
बस्ती एवं फैजाबाद	बाढ़ खंड, फैजाबाद	..	..	..	..
	योग ..	20·00	37·02	29·00	33·56

289—बाढ़ निरोधक कार्यों का विशेष मरम्मत—

गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर बाढ़ खंड, गोरखपुर ड्रेनेज खंड–2, बस्ती बाढ़ कार्य खंड, देवरिया	48·50	54·43	110·50	116·84
बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती ड्रेनेज खंड-2, बस्ती बाढ़ खंड, गोरखपुर बाढ़ कार्य खंड, फैजाबाद	52·50	55·32	90·00	91.98
देवरिया	बाढ़ कार्य खंड, देवरिया	10·00	10·00	27·00	23.48
फैजाबाद	बाढ़ कार्य खंड, फैजाबाद	5·00	5·10	10·00	6.20
	योग ..	116·00	124·85	237·50	238·50

289—विशेष मरम्मत सिंचाई कार्य—

गोरखपुर	ड्रेनेज खंड, गोरखपुर	1·50	2·52	5·50	2·88
बस्ती	ड्रेनेज खंड, बस्ती	2·50	2·61	4·00	15·86
	ड्रेनेज खंड–2, बस्ती	..	..	..	..
	योग ..	4·00	5·13	9·50	18·74

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर ।)

शारदा सहायक खंड 25 बाराबंकी

वर्ष 1984–85 में कराये गये कार्यों के व्यय का विवरण

क्रमांक	उपशीर्षक	व्यय लाख रु0 में	अभ्युक्ति
1	शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत—		
	1–ए0 प्रोलिमिनेरी	0·413	
	2–बी0 लैण्ड	12·206	भूमि प्रतिकर भुगतान हेतु इस धनराशि का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को किया गया ।
	3–सी0 पक्का कार्य	10·400	इसमें 8·95 लाख रु0 का भुगतान अशोकपुर ड्रेन के रेलवे पुल के निर्माण हेतु रेलवे विभाग को दिया गया ।
	4–एल0 अर्थ वर्क	3·687	
	5—एम0 एण्ड आर0 बेहिबिल	1·166	
	योग ..	27·872	
2	बाढ़ सुरक्षा एवं जलनिस्तारण कार्य	1·625	
3	बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य	0·813	
4	राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना	5·000	
5	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	3·800	
	योग ..	39·110	

नोट—यह सभी कार्य बाराबंकी जनपद की ड्रेनों के निर्माण हेतु किये गये हैं ।

पी0 एस0 यू0 [illegible]-21 विधान सभा—9–9–85—813 (पी0 डी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा